महानगर नई दिल्ली रविवार 15 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (12+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

पांच ट्रेनें व तीन स्टेशन आग के हवाले, 25 बसें फूंकीं

हिंसा से दहला बंगाल

जनसत्ता ब्यूरो/एजेंसी
कोलकाता/नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। इस दौरान करीब पांच ट्रेनों एवं तीन रेलवे स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया और कम से कम 25 बसें भी फूंक दी गईं तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारियों ने ज्यादातर नुकसान रेलवे की संपत्तियों को बाकी पेज 8 पर

असम, मेघालय के उम्मीदवारों की नेट परीक्षा स्थगित, अन्य राज्यों में आज तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा।

पूर्वोत्तर में भी नागरिकता कानून का विरोध जारी

बंगाल के सातंरागाछी में शनिवार को विरोध के दौरान आमने-सामने पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी।

कांग्रेस भड़का रही है हिंसा : शाह

गिरिडीह (झारखंड), 14 दिसंबर (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस पर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया।

शाह ने यहां एक चुनावी जनसभा में कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के पारित होने से विपक्षी दल को पेट दर्द होने लगा है। उन्होंने कहा, बाकी पेज 8 पर

सरकार के खिलाफ कांग्रेस का शंखनाद

राहुल ने कहा-मर जाऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को भाजपा और उसकी अगुआई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बेहद तीखे तेवर दिखाए। देश में बलात्कार की हो रही घटनाओं का अपने भाषण में जिक्र किए जाने को लेकर भाजपा सांसदों द्वारा माफी मांगने की मांग पर राहुल ने भाजपा पर करारा तंज करते हुए कहा कि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी है, मैं मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा।

राहुल गांधी के दिए बयान के खिलाफ भाजपा की महिला सांसदों ने शुक्रवार को संसद में काफी हंगामा किया था। इसके बाद भाजपा ने चुनाव बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी है।

सावरकर राष्ट्रीय आदर्श, उन पर कोई समझौता नहीं : शिवसेना -खबर पेज 8 पर

रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली को संबोधित करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी।

अंधेर नगरी चौपट राजा का माहौल : सोनिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 15 दिसंबर।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून देश की आत्मा को तार-तार कर देगा। इस अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री बाकी पेज 8 पर

जामिया पांच जनवरी तक बंद, परीक्षाएं रद्द

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

नागरिकता कानून, 2019 को लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में माहौल शनिवार को भी तनावपूर्ण रहा। छात्र परिसर में जुटे और सभाएं की। छात्रों ने शनिवार को विश्वविद्यालय में बंद का आह्वान किया था और उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून तथा शुक्रवार के मार्च के दौरान पुलिस के साथ हिंसक संघर्ष के विरोध में परीक्षाओं के बहिष्कार की योजना बाकी पेज 8 पर

जामिया प्रशासन का कहना है कि विश्वविद्यालय के बाहर हुई हिंसा में उनके छात्र कम और बाहरी लोग ज्यादा शामिल हैं।

पांच देशों ने सतर्क किया अपने नागरिकों को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

फ्रांस के बाद शनिवार को पांच अन्य देशों ने भारत के पर्यटन पर आए अपने नागरिकों को सतर्क किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा और सिंगापुर समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को पूर्वोत्तर की यात्रा करने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर उन देशों ने परामर्श जारी किया है। इजराइल ने अपने बाकी पेज 8 पर

अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा और सिंगापुर ने जारी किया परामर्श

असम में कल तक इंटरनेट सेवाएं बंद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

असम में सोशल मीडिया के कथित दुरुपयोग को रोकने और शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। अगले 48 घंटे के लिए इन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है।

असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह व राजनीतिक विभाग) संजय कृष्ण के मुताबिक, राज्य में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित रखे जाने को 48 और घंटों के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा बाकी पेज 8 पर

शालीमार बाग में घर में लगी आग, तीन महिलाओं की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में शनिवार शाम एक घर में लगी भीषण आग में तीन महिलाओं की मौत हो गई और दो बच्चों सहित चार लोग झुलस गए। पुलिस और दमकल के बचाव दलों की टीम ने देर रात घर से सभी लोगों को पास के फोर्टिस अस्पताल में पहुंचाया जहां झुलसे लोगों का इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच में रसोई में आग लगने की बात सामने आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि उत्तर-पश्चिम जिले के शालीमार बाग इलाके के बीक्यू ब्लाक के मकान नंबर-140 में शनिवार शाम सवा छह बजे आग लगने की सूचना मिली। इस प्लाट पर बेसमेंट पार्किंग (स्टिल्ट) के अलावा उपर तीन मंजिल उपर मकान बना हुआ है। आग भूतल पर बने एक घर में लगी और फिर प्रथम और दूसरे तल पर फैलती चली गई। उपर के दोनों मंजिलों पर महिलाएं और बच्चे घर में थे जो धुएं की चपेट में आकर बेहोश हो गए। पुलिस और बचाव दल ने दरवाजा तोड़कर महिलाओं को बाहर निकाला। अग्निशमन का बचाव दल नौ दमकलों के साथ मौके पर पहुंचा। उन्होंने घर में बेहोश सभी सात लोगों को बाहर निकालकर पास के फोर्टिस अस्पताल के आइसीयू में भर्ती कराया जहां रात में तीन महिलाओं को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चार का इलाज चल रहा है। मरने वालों में तीनों महिलाएं हैं। इनकी पहचान 75 साल की कांता देवी, 65 साल की किरण और 45 साल की सोमवती के रुप में हुई है। झुलसे लोगों में 68 साल की लाजवंती देवी, 28 साल की ईना, 16 साल का अक्षित और 14 साल की वंशिका है। शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों के रूप में रसोई घर में लगी आग की बात सामने आई है। यह घर भी बंद बताया जा रहा है।

दो बच्चों सहित चार झुलसे, भूतल पर लगी आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में लिया

पुलिस को शाम सवा छह बजे मिली आग लगने की सूचना, तुरंत नौ दमकलों के साथ मौके पर पहुंचा अग्निशमन का बचाव दल

सात लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया जिनमें तीन महिलाओं की मौत हो गई

नमामि गंगे की समीक्षा : प्रधानमंत्री ने कहा

गंगा सफाई के लिए लोग भी आएं आगे

कानपुर, 14 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में 'नमामि गंगे' परियोजना पर मंथन किया। उन्होंने राष्ट्रीय कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन की बैठक की अध्यक्षता की।

करीब दो घंटे तक चली बैठक में नमामि गंगे के अगले चरण और नए एक्शन प्लान को लेकर विमर्श के साथ ही कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मोदी ने अटल घाट पहुंचकर स्टीमर के जरिए गंगा की सफाई का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री अटल घाट पहुंचे और मां गंगा को नमन किया। इसके बाद नौका में सवार होकर गंगा में यात्रा शुरू करके अविरलता और निर्मलता का जायजा लिया। गंगा बैराज की सीढ़ियों पर चढ़ते समय प्रधानमंत्री मोदी अचानक फिसल गए।

समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

'नमामि गंगे' परियोजना पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहे।

बैठक में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा की स्थिति को लेकर मंथन किया गया।

गंगा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता बारादरी

फैजाबाद के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता लल्लू सिंह का कहना है कि अयोध्या को सिर्फ मंदिर की नजर से नहीं देखना चाहिए, यह तो राम के आदर्श का केंद्र है। राम ने जो आदर्श स्थापित किए, वह पूरे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। विस्तृत बातचीत पेज-7 पर

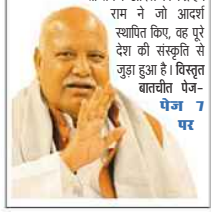

नृत्यांगना लीला सैमसन पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने चेन्नई स्थित कलाक्षेत्र फाउंडेशन के कुथंबलम सभागार के पुनरुद्धार की 7.02 करोड़ रुपए की परियोजना में कथित अनियमितताओं और ज्यादा भुगतान के आरोपों के मामले में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना और संगीत नाटक अकादमी की पूर्व प्रमुख लीला सैमसन के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि पद्मश्री से सम्मानित और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष सैमसन के अलावा फाउंडेशन के तत्कालीन मुख्य लेखा अधिकारी टीएस मूर्ति, लेखा अधिकारी एस रामचंद्रन, इंजीनियरिंग अधिकारी वी श्रीनिवासन और 'सीएआरडी' के मालिक और चेन्नई के इंजीनियरों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

सीबीआइ ने आरोपियों के आवासीय परिसरों पर भी छापेमारी बाकी पेज 8 पर

सात करोड़ की परियोजना में वित्तीय अनियमितता का आरोप

75 हजार करोड़ की अटकी परियोजनाओं को हरी झंडी

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

रेल मंत्रालय 75 हजार करोड़ रुपए की फंसी हुई रेल परियोजनाओं को दौड़ाएगा। देश भर में ऐसी 68 योजनाओं पर काम हो रहा है। इनमें रेलवे लाइन विस्तार, पुल, अंडरपास समेत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी. के. यादव ने बताया कि ये परियोजनाएं एक साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए योजनाओं को 'गंभीर' (जिन पर अभी अधिक पैसा खर्च नहीं हुआ है) और 'अत्यंत गंभीर' (जिन पर अधिक पैसा खर्च हुआ) श्रेणी में बांटा गया है।

सबसे पहले 68 अत्यंत गंभीर श्रेणी की परियोजनाएं होंगी पूरी

एक साल में पूरा करने का लक्ष्य

रेल मंत्रालय 126 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। मंत्रालय की योजना है कि सबसे पहले 'अत्यंत गंभीर' श्रेणी की योजनाओं को लागू किया जाए। इस श्रेणी में रेल मंत्रालय काफी पैसा खर्च बाकी पेज 8 पर

दरअसल

प्रदर्शन में गूंजा 'जय आई असोम' नारा

असमिया गमछा

राज्य की पहचान के तौर पर पेश किया

सांस्कृतिक बोध और सत्ता का विरोध

गुवाहाटी, 14 दिसंबर (भाषा)।

'हो! हो!' की गूंज के साथ असमिया 'गमछा' और 'जय आई असोम' का नारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ असम में हो रहे उग्र विरोध प्रदर्शन का प्रतीक बन गया है। हाथ से बने सफेद और लाल धारी वाला सूती 'गमछा' पारंपरिक रूप से असम में बड़ों और मेहमानों को सम्मान के रूप में दिया जाता है।

इसे राज्य की पहचान के तौर पर पेश करने के लिए प्रदर्शनकारी इसका उपयोग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन नागरिकता कानून से असम की पहचान को खतरा है।

शहर के एक कॉलेज की 18 वर्षीय छात्रा अरुणिमा बरुआ ने कहा, 'राज्य के लोगों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान दांव पर है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 'गमछा' लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति और अस्तित्व के हमारे गौरव को दर्शाता है। -अरुणिमा बरुआ, 18 वर्षीय छात्रा

"राज्य के लोगों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान दांव पर है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 'गमछा' लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति और अस्तित्व के हमारे गौरव को दर्शाता है।' कई छात्र 'गमछा' लिए हुए थे, जिन पर 'नो कैब', 'कैब वापस लो', 'असम डंपिंग ग्राउंड नहीं है', 'हम बांग्लादेशियों का बोझ और नहीं झेल सकते' जैसे नारे लिखे हुए थे।

सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे प्रदर्शनकारी 'जय आई असोम (असम माता की जय) का नारा लगा रहे थे।

व्यवसायी ब्रोजेन डेका ने कहा, ''हमारी मातृभूमि के भविष्य को खतरा है और हमें इसे उन खतरों से बचाना होगा जो इस अधिनियम के लागू होने के कारण उत्पन्न हो सकते हैं।'

सांस्कृतिक और भाषाई पहचान दांव पर है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम

रविवारी

15 दिसंबर, 2019

मानसिकता में खोट

बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को रोकने की मंशा से कई कड़े प्रावधान किए गए, पर उनमें निरंतर बढ़ोतरी ही दर्ज हो रही है। इसके पीछे बड़ी वजह दूषित मानसिकता है। बता रही हैं नाज खान।

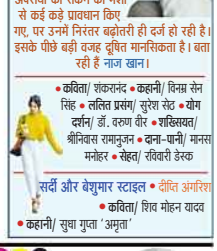

- कविता/ शंकरानंद • कहानी/ विनम्र सेन सिंह • ललित प्रसंग/ सुरेश सेठ • योग दर्शन/ डॉ. वरुण वीर • शख्सियत/ श्रीनिवास रामानुजन • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

सर्दी और बेशुमार स्टाइल • दीप्ति अंगरिश

- कविता/ शिव मोहन यादव
- कहानी/ सुधा गुप्ता 'अमृता'

जनसत्ता

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I Aftab Reyaz S/o Riyaz Alam residing at H-190, Anandvas Shakurpur, North West Delhi-110034 declare that name of my father has been wrongly written as MD Reyaz in my educational documents. The actual name is my father is Riyaz Alam respectively which may amended accordingly. 0040524264-8

I, Virendra Pratap Singh S/o Bansh Narayan Singh R/o-23/E, Sahadatpur, Maunath Bhanjan, Mau-275101, UP have changed my name to Virendra Singh. 0040524261-3

I Akanksha Parasar D/O Munmun Singh R/O 24 Dheeraj Block, South Ganesh Nagar, Delhi-110092 have changed my name to Akanksha Parashar vide affidavit dated 11/12/2019 at Delhi 0050159785-1

I Jyoti Giri S/o Sh.Parmeshwar Giri R/o A-79, Flat No.201, First Floor, Kh. No.825, Chhattarpur Extension, New Delhi-110074 have changed my name to Parkashanand for all purposes. 0040524226-2

I Mohd Hamid Ahmed S/O Anis Ahmed, R/O-D-69, Band Gali, Chauhan Bangar, Delhi-110053 have changed my name to Hamid Ahmed. 0040524264-5

I Mohit Gupta S/o Late Sh.Raj Kumar Gupta R/o 441, UGF, Block-AG, Shalimar Bagh, Delhi-110088 have changed my name to Mohit Kumarr Gupta for all purposes. 040524226-3

I Narender Nath S/o Amin Chand Sethi R/o ED-67 Tagore Garden Delhi have changed my name to Narender Nath Sethi. 0040524259-5

I Tufel Ahmed alias Md.Tufail Ansari S/o Abdul Khaliq Ansari R/o A-79, Amar Puri, Kumhar Wali Gali, Nabi Karim, New Delhi-110055 have changed my name to Mohd.Tufail Ansari for all purposes. 0040524226-1

I hitherto know as Pratibha Roy D/O Lallan Kumar Roy W/O Sh.Binit Kumar Sharma R/O-534 first-floor DDA-Janta Flats Pul Pehladpur New Delhi-110044 have changed my name and shall hereafter be known as Pratibha Sharma. 0040524259-10

I, Akhilesh Trivedi R/o 799 Sector-21A Faridabad Haryana-121001 have changed my minor daughter name from Medha to Medha Trivedi. 0040524259-2

I, Anil Kumar S/O Mohan Ram Arya H.No-9 Green Avenue Near Church D-3 Vtc VasantKunj Delhi-110070.New Name Anand Kumar Arya. 0040524261-6

I, Anita Rani,W/oVasdev Arora, R/o 1/227, Subhash Nagar, Delhi-110027, have changed my name to ANITA ARORA. 0040524232-1

I, Arjun Chanchela S/o Kanwar Nawab Singh R/o-WZ-102 Khyala-Village Tilak Nagar Rajouri Garden Delhi-110018 changed my name to Arjun Chandila. 0040524264-3

I Bhanupratap S/o Kailash Chand R/o-63A G.N.8 BalbirNagar Extn. Shahdara Delhi-32 have changed my name to Bhanu Pratap Sharma. 0040524259-6

I, Arun Chand S/o Sh. P.C. Rajwar@Prem Chand@Prem Chand Rajwar R/o:WZ-62A, Gali No.-1, Raj-Nagar-II, Palam-Colony, New-Delhi-110077, Have Changed My Name To Arun Chand Rajwar For All Future Purposes. Arun Chand & Arun Chand Rajwar are one and same Person. 0040524261-9

I, Brij Bihari Gupta S/o Mohan Lal Gupta R/o E-3/28, Sector-7, Rohini, Delhi, have changed my name to Brij Gupta permanently. 0040524256-1

I, Chandni Kakkar D/o Harish Chandra Kakkar W/o Preet Singh R/o-4/537 Gali No.4, Bholanath Nagar, Shahdara Delhi-110032, have changed my name to Chandni Kaur Mahal for all purposes. 0040524259-3

I, Dharampal Alias Dharam Pal Chhabra S/O Shanu Ram R/O D-37, Ashoka Road, Adarsh Nagar Extn Adarsh Nagar N.S.Mandi Delhi-110033 Have Changed My Name To Dharam Pal Chhabra For All Purposes. 0040524293-2

I, Harish S/o Gyan Singh R/o-A-643, Shastri Nagar Delhi-110052 have changed my name to Harish Rathore for all purposes. 0040524259-8

I, Harshita, D/O Ajay Chauhan, R/O-Flat.No-26, Gaur galaxy Apartments, Sec-5, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201010, have changed my name to Harshita Chauhan. 0040524293-4

I, Honey Grover W/o Deepak Grover R/o 1949 Multani Mohalla Rani Bagh, Delhi, have changed my name to Hunny Grover permanently. 0040524256-2

I, Sunil Kumar S/o Radhey Shyam Sharma R/o R-9/282, Raj Nagar, Ghaziabad have changed my daughter's name from Tarini Sharma to Taarini Sharma. 0040524261-2

I, Suneeta Rani D/o Late Jai Dev Dhingra W/o Sanjay Bhutani R/o-389, Chhattarpur, New Delhi-110074, have changed my name to Sunita Bhutani for all purposes. 0040524293-3

I, Shivani Jain W/O Manish Jain R/O-67 1st-Floor, Rameshwar-Nagar, Delhi-110009 Have Changed My Minor Son's Name From Navkar Jain To Navkaar Jain For All Purposes. 0040524261-7

I, Shayda Begum W/O Mohammad Rafi R/O-C-25 Gali.No-7 C-Block Brahampuri Shastri-Park Delhi-110053. Have Changed My Name To Shaheeda Begum. 0040524261-8

I, Sandhya Bareja W/o Jai Gopal R/o-230 Pitampura Village Delhi-110034, have changed my name to Sandhya Baniwal for all purposes. 0040524259-7

I, Rinki Jha W/o Naveen Kumar R/o-139 TF Pocket B-6 Sector-3 Rohini Delhi-85 have changed my name to Rinki. 0040524259-4

I, Raees S/o Fazal Din R/o TH-18, Sonia Gandhi Camp, Kailash Nagar, Gandhi Nagar, Delhi-110031, have changed my name Raees to Raees Ahmed for all future purpose. 0040524143-1

I, Puja Arora W/o Sanjay Arora R/o-10-A, First-Floor, Gagan Vihar Extn, Krishna Nagar, Delhi have changed my name to Pooja Arora. 0040524261-1

I, Pawan K Garg S/O Narata Ram Agarwal R/O G-27/142-143, I-Floor, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Changed My Name To Pawan Kumar. 0040524264-1

I, Pawan Garg S/O Narata Ram Agarwal R/O G-27/142-143, I-Floor, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Changed My Name To Pawan Kumar. 0040524264-2

I, Omprkash Bhatt S/o Khila Nand Bhatt R/o-RZ-F/34-A, West-Sagar Pur, New Delhi-110046, have changed my name to Om Prakash Bhatt. 0040524264-4

I, No.890090615 ASI/MEDIC, Chandar Moli Kumar, S/o-Late Fodi Rai, Currently-residing,in RZ-64, A-Block, Somesh-Vihar, Chhawla, N.Delhi-71,confirm that this is my permanent address.In service-record my address is recorded,as village-Ranidih, Post-Office-Ghoranji, PS-Dewari, Tehsil&Distt.-Giridih State-Jharkhand-815314. which was my previous address. 0040524264-9

I, Namrata Jaiswal W/o Pradeep Kumar R/o E-1018, Ashiana, Mehrauli, have changed my name after marriage to Namrata Pradeep for all purposes. 0040524230-1

I, Munesh Chandra S/o Sarnam Singh R/o G-17 Vijay Vihar Phase-2 Rohini Delhi-85, have changed my name to Munish Chand. 0040524259-1

I, Mohd. Nisar S/o Mohd.Akhlak R/o-H.No.231-32, I-Block, Shakurpur, J.J.Colony, Delhi-110034. have changed my name from Nisar to Mohd. Nisar for all purposes. 0040524259-9

I, Mohammed Yamin Bachchu S/o Mohammed Achhan, R/O 1017 Gali No.32 Jafrabad Delhi-110053 Have changed my name to Mohammad Yamin. 0040524264-7

I, Manoj Jain S/o Rajinder Kumar Jain R/o C-51, Prem Kutir Apartment Sector-9, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Manoj Kumar Jain. 0040524293-1

I, Latha M.P. D/o Damodaran Edakkalavan Koroth Nambiar R/o-H.No.H-4/43, Flat-No.201, Mahavir-Enclave,N.Delhi-45 changed my name to Latha Vinod Nambiar. 0040524261-5

I, Km.Rubi D/o Shahid Husain W/o Ali Naqi, R/O-H-140, T-Huts, New Seelampur Delhi-110053 have changed my name to Ruby Ali. 40524264-6

I, Japji Lamba W/o Rattandeep Singh R/o-H.No-79 Narang Colony Janakpuri, New Delhi 110058, have changed my name to Japji Kaur Chadha. 0040524261-4

I, Keerti Vardhan S/o Bhagwati Prasad Kukreti R/o-C-22, Ist/Floor,Housing Society, South Extension Part-1, N.Delhi-110049,have changed my Name to Keerti Vardhan Kukreti. 0040524168

खोया+पाया

I, Navneet Singh S/o Joginder Singh R/o-3152 Punjabi-Basti Subzi Mandi Delhi-7 have lost my 10th-Original CBSE certificate Roll No.8151279 Year-2012 Cont.9911117144. 0040524274-7

My Original Certificate 10th Class Year 1983 Roll-27667, 10+2 Year 1986 Roll 310551 And Other Documents Burnt In Fire On December 04, 2019 In My Office. Yusuf Shah, I-90/A Batla House, New Delhi. 0040524264-10

Lost My original possession slip dated-30.12.87 and NOC dated-20.10.87 issued by DDA for property F-132A MIG Flats GTB-Enclave Delhi-110093, Finder Contact Swami Sharan Aggarwal-9891354076. 0040524274-6

I, Md Mohtashim khan S/O Ikhlas A Khan lost my original Master's Degree (Roll No:-10 MSW015, Enrollment No:-08-4700)issued by Jamia Millia Islamia University in the year-2012. Lost date 19th-Nov-2019. Kindly return If found Contact-9990926559. 0040524261-10

I, SHIKHA CHOUDHARY D/o Jytandar Choudhary R/o Village-chilla village Delhi-110091 have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8150762 CBSE Delhi 0040524274-5

PUBLIC NOTICE

FOR AND ON BEHALF OF MY CLIENT (1) SH. SHYAM SUNDER JOSHI S/O LATE SH. S. K. JOSHI & (2) SMT. RAJ KUMARI JOSHI W/O SH. SHYAM SUNDER JOSHI BOTH R/O FLAT NO. 34, JAGDAMBA APARTMENTS, SECTOR -13, ROHINI, DELHI-110085, I RENU BALA (ADVOCATE) SERVE THIS PUBLIC NOTICE THAT HENCEFORTH MY CLIENT HEREBY SEVERE ALL THEIR RELATION WITH THEIR SON HIMANSHU JOSHI, THEIR DAUGHTER-IN-LAW APURVA JOSHI (MAIDEN NAME APURVA SHARMA) R/O UNKNOWN AND HEREBY DEBAR AND DISOWN THEM FROM ALL THEIR MOVABLE & IMMOVABLE PROPERTIES, AS THEY ARE NOT OBEDIENT TO MY CLIENT & DUE TO THEIR DISRESPECTFUL, THREATING, OUT OF CONTROL BEHAVIOR. ANYONE DEALING WITH THEM WILL BE DOING SO AT HIS/HER/THEIR OWN RISKS AND IN CASE THEY HURT OR MAKE FRAUD WITH ANYONE, MY CLIENT SHALL HAVE NO CONCERN.

Sd/-
RENU BALA (Advocate)
Enrol No. D-4533/2014

PUBLIC NOTICE

This is for the information of general public that my client Sh. Avinash Chander Sharma S/o Sh. Satya Paul Rattan R/o 16-A, Jhang Apartment, Sector-13, Rohini, New Delhi-110085 has severed all his relations and connections with his son Kunal Rattan and his wife Aakriti W/o Kunal Rattan because of their abusive and undesirable behavior. They are out of control of my client, hence my client has debarred and disowned them from all his moveable and immoveable properties. Anybody dealing with them shall do so at their own risk and responsibility. My client and his family members shall not be responsible for their acts.

SURINDER SINGH (Advocate)
Ch. No. 311, Rohini Courts, Delhi-110085
(M) [illegible]

PUBLIC NOTICE

Take note that the original document i.e., share certificate issued by Unique Apartments CGHS Ltd. bearing Membership No. 63 dated 05.12.2019 pertaining to Flat No. B-604, Unique Apartments CGHS Ltd., Dwarka, Sector-6, New Delhi owned by Smt. Madhu Bala has been lost. Finder may Contact at 08750568868.

PUBLIC NOTICE

I Mandeep Singh S/o Sh. Charanjit Singh R/o 206, SFS Flats, Rajouri Appartments, New Delhi have lost original GPA, Agreement to Sell, Receipt, Will & Possession Letter executed 13-09-1989 by Sh. Hemant Sharma Prop. of M/s A.K. Enterprises in favour of Sh. K.K. Pawa & original GPA, Agreement to Sell, Receipt, Will & Possession Letter executed on 14-12-1989 by Sh. K.K. Pawa in favour of Mandeep Singh of Flatted Factory No. 76, Block-A, Jhandewalan Flatted Factory Complex, New Delhi. Finders may contact at: 9971797562.

PUBLIC NOTICE

This is to inform you all public at large that my clients Sh. Ram Kumar Son of Shri Ram Samuj and Smt. Meenakshi W/o Ram Kumar both are resident of H. No. C-1, F/F, Rama Park Extension, Uttam Nagar, West Delhi, Delhi-110059 has disconnected all their relations and debarred their son Mr. Chaitanya Yadav from all immovable and movable property, assets, Bank accounts etc. If any person deal him in any manner then he will solely responsible for the same.

Roshni (Advocate)
Ch. No. 563,
Patiala House Courts,
N. Delhi-01

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT SHRI SURESH SINGH GAHLAUT SON OF LATE SH. BALBIR SINGH, RESIDENT OF 574, NANGLOI NILOTHI, DELHI-110041, SELLING HIS PROPERTY BEARING NO. 94 IN POCKET-4 & 5, SECTOR-23, BUILT ON LAND AREA MEASURING 330 SQ. MTRS, SITUATED IN THE LAYOUT PLAN OF ROHINI RESIDENTIAL SCHEME, ROHINI, DELHI. WHOSOEVER HAS ANY OBJECTION LEGALLY OR FACTUALLY TO THE SAID TRANSACTION, MAY CONTACT SHRI SURENDER KUMAR (ADVOCATE) SHOP NO. 6, RU-BLOCK, DDA MARKET, PITAMPURA, DELHI-110034, MOBILE NO. 9811517537, 9213597617, AND MY CLIENT MOB NO. 9958596465. ALONG WITH ALL LEGAL AND VALID DOCUMENTARY PROOF WITHIN A PERIOD OF 10 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS PUBLIC NOTICE.

SURENDER KUMAR (Advocate)
Enrl. No. D-152/88

PUBLIC NOTICE

Freehold Flat No. 323, on Ground Floor, Pocket-3-C, Group-2, Sector-16B, Dwarka, New Delhi, public at large is hereby informed that the captioned property is subject matter of equitable/registered mortgage with State Bank of India. It is further informed to the public at large that proposed sale deed will be executed by Sh. Naresh Kumar Walia in favour of SH. DIWAKAR SINGH MAURYA and (2) SMT. SUMAN MAURYA. As Sh. Naresh Kumar Walia purchased the property from Sh. Narender Yadav who bought it from Sh. Om Prakash and Smt. Janak Rani and that the documents executed by them in favour of Sh. Narender Yadav have not been revoked or challenged. It is hereby notified that any person or entity, firm, bank, company, financial institution having claim any charge interest, lien or claim any charge interest, lien or claim on the basis of the document, Court judgment or otherwise and / or objection to thereof, he, she, they may lodge notify the same to the undersigned with the documentary proof Court judgment within 7 days from the day of publication failing which the title/transfer deed / sale deed executed in favour of Sh. Naresh Kumar Walia or its nominees shall be deemed to be clear and marketable without any defect, encumbrance, flaw and impediment and my client is / are free to create equitable/registered mortgage by deposit of chain of available title document with any person/firm/bank/company financial institution.

Waheeda Begum (Advocate)
Ch. No. 661, Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

That under the instruction on behalf of my client namely **Smt. Santosh Sharma W/o Lt. Sh. O.P. Sharma R/o 123, F-17 Sector-8, Rohini, Delhi-110085** is hereby declare as under;

That the elder daughter of our client i.e. Kavita Sharma w/o Swadesh Sharma is disobedient, disrespectful towards our client and is not according to her temperaments and is beyond the control of our client. She is committing acts against the social norms of our client and her family. She is a victim of various vices. That the aforementioned daughter has no speaking terms with our client and her acts and conduct are not in consonance with the requirement of our client and for her family. Presently, she is not taking care of our client in her old age. Therefore our client is adamant to disown her above name daughter i.e. Kavita Sharma from her inheritance absolutely and forever in respect of her all moveable and immovable properties. That our client shall not be held responsible for her any act, if any illegally or unlawfully committed by her. Thus, Our Client disown her daughter by her own free will, wish and desire without any influence or coercion.

ANJANI KUMAR
(ADVOCATE)

PUBLIC NOTICE

I, Rita Sharma W/o Late Major P.D. Sharma, Permanent R/o House Nos.: 2/10 Kalkaji - Extension, New Delhi-110019, Born Dated: 07.10.1940, Do hereby declare that I changed my Maiden Name Identified as one Ms. Usha Kaushal prior to my marriage. Changed Names Identified as One Mrs. Rita Sharma after marriage In-Fact held one and same Persons Bearing Unique Identification Aadhar Card Nos. 3124-7049-9004, Bonafide mistake observed on Official Records my Deceased Husband Bearing Personal Nos. IC 08276 PPO Nos. 1311930 00434 Be Hereinafter Corrected For All Future Purposes.

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री सुखबीर सिंह निवासी म.नं. बी-10/10, बी-ब्लॉक, रामगली, सुभाष मौहल्ला, घौण्डा, दिल्ली-110053 ने अपनी पत्नी सोनू कश्यप को उनके दुर्व्यवहार व कहना न मानने व ससुराल वालो के बहकावे में आने के कारण एवं गलत चाल चलन की वजह से अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध-विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में इसके किसी भी आपराधिक एवं दीवानी कार्य व लेन देन के लिए मेरे मुवक्किल व उसका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।

Sd/-
RAJIV PRATAP SINGH
(Advocate)
Enrl. No. D/255/09

PUBLICE NOTICE

JAGDAMBA PARSAD SINGH S/O SHRI B.B. SINGH, IT IS HEREBY INFORMED THAT WE ARE THE BONAFIED PURCHASER/LESSEE OF THE **MIG FLAT NO.A-14-A, RAJOURI GARDEN G-8, AREA, NEW DELHI.** and the orignal documents, ALLOTMENT LETTER, DEMAND LETTER possession slip, site possession, NOC electricity and water etc. of the said flat has been lost. An FIR to this effect has been lodged in Delhi Date-12.09.2019,FIR/NCR/LR No.-1545226/2019. If anyone found the same may please contect **JAGDAMBA PARSAD SINGH** Mob.9811243354. within 15 days from the date of publication of this notice,the person claiming any right interest objection with respect to this property can personaly inform or write to Dy. Director (LAB/HOUSING) 3rd floor, D Block, Vikas Sadan, New Delhi.

PUBLIC NOTICE

I Heena Sharma Advocate on behalf of my client Mr Chetan Arora and his wife Mrs Shiwali Arora along with his son namely Sahil Arora R/o Daisy 1602 Paramount Floraville, Plot no Gh-06 Sector 137 Noida , Uttar Pradesh 201301, cause this notice to the general public that my above mentioned clients have barred and disowned all relationship with Mr. Vishal chhabra ,who is the brother in law of My client Chetan Arora and Nimisha Chhabra (wife of Vishal Chhabra) My clients have no relationship whatsoever with either Vishal Chabbra or Nimisha Chabbra r/o 3/11 Block 3 Pant Nagar, Bhogal, Jarpura South Delhi 110014. hence both of them have no right whatsoever on my client or their movable or immovable property. That My clients publically declare not to have any relation with both Vishal Chabbra and Nimisha Chabbra whatsoever due to misconduct by Nimisha chhabbra. Hence my clients in order to live in peace and with dignity, breaks all relationships with above mentioned parties. If anybody deals with them in any manner, he/shall do so at his/her own risks, costs and consequences. My clients have no concern with them in any manner.

HEENA SHARMA ADVOCATE
2/75, West Punjabi Bagh,
New Delhi-110026

PUBLIC NOTICE

We, Adhikari & Co. (Advocates & Legal Consultants), under instructions of our clients Shri Gurinder Pal Singh S/o Late Shri Amar Singh and Smt. Rajinder Kaur W/o Shri Gurinder Pal Singh both Resident of 1/9326, Gali no. 7, West Rohtash Nagar Shahdara, Delhi-110032, do hereby inform the General Public at large that our aforesaid clients hereby Disassociate themselves from 1) Daughter Ms. Harpreet kaur, 2) Son Mr. Amneet Singh, and 3) Son Mr. Baljeet Singh, from all and any relations with them and further Disown them from the Moveable & Immovable Properties of our client whatsoever. Henceforth, the aforesaid children shall not have any Relations with our aforesaid clients, in any manner whatsoever. Any person dealing with the aforesaid persons, shall deal with them on his own Risk and Consequences without having any liability on our aforesaid clients.

Inder S. Adhikari (Advocate)
Ch.No. F-611, 4th Floor,
Karkardooma Court Complex,
Delhi

सार्वजनिक सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० मदन सिंह निवासी बी-116, सैक्टर-30, नोएडा ने संपत्ति संख्या बी-116, सेक्टर-30, नोएडा, श्री रचवन सिंह पुत्र श्री सोहिंदर सिंह, निवासी बी-116, सैक्टर-30, नोएडा से निबंधित अंतरण/विक्रय प्रलेख के माध्यम से क्रय की थी जोकि उप-निबंधक-प्रथम, नोएडा, दिनांक 05.10.2018 निबंधित है उपरोक्त संपत्ति श्रीमती सतनाम कौर की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र श्री रचवन सिंह के पक्ष में नोएडा द्वारा जारी म्यूटेशन पत्र संख्या-नोएडा/एजीएम(आर)/बी-116/30/2002/2497, दिनांक 06.04.2002 अंतरित हुई थी मैं उपरोक्त संपति श्रीमती शालिनी चढ़ा एवं श्री वरूण चढ़ा को विक्रय कर रहा हूँ, यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति नोएडा प्राधिकरण के आवासीय प्लॉट विभाग में 15 दिन के अन्दर दर्ज कराएं

रवि शंकर भदौरिया-अधिवक्ता

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my client Smt. Rose Mary wife of Late Shri Marian Hemrom, resident of House no. RZ-1/3B/290, Gali No.5C, Geetanjali Park West Sagarpur, New Delhi-110046, has disowned her daughter namely Ms. Nancy Hemrom and her husband Mr. Sukhvinder Singh from her all moveable and immoveable properties due to her disrespectful behavior, out of control and she has severed her relations with her for all intents and purposes with immediate effect. My client and her family members will not be liable for her acts, whatsoever done by her to anybody in future.

Ashok Kumar Tyagi & Associates
(Advocates), A-3, Main Najafgarh
Road, Uttam Nagar, Delhi-110059

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कश्मीर में भारी बर्फबारी जारी, देश के बाकी हिस्से से संपर्क टूटा

श्रीनगर, 14 दिसंबर (भाषा)।

कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी कश्मीर घाटी का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूटा रहा। हालांकि सात दिन बंद रहने के बाद उड़ान सेवाएं शनिवार दोपहर बहाल हो गईं। यातायात विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी के प्रवेश द्वार माने जाने वाले जवाहर सुरंग के आसपास भारी बर्फबारी के बाद गुरुवार शाम को राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। यातायात बहाल करने के लिए राजमार्ग को साफ करने के प्रयास जारी हैं।

कश्मीर घाटी में घने कोहरे और बर्फबारी के चलते श्रीनगर हवाईअड्डे पर खराब दृश्यता को लेकर लगातार सात दिन से निलंबित उड़ान सेवाएं शनिवार को बहाल हो गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) के एक अधिकारी ने बताया, 'उड़ानों का परिचालन सात दिन तक बंद रहने के बाद शनिवार दोपहर बहाल हो गया।' उन्होंने कहा कि श्रीनगर हवाईअड्डे पर दोपहर करीब सवा 12 बजे स्पाइस जेट की एक उड़ान पहुंची और उसने दिन में करीब एक बजे उड़ान भरी।

अधिकारी ने बताया कि खराब दृश्यता के कारण सुबह की उड़ानें रद्द रहीं, लेकिन मौसम में सुधार दर्ज करने पर हवाईअड्डे से दोपहर की उड़ानें परिचालित होने का कार्यक्रम है।

उन्होंने कहा, 'मौसम और दृश्यता में सुधार हुआ है। दोपहर की सभी उड़ानें अब सामान्य रूप से परिचालित होने वाली हैं।' पिछले शुक्रवार को खराब मौसम के कारण कई उड़ानें रद्द की गईं जबकि शनिवार से 13 दिसंबर तक किसी उड़ान का परिचालन नहीं हुआ।

घने कोहरे के चलते हवाईअड्डे पर दृश्यता 100 मीटर से भी कम हो गई थीं, जो विमान परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अधिकारी ने बताया, 'उड़ानों के परिचालन के लिए आवश्यक दृश्यता 1,000 से 1,200 मीटर होती है। लेकिन पिछले सप्ताह यह 100 मीटर से अधिक नहीं थी। इसलिए परिचालन प्रभावित हुआ।' पिछले एक सप्ताह से घाटी के अधिकतर हिस्सों में घना कोहरा छाया था, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई और लोगों, खासकर वाहन चालकों को परेशानी हुई।

राहुल के लिए उपयुक्त नाम 'राहुल जिन्ना' : भाजपा

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा)।

विनायक दामोदर सावरकर पर कटाक्ष करने वाले राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए भाजपा ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस नेता के लिए अधिक उपयुक्त नाम 'राहुल जिन्ना' है। भाजपा प्रवक्ता जी वी एल नरसिम्ह राव ने कहा, 'राहुल गांधी के लिए अधिक उपयुक्त नाम 'राहुल जिन्ना' है। आपकी मुसलिम तुष्टीकरण की राजनीति और सोच आपको मोहम्मद अली जिन्ना का वारिस बनाती है, सावरकर का नहीं।' भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल कभी भी राहुल सावरकर नहीं हो सकते, क्योंकि सावरकर देशभक्ति, बहादुरी और बलिदान के प्रतीक थे जबकि कांग्रेस नेता अनुच्छेद 370, नागरिकता कानून, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर वैसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं जैसी भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है।

नाबालिग से बलात्कार मामले में चार लोगों को 30 साल

बिलासपुर, 14 दिसंबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक अदालत ने 14 साल की एक लड़की से बलात्कार करने के अपराध में चार लोगों को 30 साल की कैद की सजा सुनाई है।

पीड़िता की वकील प्रियंका शुक्ला ने बताया कि तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तमांक ने शुक्रवार को चरण सिंह (30), ईश्वर ध्रुव (31), नागेश्वर रजक (26) और मनोज वाडेकर (35) को दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि अदालत ने चारों को 30 साल की कैद की सजा सुनाई तथा सिंह पर 21 हजार रुपए तथा अन्य तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

शुक्ला के अनुसार पीड़िता ने 20 फरवरी, 2017 को इन चारों के खिलाफ 2015 से ही उसके साथ बार-बार बलात्कार करने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने पीड़िता का अश्लील वीडियो बना लिया और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसका यौन शोषण किया। आरोपी इलाके में शराब की अवैध बिक्री में शामिल थे। वे सभी देवरीखुर्द के निवासी हैं।

नागरिकता कानून से बहुत कम लोगों को फायदा : सोनोवाल

गुवाहाटी, 14 दिसंबर (भाषा)।

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) कानून से बहुत कम लोगों को फायदा होगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि इससे जिन लोगों को फायदा होगा, उनकी सटीक संख्या उचित समय आने पर बताई जाएगी।

> मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को फायदा होगा, उनकी सटीक संख्या उचित समय आने पर बताई जाएगी।

सोनोवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'जो लोग (नागरिकता के लिए) आवेदन करेंगे उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। हम सरकार चला रहे हैं और हमारे पास आंकड़े हैं। उचित समय पर आपको संख्या बताई जाएगी।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो प्रत्येक जानकारी जनता के सामने प्रस्तुत की जाएगी। सोनोवाल ने आरोप लगाया कि अधिनियम के तहत असम में एक करोड़ से अधिक लोगों के प्रवेश जैसी खबर लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है। इस बीच, असम के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने शनिवार को बताया कि स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बताने का फैसला यहां भाजपा विधायकों और सांसदों की एक बैठक में किया गया है। पटवारी ने एक बयान में कहा कि टीम राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में बताने के जल्द ही दोनों नेताओं से मिलेगी। सोनोवाल ने ट्वीट किया कि बैठक में उन्होंने बैठक में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली और सांसदों, विधायकों, असम भाजपा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास असम की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की।

फतेहपुर में बलात्कार पीड़िता को जिंदा जलाया, हालत गंभीर

फतेहपुर, 14 दिसंबर (जनसत्ता)।

फतेहपुर जिले के एक गांव में शनिवार को 'उन्नाव कांड' दोहराया गया। यहां दोपहर में लड़की के साथ उसके रिश्ते के चाचा मेवालाल ने घर में घुसकर पहले बलात्कार किया, फिर केरोसिन तेल छिड़ककर उसको आग के हवाले कर दिया। नब्बे फीसद जल चुकी लड़की को कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहपुर के नगर पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) कपिल देव मिश्रा ने बताया कि हुसेनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार दोपहर 18 साल की लड़की अपने घर में अकेली थी ।

परिवार के अन्य सदस्य खेतों में काम कर रहे थे। उसी समय उसके रिश्ते के 22 वर्षीय चाचा ने घर में घुसकर लड़की से बलात्कार किया और लड़की के शिकायत करने की बात पर नाराज होकर उसके ऊपर केरोसिन का तेल छिड़क कर आग लगा दी।

मिश्रा ने बताया कि आग की लपटों से घिरी लड़की की चीख सुनकर गांव वालों ने किसी तरह आग बुझाई और पुलिस को सूचना दी।

उन्होंने बताया कि लड़की नब्बे फीसद जल चुकी है। पहले उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीओ ने बताया कि लड़की के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ बलात्कार और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। मिश्रा ने अब तक की जांच निष्कर्ष का हवाला देकर बताया कि पीड़िता और आरोपी युवक के बीच संबंध होने की जानकारी मिली है।

असम में फंसे यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा रेलवे

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा)।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच असम में फंसे यात्रियों की मदद के लिए रेलवे गुवाहाटी से विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।विशेष यात्री ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है ताकि लोग ऊपरी असम में अपने गंतव्य तक पहुंच सके। शुक्रवार को एक ऐसी ही ट्रेन का परिचालन दीमापुर के लिए किया गया। असम के गोलाघाट एवं डिब्रूगढ़ जिले के मुख्य जंक्शन फुरकेटिंग के लिए शनिवार को ट्रेनों का परिचालन किया गया। अधिकारी ने बताया कि आज रात एक विशेष यात्री ट्रेन का परिचालन गुवाहाटी से दीमापुर के लिए किया जाएगा।

पिछले दो दिनों में 2000 से 2400 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद की गई है। लगभग 600-800 यात्री अब भी गुवाहाटी में फंसे हुए हैं। इन लोगों को भी कल सुबह तक वहां से निकाल लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इन विशेष ट्रेनों के बारे में यात्रियों को बताने के लिए रेलवे फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सहारा ले रहा है।

मानव तस्करी में फरार कारोबारी के रिश्तेदारों का कारखाना ढहाया

इंदौर, 14 दिसंबर (भाषा)।

मानव तस्करी समेत कई आपराधिक मामलों में पखवाड़े भर से फरार चल रहे एक स्थानीय कारोबारी के करीबी रिश्तेदारों का अवैध कारखाना यहां शनिवार को ढहा दिया गया। इस कारोबारी की गिरफ्तारी पर इनाम की रकम बढ़ा कर एक लाख रुपए कर दी गई है।

इंदौर नगर निगम (आइएमसी) के अधिकारियों ने बताया कि पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से बना कारखाना जमींदोज कर दिया गया। इस कारखाने में इलेक्ट्रोप्लेटिंग (धातुओं से बनी वस्तुओं पर अन्य धातुओं की पतली परत चढ़ाना) का काम होता था।

संस्कृत को लेकर दिए बयान पर घिरे भाजपा सांसद

भोपाल, 14 दिसंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश के सतना से भाजपा के सांसद गणेश सिंह के संसद में किए गए दावे कि संस्कृत बोलने से मधुमेह और कोलेस्टॉल कम रहता है, पर सोशल मीडिया में उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

गणेश सिंह के बयान पर एक व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए ट्वीट किया, 'ये वे हैं जो 130 करोड़ लोगों के लिए कानून बनाते हैं। इन पर दया करें।' एक अन्य ने ट्वीट किया, 'यह विदेश भेजने लायक हैं। भाजपा सांसद गणेश सिंह असाधारण हैं और इन्हें तुरंत विदेश निर्यात कर देना चाहिए और वहां से कभी वापस न आएं।'

सिंह ने संसद में गुरुवार को दावा किया था कि अमेरिका की एक अकादमिक संस्था के रिसर्च के मुताबिक प्रतिदिन संस्कृत भाषा बोलने से नाड़ी तंत्र को बढ़ावा मिलता है और इससे मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल कम होती है।

हत्या के मामले में तीन डॉक्टरों को उम्रकैद

मेरठ, 14 दिसंबर (भाषा)।

मेडिकल कॉलेज मेरठ में 15 साल पहले एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष के छात्र सिद्धार्थ चौधरी की हत्या के मामले में तीन डाक्टरों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने इस मामले में तत्कालीन प्राचार्य ऊषा शर्मा को भी तलब किया है। इसकी सुनवाई अलग से होगी।

अभियोजन के अनुसार छह जुलाई 2004 को द्वितीय वर्ष के छात्र सिद्धार्थ चौधरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। उसकी लाश हॉस्टल के कमरा नंबर 38 में मिली थी। यह कमरा सचिन मलिक को आबंटित था। मृतक के माता-पिता मुजफ्फरनगर में डॉक्टर हैं। उन्होंने बेटे की मौत को संदिग्ध मानते हुए प्राचार्य से शिकायत की थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया था कि यह मौत स्वाभाविक नहीं है और यह हत्या है। मृतक के पिता डॉ. सुरेन्द्र सिंह ने चार अगस्त 2004 को थाना मेडिकल में साथी छात्र सचिन मलिक, अमरदीप सिंह, यशपाल राणा और तत्कालीन प्राचार्य ऊषा शर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 2006 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इस पर डॉ. सुरेंद्र ने एफआर के खिलाफ कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटिशन दाखिल की। सुनवाई के बाद अदालत ने नामजद तीन आरोपियों के तलब कर लिया जबकि ऊषा शर्मा की एफआर कोर्ट ने स्वीकार कर ली। इस मामले की सुनवाई एडीजे-एक गुरप्रीत सिंह बावा की अदालत में हुई। सरकारी वकील नरेश दत्त शर्मा, वादी के वकील योगेन्द्रपाल सिंह चौहान, गौरव प्रताप ने वादी सहित कुल 20 गवाह अदालत में पेश किए। बयानों व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को सचिन मलिक निवासी छपरौली बागपत, अमरदीप सिंह निवासी गुरदासपुर व यशपाल राणा निवासी मुजफ्फरनगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्एक को एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने तत्कालीन प्राचार्य मेडिकल कॉलेज ऊषा शर्मा को भी हत्या के आरोप में तलब किया है। इसकी सुनवाई अलग से होगी।

मदर डेयरी ने तीन, अमूल ने दो रुपए बढ़ाए दूध के दाम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

दिल्ली और आसपास के लोगों को दूध के लिए अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। मदर डेयरी और अमूल ने दूध की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। मदर डेयरी ने दो से चार रुपए तक कीमतें बढ़ाई हैं, अमूल ने दो रुपए की वृद्धि की है। नई दरें रविवार (आज) से लागू होंगी। मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में 30 लाख और अमूल 33 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करती है। इस साल मई में भी मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में प्रति लीटर दो रुपए का इजाफा किया था। कंपनियों की ओर से बताया गया है कि कीमतों में बढ़ोतरी का कारण दूध की कम आपूर्ति तथा खरीद की लागत में इजाफा बताया है। टोकन तथा पॉली पैक दोनों की कीमतें दो-तीन रुपए के बीच बढ़ाई गई हैं।

कंपनियों ने कहा कि मानसून लंबा खींच जाने तथा दूध उत्पादन के अनुकूल सत्र की देर से शुरुआत समेत विपरीत मौसम परिस्थितियों के चलते विभिन्न राज्यों में दूध की उपलब्धता कम हुई है। प्रतिकूल मौसम के कारण पशुचारा की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इसका असर दूध उत्पादकों को किए जाने वाले भुगतान पर पड़ा है। सर्दियों में कच्चे दूध की कीमतें समान्य रूप से कम हो जाती हैं, लेकिन इस बार बढ़ गयी हैं। कंपनी ने कहा कि दूध उत्पादक किसानों को किया जाने वाला भुगतान पिछले कुछ महीने में करीब 20 फीसद यानी छह रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गया है।

इस कारण उसे दाम बढ़ाने पर बाध्य होना पड़ा है। मदर डेयरी ने कहा कि वह दूध की बिक्री से होने वाली आय का करीब 80 फीसद सिर्फ खरीदने में ही खर्च कर देती है। अमूल ब्रांड नाम से डेयरी उत्पाद बेचने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) ने कहा, उसने गुजरात के अहमदाबाद तथा सौराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिम बंगाल, मुंबई एवं महाराष्ट्र में दूध के दाम में दो रुपए प्रति लीटर की वृद्धि का फैसला किया है।

हाय महंगाई

कितना बढ़ेगा खर्च

दूध कंपनी	नए दाम	पुराने दाम
मदर डेयरी फुल क्रीम (लीटर)	55	53 रुपए
फुल क्रीम (आधा लीटर)	28	27 रुपए
मदर डेयरी टोंड दूध (लीटर)	45	42 रुपए
मदर डेयरी डबल टोंड (लीटर)	39	36 रुपए
मदर डेयरी गाय दूध (लीटर)	47	44 रुपए
अमूल गोल्ड (एक लीटर)	55	53 रुपए
अमूल ताजा (एक लीटर)	44	53 रुपए
अमूल गाय दूध (एक लीटर)	44	42 रुपए

सितंबर में बढ़ी थीं कीमतें

सितंबर में कंपनी ने गाय के दूध के दाम भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया था। दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल मदर डेयरी का एक लीटर फुल क्रीम दूध 54 रुपए का मिलता है, जो रविवार से 57 रुपए हो जाएगा।

सरकारी जमीन की कच्ची कॉलोनियों पर भी मिलेगा मालिकाना हक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

कच्ची कॉलोनियों के लिए बनी प्रधानमंत्री उदय योजना (कच्ची कॉलोनी, दिल्ली आवास अधिकार योजना) के तहत अब सरकारी जमीन पर भी मलिकाना हक आसानी से मिल सकेगा। इन कॉलोनियों के लिए संसद से कानून पारित होने के बाद अब उपराज्यपाल ने सरकारी विभागों को ऐसी जमीन पर बसी कॉलोनियों की जमीन गैर अधिसूचित करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के बाद आसानी से कॉलोनियों में मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकेगा।

दिल्ली में ये कॉलोनियां निजी व सरकारी जमीन पर बसी हुई हैं। निजी जमीन पर बसी कॉलोनियों में मालिकाना हक देने में कोई भी तकनीकी पेच नहीं था। लेकिन सरकारी जमीन के लिए सरकारी विभागों का अधिकार एक बड़ी अड़चन थी। उपराज्यपाल अनिल बैजल के इन आदेशों से सभी विभाग दिल्ली भर की ऐसी जमीन को गैर अधिसूचित करेंगे। 1731 में से करीब 200-300 कॉलोनी सरकारी जमीन पर है। इन जमीनों के अधिकार के लिए ही उपराज्यपाल ने आदेश जारी किए हैं, इसकी मदद से आसानी से मालिकाना अधिकार की योजना को लागू किया जा सकेगा। इसके लिए भूमि सुधार नियम के तहत प्रावधानों का प्रयोग किया है। इन आदेशों में 69 कॉलोनियों को दायरे से बाहर रखा गया है।

केंद्र सरकार द्वारा कानून पारित होने के बाद से ही शहरी विकास मंत्रालय कॉलोनियों को नियमित करने के लिए इनके नक्शे बनाने की प्रक्रिया पर लगा है। दिसंबर अंत तक सभी कॉलोनियों के नक्शे तैयार करने की तैयारी है। जिन भी कॉलोनियों के नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर भी डाला जा रहा है। इन 1731 कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं। यह एक बड़ा वोट बैंक हैं। इसलिए अब तक इन कॉलोनियों को नियमित करना एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है।

भाजपा जहां केंद्र सरकार से कॉलोनियों में कानून लागू करने से बड़ी राहत होने की बात कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी बीते सालों में कॉलोनियों में किए गए कार्यों को अपने चुनावी प्रचार का हथियार बना रही है।

प्रशांत किशोर की कंपनी के साथ 'आप' का करार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

केजरीवाल ने खबर साझा करते हुए कहा कि इंडियन-पैक ने हमारे साथ हाथ मिला लिया है, उनका स्वागत है

विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक परामर्शदाता कंपनी आइपैक के साथ हाथ मिलाया है। यह कंपनी नेता प्रशांत किशोर की है। मामले में सोशल मीडिया पर रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर खुशी जाहिर की। उन्होंने अपने ट्वीट में इस खबर का जिक्र किया है और इस बार के चुनाव में 67 से अधिक सीट आने का दावा किया है। ये चुनाव अगले साल फरवरी में होंगे।

इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब चुनाव में 'आप' को एक कड़े प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखा गया था।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे यह खबर साझा करते हुए खुशी हो रही है कि इंडियन-पैक ने हमारे साथ हाथ मिलाया है और उनका स्वागत है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने उनके ट्वीट के जवाब में कहा कि पंजाब चुनाव में 'आप' को एक कड़े प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखा गया था।

किशोर की चुनावी प्रचार मशीन ने पंजाब में कांग्रेस के लिए पर्दे के पीछे से काम किया था। आइ-पैक ने ट्वीट किया कि पंजाब (चुनाव) के नतीजों के बाद हमने आपको अभी तक के अपने सबसे कड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्वीकार किया। 'आप' के साथ आकर खुश हैं।

ज्ञात हो कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' (आइ-पैक) अभी 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रही है। इससे पहले 'आइ-पैक' 2014 के आम चुनाव में भाजपा और विधानसभा चुनाव के लिए जदयू नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम कर चुकी है।

SBI भारतीय स्टेट बैंक स्लावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा, रिटेल
प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 25419177,25412977, e-mail: sbi.05169@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार एसबीआई, एस ए आर बी रिटेल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर उधारकर्ता मैसर्स हाना मोटर प्लाजा प्रा. लि., 74, पॉकेट नं.-27, सैक्टर-24 रोहिणी दिल्ली-110085 से दिनांक 26.03.2019 तक प्रतिभूत लेनदार की रु. 832.00 लाख रूपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 22.01.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रु. 616.00 लाख और अग्रिम जमा धन राशि रु. 61.60 लाख होगी और जिसे जमा करने कि अंतिम तिथि 20.01.2020 है। निरीक्षण की तिथि : 16.01.2020
(सम्पत्ति नं. 74, पॉकेट नं. 27, सैक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित, प्लॉट क्षेत्रफल 207 वर्ग मी. लगभग) यह सम्पत्ति श्री आर.सी मदन के नाम पर है।
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृप्या नीचे दिए गए वेबसाईट पर देखें।
https://sbi.auctiontiger.net, http://www.sbi.co.in
दिनांक 14-12-2020, स्थान : नई दिल्ली हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

सार्वजनिक घोषणा
रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि का विस्तार

भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के तहत 'फॉर्म ए' में "सार्वजनिक घोषणा", फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) में 18 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली और एनसीआर तथा लखनऊ संस्करण में प्रकाशित किया गया था। सार्वजनिक घोषणा मैसर्स रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लेनदारों को अपने दावे 29/10/2019 को या उससे पहले अधोहस्ताक्षरी के पास सबूत के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, मैसर्स रोहतास प्रोजेक्ट्स के अंतरिम समाधान प्रोफेशनल होने के नाते।

तत्पश्चात, अधोहस्ताक्षरी ने रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की परियोजनाओं के आवंटियों से विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए, समय के विस्तार के लिए कई आवेदन प्राप्त किए थे, जिसमें माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपीलीय अधिकरण के आदेश दिनांक 25.10.2019, जिसमें लेनदारों द्वारा समिति के गठन पर रोक भी शामिल थी। उपरोक्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12/12/2019 में, दावों को 29/12/2019 तक दायर करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

तदनुसार, इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि दावों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 29 दिसंबर 2019 तक बढ़ाई जा रही है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है:

1. वे सभी लेनदार, जिन्होंने अभी तक अपने दावों को प्रस्तुत नहीं किया है, कृपया इस घोषणा के अनुसार अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि पूर्व में प्रस्तुत दावों को पुनः न भेजें।
2. प्रासंगिक प्रपत्रों के लिए, कृपया https://ibbi.gov.in/home/downloads पर जाएं।
3. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता एफ-1, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059 है।
4. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के साथ दावे और पत्राचार भेजने के लिए ईमेल cirp.rohtas@gmail.com है और इसके साथ-साथ cirp.rohtas@rediffmail.com पर भी भेजें।
5. दावे के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करना दंड को आकर्षित करेगा।
6. दावों को प्रस्तुत करने के अन्य सभी नियम और शर्तें हमारी पूर्व की सार्वजनिक घोषणा दिनांक 18/10/2019 के अनुसार समान रहेंगी।

हस्ताक्षर/-
मुकेश गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
[IBBI/IPA-001/IP-P-01494/2018-2019/12254]
तिथि : 15. 12. 2019
स्थान : नई दिल्ली

केनरा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Canara Bank (A Govt. of India Undertaking)
शाखाः हस्सनपुर
अनाज मंडी के निकट, हस्सनपुर-121107

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज, लागत आदि के अतिरिक्त नीचे वर्णित राशि के लिए केनरा बैंक शाखाः हस्सनपुर रोड, होडल, जिला पलवल के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि
1) मै. पैस्को स्कॉल्स	श्री भगत सिंह के नाम में पंजीकरण उप-जिला हस्सनपुर तथा जिला पलवल के भीतर ग्राम सेहनोली में किला नं. 6/8(8-8) में शामिल सम्पत्ति, माप 125 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः श्री संजीव की संपत्ति, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः श्री धरमवीर की सम्पत्ति, पश्चिमः खाली प्लॉट	रु. 6,51,734/- (रुपए छह लाख इक्यावन हजार सात सौ चौंतीस मात्र) तथा उस पर ब्याज।	30.9.2019	12.12.2019
2) श्री धरमवीर	श्री धरमवीर के नाम में पंजीकरण उप-जिला हस्सनपुर तथा जिला पलवल के भीतर ग्राम सेहनोली में किला नं. 6/8(8-8) में शामिल सम्पत्ति, माप 125 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः श्री संजीव की संपत्ति, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः श्री ओम प्रकाश की सम्पत्ति, पश्चिमः श्री भगत सिंह की सम्पत्ति	रु. 7,51,127/- (रुपए सात लाख इक्यावन हजार एक सौ सत्ताईस मात्र) तथा उस पर ब्याज।	30.9.2019	12.12.2019
3) श्री ओम प्रकाश	श्री ओम प्रकाश के नाम में पजीकरण उप-जिला हस्सनपुर तथा जिला पलवल के भीतर ग्राम सेहनोली में किला नं. 6/8 (8-8) में शामिल सम्पत्ति, माप 125 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः श्री संजीव की सम्पत्ति, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः ओम प्रकाश की सम्पत्ति, पश्चिमः श्री धरमवीर की सम्पत्ति।	रु. 482286.92/- (रुपये चार लाख बयासी हजार दो सौ छियासी तथा पैसे बानवे मात्र)	30.9.2019	12.12.2019
4) मै. श्री राम ट्रेडिंग क.	श्रीमती माया के नाम में पंजीकरण उप-जिला हस्सनपुर तथा जिला पलवल के भीतर ग्राम हस्सनपुर में खेवत नं. 361/384, रेक्ट नं. 63, किल्ला नं. 32/2 (23-3) में एक दुकान से शामिल सम्पत्ति, माप 01 मरला (30.25 वर्ग यार्ड) का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः मै. प्रिया इन्वर्टर्स की दुकान, दक्षिणः अन्य दुकान, पूर्वः रोड तथा बस स्टैंड, पश्चिमः टैगोर स्कूल	रु. 854993.00/- (रुपये आठ लाख चौवन हजार नौ सौ तिड़ानवे मात्र तथा उस पर ब्याज)	30.9.2019	12.12.2019

तिथिः 15.12.2019, स्थानः हस्सनपुर प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India
आंचलिक कार्यालय, देहरादूनः महावीर टॉवर, सेंट जूड्स, क्रॉसिंग, शिमला बायपास रोड, सेवला कलां, जिला देहरादून-0135-2640046, 2641002
Email: Dehradun.ARD@bankofindia.co.in
ई-नीलामी सूचना

वर्णित परिशिष्ट-IV क [नियम 8(6) परन्तुक देखें] अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/भौतिक कब्जा (जहां भी जो भी लागू होता है) प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीलाम किया जाएगा। "नीलामी के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया दी गई वेबसाइट https://boi.auctiontiger.net देखें।

गुणों के जांच की तारीख	ईएमडी और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि और समय	ई नीलामी की तारीख और समय
दिनांकः 20.01.2020 प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक संबंधित शाखा से सम्पर्क करें	दिनांकः 23.01.2020 सायं 05.00 बजे तक ऑनलाइन/ऑफलाइन से	दिनांकः 24.01.2020 सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ

क्र. सं.	एनपीए खाते का नाम एवं शाखा	चल/अचल सम्पत्ति/यों का विवरण	मांग नोटिस तिथि / बकाया राशि	खाते का नाम/आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा ईएमडी जमा	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/फोन नंबर/ईमेल आईडी	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	श्री सुरेन्द्र पाल एवं श्रीमती नवनीता कुमारी ऋणी:- शाखाः हल्द्वानी	बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व खंड सम्पत्ति माप 560 वर्ग मीटर, खाता नं0 00422, खसरा नं. 797 Min, ग्राम [illegible] परगना, रुद्रपुर तहसील किच्छा, जिला उधम सिंह नगर, में स्थित, सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती नवनीता कुमारी पत्नी श्री सुरेन्द्र पाल	20.01.2018 / रु0 15,10,326.96 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 01.01.2018 से	खाता: विविध आइटम्स / खाता सख्या: 70510SUNCR099 / IFSC : BKID0007051	श्री राजेश कुमार फोन नं.: 08001176344 E Mail I.D -Dehradun.ARD@bankofindia.co.in	24.10 लाख / 2.50 लाख / 0.25 लाख
2.	श्री मौहम्मद उजेर ऋणी:- शाखाः हल्द्वानी	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय संपत्ति स्वामी श्री मौहम्मद उजेर स्थित खाता नं0 00058, खसरा नं0 415 मिन, ग्राम बाराखेड़ा, परगना तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंह नगर, माप 0.146 हेक्टेयर	07.10.2017 / रु0 17,53,344/- + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 30.09.2017 से	खाता: विविध आइटम्स / खाता सख्या: 70510SUNCR099 / IFSC : BKID0007051	श्री राजेश कुमार फोन नं.: 08001176344 E Mail I.D -Dehradun.ARD@bankofindia.co.in	34.60 लाख / 3.50 लाख / 0.40 लाख
3.	श्री मिलिन्द जी. शर्मा एवं श्रीमती मोनिका शर्मा ऋणी: - ज्वालापुर शाखा हरिद्वार	बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व खंड माप 809.02 वर्ग फीट, प्लॉट नं0 10, खसरा नं0 276, राम विहार, ग्राम- [illegible] परगना ज्वालापुर, हरिद्वार में स्थित, स्वामिनी श्रीमती मोनिका शर्मा	28.04.2017 / रु0 12,57,641.58 + ब्याज व अन्य 01.04.2017 से	खाता: विविध आइटम्स / खाता सख्या: 76540SUNCR099 / IFSC : BKID0007654	श्री पी.के. सिंघल फोन नं.: 01334-266658 E Mail I.D -Dehradun.ARD@bankofindia.co.in	6.85 लाख / 0.70 / 0.10 लाख
4.	श्रीमती पुष्पा शाह पत्नी श्री मदन लाल शाह ऋणी: - बागेश्वर शाखा	बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व खंड ग्राम [illegible], तहसील बागेश्वर, खाता नं0 27, खेत नं0 4482M, बागेश्वर। स्वामिनी श्रीमती पुष्पा शाह	24.10.2017 / रु0 14,95,194.50 + ब्याज व अन्य 30.09.2017 से	खाता: विविध आइटम्स / खाता सख्या: 71320SUNCR099 / IFSC : BKID0007132	श्री राजेश कुमार फोन नं.: 05946-254294 E Mail I.D -Dehradun.ARD@bankofindia.co.in	8.70 लाख / 1.00 लाख / 0.10 लाख
5.	मैसर्स यून पेयर ट्रेडिंग कम्पनी, प्रो. मौहम्मद आलम -ऋणी शाखाः काशीपुर	बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व खंड माप क्षेत्रफल 673.14 वर्गफीट स्थित मकान नं0 188/43/6(1), मौजा [illegible], काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर। स्वामिनी श्रीमती [illegible] पत्नी श्री [illegible]।	03.05.2017 / रु0 20,22,182.48 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2017 से	खाता: विविध आइटम्स / खाता सख्या: 72120SUNCR099 / IFSC : BKID0007212	श्री राजेश कुमार फोन नं.: 08001176344 E Mail I.D -Dehradun.ARD@bankofindia.co.in	6.70 लाख / 0.70 लाख / 0.10 लाख
6.	शमशेर अहमद पुत्र श्री अली हुसैन- ऋणी शाखाः काशीपुर	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड माप क्षेत्रफल 619 वर्ग मीटर खाता नं0 342, खसरा नं0 88 मिन, ग्राम- [illegible] परगना काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर, स्वामी: श्री शमशेर अहमद पुत्र श्री अली हुसैन	20.04.2018 / रु0 10,16,660.50 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 31.03.2018 से	खाता: विविध आइटम्स / खाता सख्या: 72120SUNCR099 / IFSC : BKID0007212	श्री राजेश कुमार फोन नं.: 08001176344 E Mail I.D -Dehradun.ARD@bankofindia.co.in	10.30 लाख / 1.05 लाख / 0.10 लाख

नियम व शर्तें:- (1) सम्पत्तियों की ई-नीलामी ऑनलाइन वेबसाइट https://boi.auctiontiger.net के माध्यम की जायेगी। पांच मिनट के विस्तार के साथ निर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार होगी। (2) इच्छुक बोलीदाता को नाम दर्ज करके पंजीकरण लॉगिन आईडी व पासवर्ड निःशुल्क वेबसाइट https://boi.auctiontiger.net व/या मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (Auction Tiger) टोल फ्री नं0: 18001035342, व्हाट्स ऐप नं0: 9374519724, संपर्क व्यक्ति सचिन शर्मा नं0: 9988137576, कुशल कोठारी नं0 8980690773, ई-मेल आईडी: punjab@auctiontiger.net, kushal@auctiontiger.net से प्राप्त किया जा सकता है। (3) [illegible] अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। (4) सफल बोलीकर्ता की EMD राशि बैंक के पास ही रहेगी तथा सभी असफल बोलीदाताओं की राशि बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी। (5) EMD राशि पर बैंक द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। (6) सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (अर्थात अधिकतम बोली राशि), EMD राशि के अतिरिक्त स्वीकृत बोली राशि की तुरन्त जमा करना होगा। शेष बकाया राशि उसे 15 दिन या उसके अन्दर जमा कराना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान के असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। (7) इच्छुक व वैध निविदाकर्ता को सभी खर्चे जैसे स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/ट्रांसफर चार्जेज फीस आदि व अन्य सभी सांविधिक/गैर सांविधिक देय राशि, कर दरें, मूल्यांकन चार्ज फीस आदि जो किसी भी व्यक्ति विशेष की हो स्वयं वहन करना होगा।

सरफेसी एक्ट 2002 नियम 8(6) एवं नये प्रावधान उप 1 से नियम 8 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) के अन्तर्गत 30 दिन का वैधानिक बिक्री सूचना अनुवर्ती बिक्री हेतु
उपयुक्त उधारकर्ता/गारंटीकर्ता/बंधककर्ता को नोटिस दी जाती है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अपना कुल बकाया ब्याज व अन्य खर्चे सहित जमा कर दें इसमें असफल होने पर उक्त सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी। तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो ब्याज व लागत सहित वसूल की जायेगी।
दिनांक: 14.12.2019 स्थान: देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना
DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी वहां है आधार'', ''जैसा भी वहां है आधार'' तथा ''कोई उपचार नहीं आधार'' पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	ग्राहक का नाम
1	23541200000073	रणजीत सिंह
2	23541200000161	सतपाल सिंह
3	23541200000602	सीमा सीमा
4	23541200000046	तेजवीर सिंह
सम्पर्क व्यक्ति/ नीलामी का स्थानः श्री रजत लाम्बा, टेलीफोन नं. 7027741494, 1800 209 5363/ डीसीबी बैंक लिमिटेड, 5502, सूर्या टावर, निकोल्सन रोड, अम्बाला कैन्ट, हरियाणा-133001		
5	14642100012342	बल्कार
6	14642100016296	हरजिन्दर सिंह
7	14642100009584	करैनल सिंह
8	14642100005272	मालक सिंह
9	14642100019415	सुनील कुमार
सम्पर्क व्यक्ति/ नीलामी का स्थानः श्री राजेश कुमार गोयल, टेलीफोन नं. (01743) 224811, (01743) 224812, 01743- 224810/ डीसीबी बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी कॉम्प्लैक्स, भू तल, गुहला रोड, कैथल-136034		
10	23742100000277	गौरव शर्मा
11	23742100000259	मधु मधु
12	23742100000295	सतनाम सिंह
13	23742100000435	शल्लू
सम्पर्क व्यक्ति/ नीलामी का स्थानः श्री अवधेश कौशिक, टेलीफोन नं. 7027741487, 7027741488, डीसीबी बैंक लिमिटेड, 1/8 ए, सेक्टर 17 रोड, कुरुक्षेत्र, हरियाणा-136118		
14	16441200001328	आकाश त्यागी
15	16441200001182	आकाश त्यागी
16	16441200000417	आकाश त्यागी
17	16441200001595	जीतेन्दर
18	16442100000064	मोह. इदरीस
19	16441200000639	नरेश कुमार
20	16441200001779	राम कुमार
सम्पर्क व्यक्ति/ नीलामी का स्थानः श्री सचिन शर्मा, टेलीफोन नं. 9034001045, 9034001048/ डीसीबी बैंक लिमिटेड, ऑरिएण्टल प्लाजा, 76-77 जी.टी. रोड, रेड लाइट क्रॉसिंग के निकट, पानीपत-132103		
21	28142100001564	गुलजार सिंह
22	28142100000268	गुरमीत सिंह
23	28142100000684	गुरमीत कुमार
24	28142100002288	हरभजन सिंह
25	28142100002820	हरि नारायण सिंह
26	28142100001809	हरि नारायण सिंह
27	28142100002547	हरि नारायण सिंह
28	28142100002264	हरपाल सिंह
29	28142100003025	हरपाल सिंह
30	28142100002240	नीलम रानी
31	28142100002134	परगट सिंह
32	28142100003179	परगट सिंह
33	28142100002066	परगट सिंह
34	28142100002738	रेशम सिंह
35	28142100001922	सरवजीत कौर
36	28142100002806	शमशेर सिंह
37	28142100002097	सुरजीत सिंह
सम्पर्क व्यक्तिः नीलामी का स्थानः श्री जटिन्दर कुमार, टेलीफोन नं.- 9034001426, 9034001473/ डीसीबी बैंक लिमिटेड, गुरु टावर्स, डीएवी स्कूल के सामने, एनएच-65, अम्बाला रोड, पहोवा, जिला-कुरुक्षेत्र, डीएवी स्कूल के समाने, हरियाणा-136126		
38	28742100001861	आशियान आशियान
39	28742100001847	गुरदीप सिंह
40	28742100002530	महिन्दर सिंह
41	28742100002127	राजेश कुमार
42	28742100002165	राजेश कुमार
43	28742100001557	रोशन लाल
44	28742100000231	योगराज सिंह
सम्पर्क व्यक्तिः नीलामी का स्थानः श्री जी.बी. गोपाल, टेलीफोन नं.- 7583848892, 75833848893/ डीसीबी बैंक लिमिटेड, गानी प्लाजा, मैनरोड, देवेन्द्र नगर, पी/ओः रायपुर, जिला रायपुर-492001		
45	22041200002585	पूजा शर्मा
46	22041200001182	रणजोत सिंह
47	22041200000046	सुखदेव शर्मा
48	22041200000639	सुखबिन्दर सिंह
सम्पर्क व्यक्तिः नीलामी का स्थानः श्री गगनजीत कौर- टेलीफोन नं.- 18002095363/ डीसीबी बैंक लिमिटेड, बी-4-1504/ए, ईस्ट भाटिया नगर, जगाध्रि रोड, यमुना नगर-135001		

नीलामी की तिथि 20 एवं 21 दिसम्बर, 2019

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों/गिरवीकर्ताओं तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।
संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं का निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी।
यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड
तिथि: 14.12.2019
स्थान: अम्बाला, चीका, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पहोवा, रायपुर, यमुना नगर

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	19.2 डि.से.	19.2 डि.से.	18.8 डि.से.	19.5 डि.से.
न्यूनतम	9.7 डि.से.	9.7 डि.से.	9.7 डि.से.	9.7 डि.से.

खबरों में शहर

'पर्यावरण बचेगा, तो हम बचेंगे'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

पर्यावरण को बचाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। पर्यावरण बचेगा, तो हम बचेंगे। आज बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। और यह कार्य हमें अपने घरों से शुरू करना होगा। यह बात हुए श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉ रवि शर्मा 'मधुप' ने कहे। वे द्वारका स्थित टाइन ट्यूलिप्स स्कूल के सालाना समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। वंदना सभागार में आयोजित इस समारोह में दो साल से लेकर आठ साल तक के बच्चों ने नृत्य, संगीत और नृत्य नाटिका के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी संदेश दिया। समारोह में विषय का केंद्र पर्यावरण था और शीर्षक 'खुला आसमान' रखा गया था। इसमें शिक्षाविद वीपी टंडन, रेडियो द्वारका के संस्थापक विशाल गुप्ता, स्कूल की प्रधानाचार्या नीलम शाह आदि ने भी विचार रखे।

कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगी मशीनें : गंभीर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने शनिवार को कहा कि गाजीपुर में कचरे का पहाड़ खत्म करने के लिए जैविक मशीनों की मदद ली जाएगी। इसकी शुरुआत सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र में जैविक गैस संयंत्र के साथ शुरू की है। इस गैस संयंत्र की मदद से प्रतिदिन 5000 किलोग्राम कचरे का निस्तारण हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इसकी मदद से विभिन्न गाजीपुर साइट पर जाने वाले कचरे की मात्रा में कमी आएगी और इसकी मदद से इस पहाड़ को खत्म करने में भी मदद मिलेगी।

'कांग्रेस, लेफ्ट व टीएमसी ने बंगाल को ठेस पहुंचाई'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू ने शनिवार को कहा कि बंगाल की सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करती है। बांग्लादेश से घुसपैठ को बढ़ावा देकर उनके संरक्षण का काम बंगाल सरकार करती है। बंगाल के स्वाभिमान को वोट पहुंचाने का काम कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ने किया है। वे दिल्ली में बंगाल समाज के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं दिल्ली सह-प्रभारी तरुण चुघ, केंद्रीय राज्य मंत्री देवश्री चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद जगन्नाथ सरकार भी उपस्थित थे। तरुण चुघ ने कहा कि भाजपा बंगाल को विषम परिस्थितियों से बाहर लाकर प्रधानमंत्री सबका विकास करना चाहते है।

'प्रकृति, पोषण से जुड़े भोजन का हो कारोबार'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

अच्छे भोजन का व्यवसाय न के बराबर है और यह नया उभरता क्षेत्र है। लेकिन यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे हमारे सेहतमंद जीवन के लिए हर स्तर पर बढ़ावा दिए जाने की दरकार है। विज्ञान व पर्यावरण केंद्र (सीएसई) की महानिदेशक सुनीता नारायण ने ये बातें कहीं। वे सीएसई के कार्यक्रम में अच्छे भोजन की शृंखला की तीसरी कड़ी के रूप में आई पुस्तक 'स्वाद का पहला खाद्य-व्यवसाय' (फर्स्ट फूड बिजनेस आफ टेस्ट) के विमोचन में बोल रही थीं। नारायण ने कहा कि हमें अपने जीवन को विकसित करने और अपने जीवन को संभालने के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन को बढ़ावा देना चाहिए। पुस्तक में अच्छे भोजन व्यवसाय के बारे में कहा गया है कि ऐसा भोजन जो जंक फूड नही है और प्रकृति, पोषण और आजीविका से जोड़ता है। किताब की मुख्य शोधकर्ता विभा वार्ष्णेय ने बताया कि जो समुदाय प्राकृतिक खाद्य उपज उगाता है उन तक इसकी वाजिब कीमते नहीं पहुंचती। चिरोजी (बुकाननिया लजानन) का मामला ही देखें जो मध्य भारत में आदिवासियों की ओर से जुटाया और जमा किया जाता है। यह आदिवासियों की आय का मुख्य स्रोत है। इस बीज को मिठाई में डालने के लिए जमा किया व बेचा जाता है। ऐसे में जबकि यह गरीब आदिवासियों के लिए आय का एक अहम स्रोत है, इस भोजन के लिए उन्हें बेहतर मूल्य क्यों नही मिल सकता है?

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

जनता दल (एकी) : सरदार बल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, जनता दल (एकी) कार्यालय, प्रथम तल, 7 जंतर मंतर रोड, दोपहर दो बजे से।

प्रदर्शनी

जापानी फाउंडेशन : कार्यशाला 'हार्मोनी' का आयोजन, 5 ए, रिंग रोड लाजपत नगर 4, सुबह 10 बजे से, 21 दिसंबर तक।

सुबह पति ने मेट्रो के सामने कूदकर जान दी थी

देर शाम आहत पत्नी ने बेटी के साथ की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

नोएडा के सेक्टर-128 स्थित जेपी पवेलियन सोसायटी में रहने वाली एक महिला ने अपनी बेटी के साथ फांसी के फंदे पर लटकर कर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना शुक्रवार देर रात एक्सप्रेस-वे थाना पुलिस को मिली थी। महिला ने पहले बेटी जयश्री (5) को फंदे पर लटकाया था। बाद में शिवरंजनी (31) ने खुद फांसी लगाकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि शुक्रवार सुबह चेन्नई निवासी भारत जे. (33) ने जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी। भरत जे दिल्ली में एक निजी कंपनी में महाप्रबंधक के तौर पर कार्यरत थे। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। माना जा रहा है कि भरत आर्थिक तंगी से परेशान थे।

जानकारी के मुताबिक मूलरूप से चेन्नई निवासी भरत. जे, पत्नी शिवरंजनी, बेटी जयश्रीता, भाई कार्तिक जे (30) के साथ जेपी पवेलियन कोर्ट-8 के सातवीं मंजिल पर रहता थे। वह दिल्ली गोविंदपुरी गोल्डन टिप्पा चाय कंपनी में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। वहीं भाई कार्तिक दिल्ली साकेत में पायलट की तैयारी करते है। वह दो महीने बाद इंग्लैंड जाने वाले है। कार्तिक ने बताया है कि भरत जे गुरुवार को दफ्तर से आने के बाद सब लोग एक साथ खाना खाकर सो गए। उन्हें सुबह कोचिंग जाना था। इसके लिए भरत जे ने उन्हें ओखला वर्ड सेंचूरी मेट्रो स्टेशन के पास कार से छोड़ा। उसके बाद वह साकेत चले गए। करीब साढ़े 11 बजे उन्हें फोन आया कि उनके भाई जवाहर लाल नेहरू मेट्रो स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गए हैं। इसके साथ ही यही सूचना उनकी भाभी शिवरंजनी को भी मिली। जिसके बाद शिवरंजनी सोसाइटी में ही अपने एक जानकार के घर पर बेटी को छोड़कर अस्पताल पहुंच गई।

कार्तिक ने बताया है कि जब शिवरंजनी अस्पताल पहुंची तो उन्हें वहां बैठा दिया गया। इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में व्यस्त हो गई, जिसके बाद शिवरंजनी शव गृह पहुंच गई। वहां शव को देखकर वह अस्पताल से सीधे घर निकल गई। उनके निकलने के बाद उन्होंने सभी जगह ढूंढ़ा जब वह कही नहीं दिखी तो उनके नंबर पर फोन किया, तो नंबर बंद आ रहे थे। जिसके बाद पड़ोसी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वह बच्ची को लेकर अस्पताल जाने को बोलकर चली गई। जब सोसाइटी के लोग भरत जे के फ्लैट पर पहुंचे तो उनके अंदर से गेट बंद था। कार्तिक ने बताया कि इसकी सूचना उन लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। एक्सप्रेस-वे पुलिस ने फ्लैट का गेट खोला तो शिवरंजनी का शव डायनिंग रूम में पंखे से लटका था। और वहीं बेड रूप में बच्ची का शव लटका था।

फोन काट कर कूदे थे

सीओ स्वेताभ पांडे ने बताया है कि भरत जे जब जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन पर खड़े थे तो वह मोबाइल फोन से अपनी पत्नी शिवरंजनी से बात कर रहा था। बात करते करते वह फोन काटकर मेट्रो के सामने कूद गए थे।

खर्चा या अधिक

भरत जे के पिता जे सुब्रह्मण्यम ने बताया है कि वह बिग बास्केट कंपनी में नेशनल मार्केटिंग प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा दो लाख रुपए वेतन में फ्लैट का किराया 20 हजार रुपए देते थे। इसके साथ कार की इएमआइ 17 हजार रुपए था। इसके बावजूद भी भारज जे के पास पैसे की कमी महसूस होती थी, जिससे वह हर महीने कुछ पैसे मांगते थे।

जेएनयू कुलपति का आरोप, छात्रों ने किया हमले का प्रयास

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम जगदीश कुमार ने शनिवार को दावा किया कि 15 से 20 छात्रों ने विवि परिसर में उन्हें घेर लिया और गालियां दी तथा हमला करने का प्रयास किया। लेकिन विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें बचा लिया। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रावास शुल्क बढ़ाने के विरोध में पिछले डेढ़ महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है और छात्रों ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया है।

कुमार ने बताया कि जब छात्रों ने उन्हें घेर लिया तब वह यह देखने के लिए गए थे कि विश्वविद्यालय में परीक्षा का संचालन कैसे हो रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग शाम साढ़े चार बजे वह और अन्य पदाधिकारी प्रशासनिक खंड से बाहर आए और महज सौ मीटर दूर जैव प्रौद्योगिकी स्कूल में गए। उन्होंने बताया कि इसके बाद वे जारी परीक्षा का अवलोकन करने स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में गए। कुमार ने बताया, 'जब हम वापस लौट रहे थे, तब 15 से 20 छात्रों ने हिंसक तरीके से मुझे घेर लिया और उनकी मंशा मुझ पर शारीरिक तौर पर हमला करने की थी।

वे मुझ पर हमला करने की योजना बना रहे थे और अपशब्द बोल रहे थे'। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों ने तथा सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मियों ने मुझे बचा लिया और छात्रों को सुरक्षा वाहन में बिठा कर उन्हें दूर ले जाने का प्रयास किया लेकिन भीड़ ने इसकी अनुमति नहीं दी। कुमार ने बताया, 'मैं वाहन से उतर गया और

भीड़ से 20-30 मीटर आगे बढ़ गया। इसके बाद मैं अपनी कार में सवार हुआ। उन्होंने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया और कार को आगे नहीं जाने दिया।

चालक ने बुद्धिमता दिखाई और पिछली गीयर में लिया और मुझे बचा लिया'। कुलपति ने बताया कि उनके जाने के बाद छात्रों ने प्रशासनिक खंड में प्रवेश किया और वहां तोड़-फोड़ की जोकि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक खंड के 100 मीटर के दायरे में प्रदर्शन करना निषेध है। इससे पहले इस हफ्ते, अदालत ने पुलिस से कहा कि जब कुलपति और अन्य पदाधिकारी प्रशासनिक खंड में प्रवेश करें तो वह उनकी सुरक्षा तय करें, जहां एक महीने से अधिक समय से छात्रों का कब्जा है।

जंतर मंतर पर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर शनिवार को सैकड़ों लोगों ने नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाज के विभिन्न तबकों के लोग नए कानून का विरोध कर रहे लोगों के समर्थन में जंतर मंतर पर जमा हुए।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने प्रदर्शन की वजह से जनपथ मेट्रो स्टेशन में प्रवेश और निकास को बंद कर दिया है। नए कानून के तहत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो सदस्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा और भारत की नागरिकता दी जाएगी।

सौ करोड़ की कोकीन जब्त, चार विदेशी समेत नौ गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अतंरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है। ब्यूरो ने दिल्ली से 20 किलोग्राम कोकीन जब्त किया है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 100 करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। साथ ही नौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से पांच भारतीय, एक अमेरिकी, दो नाइजीरियन और एक इंडोनेशिया का नागरिक शामिल है।

अधिकारी ने बताया कि कई दिनों से चल रहे इस अभियान के तहत 55 किलोग्राम कोकीन और 200 किलोग्राम मेथामफेटामाइन ऑस्ट्रेलिया में जब्त किया गया। ब्यूरो ने करीब 1,300 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं।

एनसीबी उत्तरी जोन के उप महानिदेशक एसके झा ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार को दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में फैले मादक पदार्थ गिरोह से 20 किलोग्राम कोकीन जब्त किया, जिसके तार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कोलंबिया, मलेशिया और नाइजीरिया से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में पांच भारतीय अबिंदर सिंह सोढ़ी, जिसने ऑस्ट्रेलिया में एक महिला से शादी कर ली है। उसका सहयोगी जलंधर निवासी योगेश कुमार धुना, उत्तराखंड निवासी समय और वी छाबड़ा के तौर पर हुई है। इसके अलावा विदेशियों की पहचान अमेरिका नागरिक रिचर्ड वल्लेयर फोनियर, नाइजीरियन नागरिक ओबोइरा टोनी ओकिके और ओज्वो किंग्स्ले और इंडोनेशियाई निवासी एम रैनहर्ट के तौर पर हुई है। रिचर्ड को दिल्ली के महिपालपुर स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। ये टोनी को मादक पदार्थ की आपूर्ति करने के लिए आया था। एस के झा ने बताया कि यह गिरोह मादक पदार्थों की तस्करी करने के लिए हर साधन का इस्तेमाल करता था। गिरोह के सदस्य वायु और सुमद्र मार्ग के अलावा कुरियर कंपनी का सहारा लेते थे। अधिकारी ने बताया कि वह पहले लेजर प्रिंटर का ऑर्डर करते थे। बाद में कुरियर कंपनी की आंख में धूल झोंकने के लिए उसे खराब कर देते। बाद में उसी कंपनी की सहयोग से उसे मरम्मत के लिए भेज देते, जिसमें मादाक पदार्थ होता।

दक्षिणी निगम ने पहला ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

दक्षिणी निगम ने ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एनर्जी एफिशियंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ मिलकर ग्रेटर कैलाश में एन ब्लाक मार्केट की पार्किंग में प्रथम ई-वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जनता के लिए शुरू किया। इस मौके पर मेयर सुनीता कांगड़ा, स्थाई समिति अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता और निगमायुक्त ज्ञानेश भारती भी मौजूद थे।

कांगड़ा ने कहा कि इस पहल से जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले वाहनों पर लोगों की निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। निगम क्षेत्रों मे 75 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं जिसमें से पहले स्टेशन की शनिवार को शुरुआत की गई है।

आयुक्त ज्ञानेश भारती ने कहा कि ई-वाहन एक बेहतर और सस्ता विकल्प है। ई-वाहन चलाने की लागत प्रति किलोमीटर एक रुपए से भी कम होती है जबकि पैट्रोल-डीजल वाहन चलाने की लागत लगभग छह रुपए प्रति किलोमीटर से अधिक है। दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए आल्टरनेटिव करंट (एसी) और चार पहिया वाहनों के लिए डायरेक्ट करंट (डीसी) चार्जरों का प्रयोग किया जाएगा।

धन्यवाद रैली से भाजपा करेगी दिल्ली में चुनाव का आगाज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

कच्ची कॉलोनियों में पक्की रजिस्ट्री करने का वादा पूरा करने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान से भाजपा विधानसभा चुनाव की रैलियों का आगाज करेगी। 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बताया कि कच्ची कॉलोनियों पक्का करने के लिए यह धन्यवाद रैली आयोजित की गई है।

मनोज तिवारी ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों से भाजपा सरकार ने अनधिकृत का ठप्पा हटा दिया है। ऐसा कर प्रधानमंत्री ने इन कॉलोनियों के 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देकर खुशियों की चाभी सौंपी हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद से ही इन कॉलोनियों में खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि सभी लोग प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहते है। यह आग्रह प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि रैली में अनधिकृत कॉलोनियों के लाखों लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को रामलीला मैदान में भूमि पूजन किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में सांसद रमेश बिधूड़ी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता, प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी नीलकांत बक्शी, प्रमुख अशोक गोयल देवराहा भी उपस्थित थे। भाजपा 14-15 दिसंबर को हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी।

कम उम्र में गर्भधारण महिला स्वास्थ्य के लिए घातक : हर्षवर्धन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने देश में बाल विवाह और इस कारण कम उम्र में गर्भधारण को महिला स्वास्थ्य के लिए घातक बताया है। उन्होंने कहा कि इस कारण महिलाओं की बढ़ती स्वास्थ्य समस्याएं सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। डॉ हर्षवर्धन शनिवार को किशोरों के स्वास्थ्य विषय पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। यह कार्यशाला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से सामाजिक संगठन ऑब्जर्वर रिसर्च फांउडेशन ने लगाई थी।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास में किशोरावस्था क। अहम योगदान होता है। इसे देखते हुए इस आयु वर्ग के लोगों के विकास पर उपयुक्त ध्यान देने से ही देश की युवा शक्ति को भविष्य के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। लेकिन दुखद है कि देश के कुछ इलाकों में अभी भी बाल विवाह और कम उम्र में गर्भधारण की खबरें आती रहती हैं। यह सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बाल विवाह रोकने के लिए व कम उम्र में मां बनने खिलाफ युवाओं को जागरूक करने की बड़ी जरूरत है। युवाओं को इस दिशा में जागरूक बनाकर वास्तव में इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके लिए देशव्यापी मुहिम से ही जागरूकता आ सकती है।

मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक प्लाईवुड कारखाने में शनिवार सुबह आग लग गई। सुबह पांच बजे कारखाने से आग फैलते हुए पास के बल्ब कारखाने तक पहुंच गई थी पर दमकल की मुस्तैद टीम ने पांच घंटे में आग पर काबू पाने में सफलता पा ली। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के पुख्ता कारणों के बारे में पता किया जा रहा है।

दिल्ली दमकल सेवा के अधिकारी के मुताबिक शनिवार सुबह पांच बजे आग लगने की सूचना मिली। लकड़ी के प्लाईवुड होने के कारण आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी फैक्टरी को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 21 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई। मुस्तैद टीम ने सुबह 10 बजे तक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया था लेकिन आग प्लाईवुड फैक्ट्री के सामने स्थित बल्ब की एक फैक्ट्री तक फैल गई थी जिसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

मदद

दंगे के जख्म पर एक मरहम : '1984 स्टोर ब्रांड'

प्रियरंजन
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

साल 1984 के सिख दंगा पीड़ित परिवार के लोगों के लिए दिल्ली में एक अच्छी खबर है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1984 के सिख दंगा पीड़ित परिवारों के लिए एक योजना शुरू करने जा रही है जिससे करीब एक लाख लोग लाभान्वित होंगे। दंगा प्रभावित परिवारों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए दिल्ली के सभी चर्चित गुरुद्वारों में '1984 स्टोर ब्रांड' नाम से कमेटी ने डिपार्टमेंटल स्टोर खुलवाने का फैसला किया है। यह अपनी तरह की अनूठी दुकान होगी जो केवल सिख दंगों के शिकार परिवार के लोगों के लिए ही होगी। इसे वे ही चलाएंगे। अपनी आजीविका कमाएंगे। मुनाफा भी उन्हीं में बंटेगा। इसमें सामान्य चीजों के अलावा सिख धर्म से जुड़ी चीजें भी बिक्री के लिए मुहैया कराई जाएंगी।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस कड़ी में पहली दुकान (1984 स्टोर ब्रांड -डिपार्टमेंटल स्टोर) कनॉट प्लेस के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब में खोली जा रही है। जबकि अगला स्टोर ऐतिहासिक रकाबगंज साहिब में खोला जाना तय किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले साल के आखिर तक सभी गुरुद्वारों में इस योजना को लागू कर दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बकौल सिरसा इसके लिए सभी जरूरी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यह व्यवसाय को-ऑपरेटिव मॉड्यूल यानी सहकारी व साझेदारी व्यवस्था के तर्ज पर होगा, जिसमें दुकानों के प्रबंधन, प्रशासन, सहित सभी गतिविधियां दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्यों से ही बनी एक प्रबंधन समिति करेगी। यह उनकी साझी विरासत होगी। इससे होने वाले लाभ को भी इन्हीं परिवारों में बांटा जाएगा। उन्होंने कहा, इसका एक उद्देश्य यह भी है कि पीड़ित परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विकास हो। इसे दिल्ली समेत विश्व के लाखों सिखों की चंदे की मदद से शुरू किया जाएगा। गुरुद्वारों में जगह निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि '1984 स्टोर ब्रांड -डिपार्टमेंटल स्टोर' सिख परिवारों के लिए एक नजरिए से और भी बड़ा व्यावसायिक मंच साबित होगा। इसमें सिख संस्कृति, त्योहारों जैसे गुरुपर्व, वैशाखी, होली, लोहड़ी आदि के मद्देनजर भी चीजों की उपलब्धता मौजूद होगी। मांग बढ़ने पर बड़ी कंपनियों मार्कफेड, हैफेड, नैफेड आदि से अनुबंध करने को स्वतंत्र होंगे। गुरुद्वारा बंगला साहिब में सामान्य दिनों में औसतन 35000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

एक जगह पर सारा सामान

सिरसा ने कहा-इन दुकानों से गुरुद्वारों में आने वाले सिख श्रद्धालुओं को सिख धर्म से जुड़ी धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक वस्तुएं एक ही जगह गुरुद्वारा परिसरों में ही मिलने शुरू होंगे। इतना ही नहीं इसमें सिख समुदाय द्वारा प्रतिदिन प्रयोग में लाए जाने वाली चीजें जैसे पगड़ी, कंघा, कछ्छा, कृपाण, सिख धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक सीडी, डीवीडी सहित सिख धर्म से जुड़ी साहित्यक सामग्री भी विशेष तौर पर लोगों को बाजार से सस्ती दरों पर मिल सकेगी। जिसकी गुणवत्ता और प्रमाणिकता भी संदेह से परे होगी। इसके माध्यम से पीड़ित परिवार के लोग अपने घर में बनाए गए रोजाना उपयोग की विभिन्न वस्तुओं जैसे अचार, मुरब्बा, मसाले, पापड़, नमकीन, मिठाई, बिसकुट, बड़ियां आदि की बिक्री भी कर सकेंगे। विदेशों में बसे भारतीय सिखों में इसकी बड़ी मांग है। वे जब भी दर्शन को आएंगे उन्हें सारा सामान एक जगह मिलेगा। सिखों में लंगर, संगत, पंगत की बड़ी परंपरा है। लिहाजा इसमें किसानों के सामान जैसे घी, खाने का तेल, नमक, आटा, दाल, चावल, स्टेशनरी, मौसमी उत्पाद आदि वस्तुएं भी बिक्री के लिए रखी जाएंगी।

पेन छीनने पर छात्रा की हत्या, सहपाठी गिरफ्तार

जयपुर, 14 दिसंबर (भाषा)।

जयपुर पुलिस ने 12 साल की छात्रा की हत्या के आरोप में उसकी ही कक्षा की एक छात्रा को गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र दस साल है। इस मामले में आरोपी के अभिभावकों को भी साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

जयपुर के पास चाकसू के बडली गांव की एक बच्ची बुधवार को लापता हो गई थी। अगले दिन उसका शव गांव में ही सुनसान जगह पर निर्माणाधीन स्कूल के पास झाड़ियों में मिला था।

पुलिस का कहना है कि बीते बुधवार को कक्षा में पेन छीनने को लेकर दो छात्राओं में विवाद हुआ था। बाद में छात्रा आरोपी सहपाठी के घर पहुंची जहां उनमें झगड़ा हो गया। आरोपी ने सरिये से छात्रा के सिर, पसलियों व पेट पर हमला कर दिया। इसमें छात्रा की मौत हो गई।

अपराध साक्ष्य मिटाने के आरोप में माता-पिता भी पकड़े गए

चाकसू के थाना प्रभारी बृजमोहन कविया ने बताया कि घटना के समय आरोपी के घरवाले बाहर गए हुए थे। आरोपी छात्रा ने अपनी मां रामघणी के घर आने पर उसे सारी बात बताई। साक्ष्य मिटाने के लिए दोनों ने शव को बोरे में बांधकर तालाब में फेंक दिया। रात को रामघणी ने यह घटना अपने पति कैलाश को बताई तो उन्होंने शव को निकालकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है।

माता वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए हेलिकॉप्टर सेवा दूसरे दिन भी ठप

जम्मू, 14 दिसंबर (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए हेलिकॉप्टर एवं रोपवे सेवा खराब मौसम के कारण शनिवार को लगातार दूसरे दिन बाधित रहा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

हालांकि, कुमार ने कहा कि भारी हिमपात के बावजूद तीर्थयात्रा सुचारू रूप से जारी है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। देश भर से श्रद्धालु यहां त्रिकुटा पहाड़ स्थित माता के गुफा मंदिर में उनके दर्शनों के लिए आ रहे हैं।

SBI भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा, रिटेल
प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110015, फोन: 25419177,25412977, e-mail: sbi.05169@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार एसबीआई, एस ए आर बी रिटेल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली–110015 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर उधारकर्ता श्रीमती स्वाति वडेरा पत्नी श्री पुष्प वडेरा, फ्लैट नं. पी–1702, 17वीं मंजिल, अहिंसा खंड–2, जयपुरिया ग्रीन, इंदिरा पुरम गाजियाबाद (यू.पी.)–221014 से दिनांक 28.06.2018 तक प्रतिभूत लेनदार की रु. 69.60 लाख रूपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 22.01.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रु. 55.00 लाख और अग्रिम जमा धन राशि रु. 5.50 लाख होगी और जिसे जमा करने कि अंतिम तिथि 20.01.2020 है। निरीक्षण की तिथि : 17.01.2020

(सम्पत्ति फ्लैट नं. पी–1702, 17वां तल, अहिंसा खंड–2, जयपुरिया ग्रीन, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी – 221014 में स्थित), प्लॉट क्षेत्रफल 144.33 वर्ग मी. लगभग, यह सम्पत्ति श्रीमती स्वाति वडेरा पत्नी श्री पुष्प वडेरा के नाम पर है।

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट पर देखें।
https://sbi.auctiontiger.net, http://www.sbi.co.in

दिनांक 14-12-2020, स्थान : नई दिल्ली — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

एसपीए कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 25 सी-ब्लॉक कम्युनिटी सेन्टर, जनकपुरी नई दिल्ली-110058
वेबसाइट: http://www.spacapital.com/CapitalServices/
CIN: L65910DL1984PLC018749
टेली. नं.: 011-45586600, 45675500 ई-मेल आईडी: listing@spacapital.com

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(शेयरों तथा ईपीएस छोड़कर रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त 3 महीने 30 सितम्बर, 2019	समाप्त 3 महीने 30 सितम्बर, 2018	समाप्त 6 महीने 30 सितम्बर, 2019
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	7.749	20.560	14.263
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)#)	0.455	0.095	0.014
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)#)	0.455	0.091	0.006
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद) #)	0.444	0.058	−0.010
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि के हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	0.444	0.058	−0.010
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (रु.10/- प्रति का सम मूल्य)	3074225	3074225	3074225
7.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का सम मूल्य)			
	मूल:	1.444	1.189	−0.032
	तरल:	1.444	1.189	−0.032

टिप्पणी: 1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा), 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई 30 सित. 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट http://www.spacapital.com/capital Services/ पर उपलब्ध है।
2. 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की 13 दिसम्बर, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 13 दिसम्बर, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी की ओर से
हस्ता./-
संदीप परवल
अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक
DIN: 00025803

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 13 दिसम्बर, 2019

सामूहिक बलात्कार के बाद किशोरी की हत्या

नवरंगपुर (ओड़ीशा), 14 दिसंबर (भाषा)।

ओड़ीशा के नवरंगपुर जिले में एक किशोरी का कथित रूप से अपहरण करके सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार रात की है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार जब उन्हें पीड़िता का शव मिला तो उसकी नाक से खून निकल रहा था। अधिकारी ने बताया कि किशोरी के शरीर के विभिन्न भागों पर चोट के निशान थे। उसका शव उसके घर से 300 मीटर दूर मिला। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का अपहरण शुक्रवार शाम उनके घर के बाहर से किया गया जब वह शौच के लिए निकली थी। उन्होंने कहा, अपराधियों ने मेरी बेटी से सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष मुन्ना त्रिपाठी के नेतृत्व में धरना देकर दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की।

नागरिकता कानून के खिलाफ 21 को बिहार बंद का आह्वान

पटना, 14 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय जनता दल ने नागरिकता कानून के विरोध में 21 दिसंबर को बिहार बंद का आह्वान करते हुए आरोप लगाया कि इसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने शुक्रवार देर रात इसकी घोषणा की।

उन्होंने 'संविधान और न्याय के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले' सभी राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संगठनों से बंद में भाग लेने की अपील की। बंद की तारीख पहले 22 दिसंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इसे एक दिन पहले कर दिया गया ताकि अगले रविवार को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा प्रभावित न हो। 30 वर्षीय तेजस्वी ने पहले ट्वीट किया, 'संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक जैसे काले कानून के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल 22 दिसंबर, रविवार को 'बिहार बंद' करेगा। हम सभी संविधान प्रेमी, न्यायप्रिय, धर्मनिरपेक्ष दलों, गैर-राजनीतिक संगठनों और आम जनमानस से अपील करते है कि वे बढ़-चढ़कर इसे सफल बनाने में सहयोग दें।' विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसके बाद एक और ट्वीट कर बंद की तारीख में सुधार किया।

उन्होंने ट्वीट किया, 'सुधार- बिहार बंद 21 दिसंबर, शनिवार को रहेगा क्योंकि 22 दिसंबर को बिहार पुलिस बहाली की परीक्षा है। नौजवानों और परीक्षार्थियों को बिहार बंद के कारण परीक्षा स्थल पर पहुंचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो इसलिए बिहार बंद अब शनिवार, 21 दिसंबर को रहेगा।'

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना — DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार", "जो भी वहां है आधार", "जैसा भी वहां है आधार" तथा "कोई उपचार नहीं आधार" पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	अनुबंध सं.	ग्राहक का नाम	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति
1	30041200000189	अभिशेक श्रीवास्तव	20 एवं 21 दिसम्बर, 2019 श्री नितीश कुमार वर्मा टेलीफोन नं. 7905630832/ 9621632688
2	30041200000064	अतुल कुमार श्रीवास्तव	
3	30041200000125	अतुल कुमार श्रीवास्तव	
4	30041200000107	महेन्द्र चौधरी	

नीलामी स्थल का पता: डीसीबी बैंक लिमिटेड, सी/120/252, भू तल, आर्य समाज रोड, बक्सीपुर, गोरखपुर-273005

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों/गिरवीकर्ताओं तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।
संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं का निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी।
यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता/-
तिथि: 15.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गोरखपुर — डीसीबी बैंक लिमिटेड

सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा
177, हैदरपुर, दिल्ली-110088, टेली: 011-27490670, 27490671
ई-मेल: br.9021@syndicatebank

कब्जा सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा, दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 01.07.2019 जारी कर ऋणधारक मै. सैफी फर्नीचर को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 01.07.2019 [illegible] रु. 16,12,977.44/- (रुपये सोलह लाख बारह हजार नौ सौ सतहत्तर एवं पैसे चौवालिस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 11 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें और इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 01.07.2019 से आगे के ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज के साथ रु. 16,12,977.44/- (रुपये सोलह लाख बारह हजार नौ सौ सतहत्तर एवं पैसे चौवालिस मात्र) के लिये सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा, दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
खसरा नं. 644, एन.ए. 525, नया नं. 613, वार्ड नं. 30, नूर नगर गाजियाबाद, उ.प्र.-201003, माप 105.34 वर्ग मी. में स्थित मोहम्मद अकील के स्वामित्व में श्री मोहम्मद अकील, पुत्र रियाजुद्दीन, ऋणधारक के पिता के नाम में आवासीय मकान की सम्पत्ति।
चौहद्दी: उत्तर: रोड
दक्षिण: अन्य सम्पत्ति
पूर्व: अन्य सम्पत्ति
पश्चिम: अन्य सम्पत्ति

तिथि: 11.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गाजियाबाद — सिंडिकेट बैंक

सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा
177, हैदरपुर, दिल्ली-110088, टेली: 011-27490670, 27490671
ई-मेल: br.9021@syndicatebank

कब्जा सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा, दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 01.07.2019 जारी कर ऋणधारक [illegible] को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 01.07.2019 [illegible] रु. 21,32,528.40/- (रुपये इक्कीस लाख बत्तीस हजार पांच सौ अट्ठाईस एवं पैसे चालिस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 11 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें और इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 01.07.2019 से आगे के ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज के साथ रु. 21,32,528.40/- (रुपये इक्कीस लाख बत्तीस हजार पांच सौ अट्ठाईस एवं पैसे चालिस मात्र) के लिये सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा, दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
श्री मोहम्मद अकील के स्वामित्व में खसरा नं. 644, एन.ए. 525, नया नं. 613, वार्ड नं. 30, नूर नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201003 में स्थित श्री मोहम्मद अकील, पुत्र रियाजुद्दीन, ऋणधारक के पिता के नाम में आवासीय मकान की सम्पत्ति।
चौहद्दी:
उत्तर: रोड
दक्षिण: अन्य सम्पत्ति
पूर्व: अन्य सम्पत्ति
पश्चिम: अन्य सम्पत्ति

तिथि: 11.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गाजियाबाद — सिंडिकेट बैंक

सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा
177, हैदरपुर, दिल्ली-110088, टेली: 011-27490670, 27490671
ई-मेल: br.9021@syndicatebank

कब्जा सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा, दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 5.7.2019 जारी कर ऋणधारक [illegible] को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि [illegible] रु. 20,76,990.06/- (रुपये बीस लाख छिहत्तर हजार नौ सौ नब्बे एवं पैसे छः मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 11 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें और इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 01.07.2019 से आगे के ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज के साथ रु. 20,76,990.06/- (रुपये बीस लाख छिहत्तर हजार नौ सौ नब्बे एवं पैसे छः मात्र) के लिये सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा, दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
अरुण कुमार झा एवं [illegible] के स्वामित्व में डी. नं. 838, खसरा नं. 457/1, गली नं. 2, न्यू सेवा नगर, [illegible], गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित आवासीय मकान की सम्पत्ति।
चौहद्दी:
उत्तर: त्यागी जी का प्लॉट
दक्षिण: अन्य प्लॉट
पूर्व: अन्य मकान
पश्चिम: रास्ता 12

तिथि: 11.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गाजियाबाद — सिंडिकेट बैंक

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना — DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार", "जो भी वहां है आधार", "जैसा भी वहां है आधार" तथा "कोई उपचार नहीं आधार" पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	अनुबंध सं.	ग्राहक का नाम	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति
1	DGL1432000778	विशाल शर्मा	20 एवं 21 दिसम्बर, 2019 श्री शोभित गोयल, टेलीफोन नं. 9045000782/9045000716/ 9045000726/9045000763
2	DGL1432001566	टेककरण थापा	
3	DGL1432001497	गुलजार कुरैशी	
4	DGL1432001768	अमित कुमार	

नीलामी स्थल का पता: डीसीबी बैंक लिमिटेड, यूनिट नं. डीएफ-2, डीएफ-3, डीएफ-4, पीएलएस प्लाजा, 58 गांधी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों/गिरवीकर्ताओं तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।
संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं का निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी।
यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता/-
तिथि: 15.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: देहरादून — डीसीबी बैंक लिमिटेड

आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
(कारपोरेट पहचान संख्या: L74899DL1993PLC053579)
पंजीकृत कार्यालय : जीएफ-1-ए, 6, देविका टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110 019
कारपोरेट कार्यालय : सी-40, सेक्टर 59, नौयडा, जिला गौतम बुध नगर, उ०प्र०, इण्डिया - 201 307
दूरभाष : +91 120 4303500; फैक्स : +91 120 4082699
वेबसाइट : www.rsystems.com; ईमेल : rsystems.india@rsystems.com

रिकार्ड तिथि की सूचना

सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिस्टिंग ओबलिगेशनस एण्ड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस) विनियमन, 2015 एवं कम्पनीज अधिनियम, 2013, के प्रावधानों के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिसम्बर 14, 2019 को आयोजित बैठक में घोषित वर्ष 2019 के अंतरिम लाभांश के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के उद्देश्य हेतु सोमवार, दिसम्बर 23, 2019 रिकार्ड तिथि निर्धारित की है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
हता०/-
भास्कर दुबे
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : दिसम्बर 14, 2019
स्थान : नौयडा (उ०प्र०)

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना — DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार", "जो भी वहां है आधार", "जैसा भी वहां है आधार" तथा "कोई उपचार नहीं आधार" पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	अनुबंध सं.	ग्राहक का नाम	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति
1	2134120000170	एकराम	20 एवं 21 दिसम्बर, 2019 [illegible], टेलीफोन नं. +917060002099
2	2134120000259	एकराम	
3	2134120000888	मोह. राहिल	
4	2134120000107	शिखर अग्रवाल	
5	2134120000417	उर्मिला	

नीलामी स्थल का पता: डीसीबी बैंक लिमिटेड, [illegible], मेरठ-250001

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों/गिरवीकर्ताओं तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।
संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं का निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी।
यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता/-
तिथि: 15.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: मेरठ — डीसीबी बैंक लिमिटेड

अनुसूची II
प्रपत्र ख
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]
विपुल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ
सुसंगत विवरण

1	कारपोरेट देनदार का नाम	विपुल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	कारपोरेट देनदार के निगमन की तिथि	23.07.2015
3	प्राधिकरण जिसके अधीन कारपोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	[illegible]
4	कारपोरेट देनदार की कारपोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U63000DL2015PTC283120
5	कारपोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	[illegible], नई दिल्ली-110068
6	[illegible]	03 दिसम्बर, 2019
7	[illegible]	03 दिसम्बर, 2019 [illegible]
8	परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नाम : कांति मोहन रुस्तगी, IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-2018/10240
9	बोर्ड के साथ पंजीकृत के रूप में परिसमापक का पता एवं ई-मेल	पता : ई-7, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, ई-मेल : kanti.rustagi@patanjaliassociates.com
10	परिसमापक के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ई-मेल	पता : [illegible], ई-मेल : vipultravelsliquidator@gmail.com
11	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	2 जनवरी, 2020

[illegible]

दिनांक : 13.12.2019
स्थान : नई दिल्ली

ह./-
कांति मोहन रुस्तगी
साझेदार
[illegible]
ई-7, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048
kanti.rustagi@patanjaliassociates.com
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना — DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार", "जो भी वहां है आधार", "जैसा भी वहां है आधार" तथा "कोई उपचार नहीं आधार" पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	ऋण संख्या	ग्राहक का नाम
1	10841200009799	रोहित वर्मा
2	10841200009492	रोहित वर्मा
3	10841200007603	आसिफ खान
4	10841200006828	जसविन्दर सिंह पाल
5	10841200009607	मोह. कलीम
6	10841200009331	बृजेश्वर जयसवाल
7	10841200007184	चन्द्र नाथ सिंह
8	10841200001162	अनिल पाण्डेय
9	10841200008853	प्रवीण कुमार
10	10841200004879	राजेश कुमार अगरवाल
11	10841200009829	विन्ध्य वासिनी शुक्ला
12	10841200008242	नेहा वर्मा
13	10841200006170	नेहा वर्मा
14	10841200010016	मोहम्मद इरफान
15	10841200008655	हरेन्द्र वर्मा
16	10841200007252	विन्ध्य वासिनी शुक्ला
17	10841200004626	मोह. कलीम
18	10841200008235	नेहा वर्मा
19	10841200009812	विन्ध्य वासिनी शुक्ला
20	10841200007139	विन्ध्य वासिनी शुक्ला
21	10841200008587	रामानंद
22	10841200003148	विन्ध्य वासिनी शुक्ला
23	25741200000383	दिलदार हुसैन
24	10841200008945	सचिन चटर्जी
25	10841200005112	जीतेन्द्र कुमार मिश्रा
26	10841200008747	निखत बानो
27	10841200009768	ज्ञानेन्द्र कुमार भारद्वाज
28	10841200009662	हरेन्द्र वर्मा
29	10841200007849	मोहम्मद इरफान
30	10841200007858	संजय विश्वकर्मा
31	10841200007382	अजय यादव
32	25741200000462	शमशाद अली खान
33	10841200004824	ज्ञानेन्द्र कुमार भारद्वाज
34	10841200005784	मोहम्मद इरफान
35	10841200008075	राज कुमार शर्मा
36	10841200003070	जागेन्द्र कु. वर्मा
37	10841200003858	नागेन्द्र सिंह
38	10841200008624	संदीप कुमार सिंह
39	10841200008471	शबाना उस्मानी
40	10841200008792	निखत बानो
41	10841200008845	मनोज कुमार
42	10841200007610	संजय संजय
43	10841200005729	संजय संजय
44	10841200005838	प्रीति सिंह
45	10841200005361	अरुण कुमार शर्मा

नीलामी की तिथि: 20 एवं 21 दिसम्बर, 2019
सम्पर्क व्यक्ति: श्री काशिफ खान लोहानी-टेलीफोन नं. 7388448800/9044005893/1800 209 5363
नीलामी का स्थान: डीसीबी बैंक लिमिटेड, शालीमार टावर, जीएफ, टीसी-57/वी, विभूति खंड, गोमती नगर-226010

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों/गिरवीकर्ताओं तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।
संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं का निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी।
यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./-
तिथि: 15.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: लखनऊ — डीसीबी बैंक लिमिटेड

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना — DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार", "जो भी वहां है आधार", "जैसा भी वहां है आधार" तथा "कोई उपचार नहीं आधार" पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	ऋण संख्या	ग्राहक का नाम
1	19041200001922	विकास बंसल
2	19041200002745	नीना शर्मा
3	17941200001964	प्रवीण टंडन
4	17941200003995	सचिन जैन
5	06941200000383	सचिन सेठी
6	18541200000055	मोह. अंजुम
7	11941200008075	जॉनी जॉनी
8	18541200001236	अब्दुल तालिब
9	07041200005920	तेज सिंह नागर
10	18441200000152	विनोद कुमार गांधी
11	09341200001311	प्रिया बेदी
12	09341200001328	तरुण बेदी
13	09341200000884	मुकेश कुमार गर्ग
14	18341200002790	अजय सिंघल
15	17941200001063	राजिन्दर कुमार छाबड़ा
16	18441200001274	हरविन्दर सिंह
17	09241200001861	प्रदीप गुप्ता
18	18341200003315	अजय सिंघल
19	19041200000462	दुर्गेश सिंह
20	19041200002530	संजय अग्रवाल
21	18341200002974	सुबोध सुबोध
22	19041200002424	सतीश कुमार यादव
23	18341200000117	अजय सिंघल
24	06241200001526	हितेश तिवारी
25	17941200002073	प्रवीण कुमार वर्मा
26	16541200001090	राजेन्द्र कुमार
27	18741200003322	मोनिका कश्यप
28	06241200001212	चंदना मैती
29	11941200010186	मंजीत मंजीत
30	11941200010140	ईश्वर सिंह
31	18341200003162	नीतू चौहान
32	19041200002608	अनमोल कुमार वर्मा
33	18741200003148	सुमन शर्मा
34	09241200001748	विश्वनाथ प्रताप कुमार
35	18541200001700	कंचन प्रकाश
36	11941200001915	ओम प्रकाश भाटी
37	17941200003247	मोह. नईमुद्दीन सिद्दिकी
38	06941200000693	आशुतोष चन्द्र
39	18541200001465	राज कुमार
40	11941200006460	ईश्वर सिंह
41	07041200006784	परवेज खान
42	06941200000611	आशुतोष चन्द्र
43	18341200001465	सुबोध सुबोध
44	19041200002615	अनमोल कुमार वर्मा
45	19041200002769	नीना शर्मा
46	19041200002820	शाकिर हुसैन
47	18341200002820	नरेन्द्र कुमार राघव
48	15741200002158	संजीव कक्कर
49	11941200007032	भाणु प्रताप तिवारी
50	19041200002516	अमन खेड़ा
51	19141200008242	मोह. उस्मान सैफी
52	07041200000499	रविन्दर सिंह
53	11941200009508	ईश्वर सिंह
54	06241200001397	प्रभात कुमार सक्सेना
55	16541200001304	दर्शन लाल
56	11941200006037	प्रदीप कुमार
57	17941200003254	कंचन जैन
58	11941200001908	बरखा बरुआ
59	16541200000903	दीपक
60	17941200002790	शकील अहमद
61	17941200003742	शिवा चौहान
62	18541200000976	अमन शर्मा
63	11941200004534	अवतार भाटी
64	18341200007127	नरेन्द्र कुमार
65	18741200003612	प्रियंका सोनी
66	11941200007054	ईश्वर सिंह
67	11941200005838	विनोद एल
68	18741200002615	सुमन शर्मा
69	18341200002264	नीतू चौहान
70	11941200008846	प्रभात कुमार सक्सेना
71	11941200010025	जीतेन्द्र कुमार चौरसिया
72	19041200001045	रूप किशोर
73	11941200010113	प्रदीप कुमार
74	11941200010131	दिनेश कुमार
75	18541200000578	संदीप कुमार
76	19141200002646	पवन कुमार भाटी
77	11941200003926	जय कुमार
78	17941200003026	शकील अहमद
79	DGL755000543	अमरदीप कौर
80	DGL755001260	दीपक प्रसाद
81	DGL755001261	दीपक प्रसाद
82	DGL737001200	मनोज कुमार चौहान
83	DGL740002014	प्रवीण कुमार वर्मा
84	DGL735001802	शशि शशि
85	DGL887001200	परीक्षित वशिष्ट
86	DGL890001381	राजेश कुमार मिश्रा
87	DGL719004530	विकास कुमार

नीलामी की तिथि: 20 एवं 21 दिसम्बर, 2019
सम्पर्क व्यक्ति: प्रदीप दूबे- टेलीफोन नं. 8860638114
नीलामी का स्थान: डीसीबी बैंक लिमिटेड, ए-सेट बिल्डिंग, प्रथम तल, प्लॉट नं. 7/56, देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों/गिरवीकर्ताओं तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।
संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं का निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी।
यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./-
Date : 15.12.2019
तिथि: 15.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली — डीसीबी बैंक लिमिटेड

दूसरी नजर

■ पी चिदंबरम

घायल है भारत की आत्मा

नकाब उतर चुका है और पंजे दिखने लगे हैं।

हिंदू राष्ट्र का अभियान रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इसके इंजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके मोर्चे पर गृहमंत्री अमित शाह हैं। इसका डिजाइनर-इंजीनियर आरएसएस है, जो बड़े मजे से अब इसे देख रहा है।

मुसलमानों को दो टूक संदेश

आश्चर्य सिर्फ इस बात का है कि चुनाव में जोरदार जीत के बाद भाजपा तेजी से अपने एजंडे को बढ़ाती जा रही है, जैसे- तीन तलाक का अपराधीकरण, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), संविधान के अनुच्छेद 370 को खारिज कर देना, और अब नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पास करा लेना। ये सब हिंदू राष्ट्र परियोजना को आगे बढ़ाने की विस्तृत योजना का हिस्सा है।

इन कदमों के पीछे जो इरादा है, वह मुसलमानों को इस बात का स्पष्ट संदेश देना है कि वे इस देश के समान नागरिक नहीं हैं। ये कदम गोलवलकर-सावरकर के 'भारत एक हिंदू राष्ट्र' के सिद्धांत को दोहराते हैं।

नागरिकता कानून, 1955 जन्म से नागरिकता, वंश से नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, नागरिकता प्रदान करके नागरिकता, और क्षेत्र के विलय से नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। भारत में रह रहे बाकी दूसरे लोग 'अवैध प्रवासी' होंगे। विदेशी नागरिक कानून, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) कानून, 1920 इन पर लागू होगा और ये लोग निष्कासित किए जा सकेंगे। किसी व्यक्ति का धर्म चाहे वह नागरिक हो या अवैध प्रवासी, भारतीय नागरिकता की अवधारणा के प्रतिकूल है।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के पारित हो जाने के बाद ये सब बदल गए हैं। विधेयक संदिग्ध है। कई अध्येताओं और पूर्व जजों ने अपनी राय व्यक्त करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है।

सवाल कई, जवाब कोई नहीं

यह विधेयक किसलिए है? यह तीन देशों- अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को चुनता है। यह छह 'अल्पसंख्यक समुदायों'- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को चुनता है। यह मानकर चलता है कि इन तीन देशों में से किसी भी एक देश में इन छह समुदायों में से किसी एक भी समुदाय के व्यक्ति, जिसने 31 दिसंबर, 2014 या इससे पहले भारत में प्रवेश किया था, वह अपने गृह देश में 'प्रताड़ित' था और इसलिए कार्यपालिका के आदेश के जरिए उसे विदेशी नागरिक कानून और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) कानून से छूट प्रदान की जाती है। ऐसा व्यक्ति 'अवैध प्रवासी' नहीं होगा।

संक्षेप में इस संशोधन विधेयक ने नागरिकता पाने का नया रास्ता बना दिया है- कार्यकारी व्यवस्था से नागरिकता।

कई सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल पूछे गए, लेकिन सरकार के पास इनका कोई जवाब नहीं था-

1- इस विशेष व्यवहार के लिए सिर्फ तीन देशों को क्यों चुना गया और श्रीलंका, म्यांमा, भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को छोड़ दिया गया?

2- इस विशेष रियायत के लिए सिर्फ छह अल्पसंख्यक समुदायों को ही क्यों चुना गया और दूसरे समुदायों को छोड़ दिया गया, जो अपने गृह देश में भेदभाव के शिकार हैं, क्योंकि वे वहां बहुसंख्यक नहीं हैं, जैसे अहमदिया, हाजरा, बलूच, रोहिंग्या, यहूदी आदि?

3- इब्राहीम धर्म तीन हैं, सिर्फ ईसाई धर्म को ही क्यों शामिल किया गया, यहूदी धर्म और इस्लाम को क्यों छोड़ दिया गया?

4- हिंदुओं को क्यों शामिल किया गया, और क्यों श्रीलंकाई हिंदुओं को बाहर कर दिया गया? क्यों ईसाइयों को शामिल किया, लेकिन भूटान के ईसाइयों को छोड़ दिया गया?

5- विधेयक का आधार धार्मिक उत्पीड़न है। लेकिन जो लोग भाषायी, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जातीय आदि आधार पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या है? गृह युद्ध का उत्पीड़न झेलने वालों के बारे में क्या है?

6- निर्धारित तिथि 31 दिसंबर, 2914 ही क्यों रखी गई? असम समझौते में रखी गई निर्धारित तारीख 25 मार्च, 1971 पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या 25 मार्च, 1971 वाली निर्धारित तिथि को खारिज कर दिया गया है?

7- संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्यूलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित 'द इनर लाइन' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को संशोधित कानून के प्रावधानों से छूट देने का मकसद क्या है? इस छूट के नतीजे क्या होंगे?

8- क्या सीएबी और एनआरसी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं? किसे पहले लागू किया जाएगा, सीएबी को या फिर एनआरसी को?

9- जो लोग ये दावा करेंगे कि वे भारत में पैदा हुए हैं या 25 मार्च, 1971 के पहले भारत में आए हैं, क्या अब उनको कहानी बदलनी पड़ेगी और यह दावा कि वे अपने गृह देश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार थे? कौन-सा दावा झूठ होगा और कौनसा सही?

मुसलमानों को छोड़ने के नतीजे

अगर सीएबी और एनआरसी दोनों लागू हो जाएंगे तो एनआरसी के तहत बाहर किए गए गैर-मुसलिम सीएबी के तहत शामिल कर लिए जाएंगे। कुल मिलाकर नतीजा यह होगा कि सिर्फ मुसलमान अवैध प्रवासियों के तौर पर पहचाने जाएंगे और उन्हें बाहर किया जाएगा। इसके नतीजे बहुत ही डरावने होंगे।

एक बार बाहर किए जाने के बाद सरकार को निकाले गए लोगों को हिरासत केंद्रों में तब तक रखना होगा जब तक कि कोई देश या संबंधित देश उन्हें स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हो जाते। ये हिरासत शिविर कहां बनाए जाएंगे और ऐसे कितने शिविरों की जरूरत पड़ेगी? क्या 'अवैध प्रवासी' अपनी बाकी जिंदगी तक इन शिविरों में गुजारेंगे? उनके बच्चों की कानूनी स्थिति क्या होगी?

इसके अलावा भारत और विदेशों में इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नतीजे भी होंगे, लाखों मुसलमान अनिश्चित काल के लिए बंदी बन कर शिविरों में कैद हो जाएंगे। और भारत में इस सफाए का असर यह होगा कि श्रीलंका, म्यांमा और पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर देश छोड़ने के लिए दबाव बढ़ेगा।

यह स्पष्ट था कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संदर्भ में जांचे जाने पर सीएबी की संवैधानिक वैधता पर सोच-समझ कर विचार नहीं किया।

असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा, जिनमें सबसे ज्यादा हिंदू हैं, वे भी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं।

सीएबी और चारों ओर भड़की अशांति से उपजे सवालों के बावजूद संसद ने कार्यपालिका के साथ मिल कर इस असंवैधानिक विधेयक को पास करा लिया। अब समानता और संवैधानिक नैतिकता की बहाली का काम न्यायपालिका के पाले में जाएगा।

नक्सलवाद का नासूर

विवेक ओझा

इस वक्त देश के ग्यारह राज्यों के नब्बे जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। इनमें झारखंड के कुल तेईस में से उन्नीस जिलों को नक्सल और माओवाद प्रभावित माना गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मताबिक वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए झारखंड के तेरह जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए क्रमशः अरसी करोड़ और दो सौ साठ करोड़ रुपए निर्गत किए गए हैं।

नक्सलवाद और माओवाद से निपटने के उद्देश्य से इस वर्ष जुलाई में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें प्रमुख सचिव, प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), खुफिया ब्यूरो के निदेशक (डीआईबी), केंद्रीय सशस्त्र बलों के महानिदेशक शामिल हुए। इस समीक्षा बैठक में निष्कर्ष रूप में कहा गया कि पिछले पांच वर्षों में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में लगातार कमी आई है और भौगोलिक रूप से भी इसके प्रभावित क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई है। जब 2018 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें पाया गया था कि वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव एक सौ छब्बीस जिलों से कम होकर बयासी जिलों तक सिमट गया है, लेकिन सावधानी के तौर पर आठ और जिलों को इस सूची में जोड़ लिया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2018 में चौवालीस जिलों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर निकाल दिया गया था।

सरकार का मानना है कि उसकी नीतियां, सामाजिक-आर्थिक समावेशन रणनीति, सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और अन्य ठोस उपाय इस स्तर पर किए गए कि सरकार को इस मामले में सफलता मिली। राज्यों की ओर से सुरक्षा के संबंध में उनकी चिंताओं और सुझावों को दर्ज किया गया। वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों की कार्य स्थिति में सुधार करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन पर भी चर्चा की गई।

हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद और विशेषकर नक्सलवाद से निपटने में मिली सफलता पर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। 2014 से अप्रैल, 2019 के दौरान इसके पहले के पांच वर्षों की तुलना में नक्सली हिंसा से जुड़ी घटनाओं में तैंतालीस फीसद तक कमी आई है। गृह मंत्रालय के अनुसार नक्सली हिंसा की दो-तिहाई घटनाएं सिर्फ दस जिलों में हुई हैं। भारत सरकार का मत है कि नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण नक्सली हिंसा और इसके भौगोलिक विस्तार में कमी आई है। 2016-19 के बीच नक्सली हिंसा की संख्या 2013-15 की तुलना में 15.8 फीसद कम रही, और इस कारण होने वाली मौतों की संख्या में भी 16.6 फीसद कमी आई। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि वह नक्सलवाद से निपटने के लिए एक समग्र नीति लागू कर रही है। इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षाबलों की तैनाती करने के साथ ही विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि माओवाद से प्रभावित अब केवल दस राज्य- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं, जो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न करते हैं।

वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर की जाने वाली नक्सली और माओवादी हिंसक गतिविधियां भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक बड़ा खतरा है। शासन तंत्र, पूंजीपति और उद्योगपतियों को संदेह की नजर से देखने वाले नक्सली और माओवादी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ अपनी समानांतर सरकार चलाने में विश्वास रखते हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, विकास के लाभों का समतामूलक वितरण न होना, गरीबी और बेरोजगारी आदि के चलते उग्रवाद का प्रसार हुआ है। जनजातीय समुदाय में अत्यंत रक्तात्पात और अन्य बीमारियों से होने वाली मौत, जीविका के साधनों का अभाव, लघु वन उत्पादों के स्वामित्व को छीनने, भूमि स्वामित्व और अधिग्रहण के मामलों के फलस्वरूप उत्पन्न विस्थापन और सामाजिक आर्थिक बहिष्करण आदि आधारों पर वामपंथी उग्रवादी सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न खड़े करते हैं।

भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए इन क्षेत्रों में समावेशी विकास की रणनीति अपनाई है। सबसे पहले इन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन पर बल दिया गया है। इन क्षेत्रों में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने वित्तीय समावेशन के लिए बत्तीस वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में प्रथम चरण में 1788 ब्रांच पोस्ट ऑफिस (142 महाराष्ट्र में) की स्वीकृति दी है, जिसमें से 1484 ब्रांच पोस्ट ऑफिस कार्यशील हो चुके हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने वर्ष 2015 से 2018 के अंत तक तीस सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 604 नई बैंक शाखाएं और 987 एटीएम स्थापित किए हैं, जिससे इन क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं और सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रूपे डेबिट कार्ड को निर्गत करने और बैंक मित्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की गई है। नाबार्ड ने भी भारत के अनुसूचित बैंकों को ऐसे क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने में मदद करने और सौर शक्ति वाले वीसैट कनेक्टिविटी देने का भी प्रस्ताव किया है।

सामाजिक समावेशन के तहत इन क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के लिए रोशनी नामक स्कीम चलाई गई थी, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अब समाधान नामक रणनीति बनाई है, जिसमें कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण, कारगर खुफिया तंत्र, कार्ययोजना के मानक, कारगर प्रोद्यौगिकी, प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना और नक्सलियों के वित्तपोषण को विफल करने की रणनीति को शामिल किया गया है।

हाल में भारत सरकार द्वारा अवसंरचनात्मक विकास और सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण और आसूचना प्रणालियों को मजबूती देने के चलते वामपंथी उग्रवादी में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इसके अलावा पुलिस बलों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। उग्रवाद प्रभावित राज्यों में स्थानीय पुलिस की सतर्कता और दक्षता के बिना वामपंथी उग्रवाद समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की प्रमुख योजनाओं के अलावा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पहल की गई है, जिसमें प्रमुख तौर पर सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा शिक्षा शामिल हैं।

इस दशकों पुरानी समस्या से निपटने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों के साथ विभिन्न उच्चस्तरीय विचार-विमर्श के बाद यह उपयुक्त समझा गया है कि तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावी क्षेत्रों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के परिणाम मिलेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए वामपंथी उग्रवादी हिंसा के संबंध में इसके विस्तार और प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है और योजना तैयार करने, विभिन्न उपायों के क्रियान्वयन और उनकी निगरानी के संबंध में विशेष ध्यान देने के लिए ग्यारह राज्यों में नब्बे सर्वाधिक प्रभावित जिलों को लिया गया है। इसके पीछे सोच माओवादी खतरे से एक ठोस तरीके से निपटने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि करने की है।

मुद्दा

> केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की प्रमुख योजनाओं के अलावा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पहल की गई है, जिसमें प्रमुख तौर पर सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा शिक्षा शामिल हैं।

समस्याएं और भी हैं

वक़्त की नब्ज

■ तवलीन सिंह

इस हफ्ते मेरा पक्का इरादा था नरेंद्र मोदी के दूसरे शासनकाल के बारे में कुछ अच्छा लिखने का। इस नेक इरादे को अमल में लाने के लिए मैं भारत सरकार के एक आला अधिकारी से मिलने गई, यह जानने के लिए कि प्रधानमंत्री का जल शक्ति मिशन कहां तक सफल हुआ है। इस नए मिशन का लक्ष्य है 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर तक पानी पहुंचाने का। फिलहाल हमारे देहाती भाई-बहन जीवन की इस सबसे जरूरी चीज से इतने वंचित हैं कि अनुमान लगाया जाता है कि सिर्फ अठारह फीसद ग्रामीण घरों में जल नल से आता है। आला अधिकारी के साथ बातचीत चल ही रही थी कि असम और त्रिपुरा से हिंसा की खबरें आने लगीं। घर पहुंची और टीवी लगाया तो ऐसे दृश्य देखने को मिले, जिन्होंने असम की पुरानी, डरावनी यादें ताजा कर डालीं।

नेली जनसंहार के दृश्य आंखों के सामने घूमने लगे। खेतों में बिछीं लाशों की वे कतारें और उन कतारों में छोटे बच्चों की नन्ही लाशें, जैसे शिकार के बाद जानवरों की लाशें बिछाई जाती हैं। 18 फरवरी, 1983 के दिन हुआ था यह कत्लेआम, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2191 लोग मारे गए थे, लेकिन जिन चौदह गांवों में यह रक्तपात हुआ था, उनका अनुमान है कि मौतों की संख्या तीन हजार से दस हजार तक जाती है। मरने वालों में बंगाली मुसलिम और हिंदू दोनों थे। उनके घर जलाए गए थे, उनकी संपत्ति लूटी गई और उसके बाद लंबे समय तक असम में अशांति रही।

असम आंदोलन चला तब तक, जब तक राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद असम समझौता करके लोगों के आक्रोश को शांत नहीं किया। तबसे लेकर पिछले हफ्ते तक शांति रही है असम में, बावजूद इसके कि हाल में वहां नागरिकता सिद्ध करने के लिए मोदी सरकर ने मुहिम चलाई है, जिसके तहत उन्नीस लाख विदेशी पाए गए हैं। इनमें ग्यारह लाख हिंदू निकले। कई राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यही मुख्य वजह रही है नागरिकता कानून में इस संशोधन को इतनी जल्दी लाने की।

मगर ऐसा लगता है कि गृहमंत्री जी ने असम के इतिहास को भुला कर कदम उठाया है, वरना इतनी जल्दबाजी नहीं करते। असम में स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के बाद कि सेना को तैनात करना पड़ा। त्रिपुरा में भी हिंसक भीड़ें सड़कों पर उतर आईं। कानून तो बन गया है अब, लेकिन असम और त्रिपुरा के लोगों को आश्वस्त कैसे करेगी सरकर कि लाखों बंगाली हिंदुओं और चकमाओं के आने से उनकी सभ्यता, संस्कृति, भाषा और उनके रोजगार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? प्रधानमंत्री झारखंड में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे पिछले सप्ताह, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उनको एक आमसभा को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर के लोगों को कहना पड़ा कि 'आप अपने इस मोदी पर भरोसा कीजिए।'

> इस कानून ने हमारी अंदरूनी समस्याएं भी बढ़ा दी हैं। संसद में गृहमंत्री ने कई बार कहा कि इस कानून का भारत के मुसलिम नागरिकों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मुसलमानों में डर का माहौल बना हुआ है, खासकर गरीब मुसलमानों में।

सच पूछिए तो इस नागरिकता कानून की प्राथमिकता मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूं। माना कि मोदी सरकर का दिल इतना बड़ा है कि चिंता रहती है आसपास के इस्लामी देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और इसाई लोगों की। मगर क्या इस कानून को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या भारत की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को? मोदी के दूसरे दौर में मंदी ऐसी छाई रही है कि अब आम आदमी को भी चुभने लगी है। रोजमर्रा की चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोग बाजारों में सब्जियों के दाम देख कर हैरान रह जाते हैं। प्याज इतने महंगे हो गए हैं कि उनका आयात मिस्र से करना पड़ा।

मुंबई में हाल यह है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं। जिनकी क्षमता अभी तक हैं निवेश करने की, वे भी निवेश करने से डरते हैं अस्थिरता के कारण। इसका सीधा परिणाम यह है कि रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर मोदी मंत्र जपने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी विधानसभा चुनावों में, तो इसका एक मुख्य कारण यह था कि आम लोगों को वाहन उद्योग में हजारों नौकरियां जाने से खासी चिंता होने लगी थी।

ऊपर से मोदी की समस्या यह भी है कि नागरिकता कानून के कारण उनकी छवि पर दुनिया की नजरों में दाग लग गया है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने पत्रकारों से कहा कि इस कानून का विश्लेषण उनकी मानवाधिकार संस्थाएं कर रही हैं इस नजरिए से कि क्या यह मुसलमानों के साथ भविष्य में अन्याय का आधार तो नहीं बन सकता है। यह बात इस प्रवक्ता की पूरी ही हुई थी कि इमरान खान का बयान आया कि इस कानून से नाजी दौर की बदबू आती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खतरे की घंटी क्या बजाई कि बांग्लादेश के दो मंत्रियों ने भारत के अपने दौरे रद्द कर दिए, इसी नागरिकता कानून का हवाला देकर।

इस कानून ने हमारी अंदरूनी समस्याएं भी बढ़ा दी हैं। संसद में गृहमंत्री ने कई बार कहा कि इस कानून का भारत के मुसलिम नागरिकों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मुसलमानों में डर का माहौल बना हुआ है, खासकर गरीब मुसलमानों में। यह इसलिए कि गृहमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कई बार कि देश भर में नागरिकता साबित करने की मुहिम चलने वाली है, जिसमें हर नागरिक को अपनी नागरिकता का सबूत देना अनिवार्य होगा। सवाल है कि इस मुहिम से हासिल क्या होगा? भारत की समस्याएं और भी हैं प्रधानमंत्री जी, जिनका समाधान ढूंढ़ना ज्यादा जरूरी है।

बाहरी बनाम भीतरी

बाखबर

■ सुधीश पचौरी

नागरिकता संशोधन विधेयक पर संसद में लाइव बहसें जारी थीं। कुछ एंकर पहले से ही आश्वस्त थे कि सरकार के पास लोकसभा में तो प्रचंड बहुमत है ही, राज्यसभा में भी हो जाएगा। शिवसेना की पलटियों को लेकर कुछ एंकर कटाक्ष करते हैं कि अब देखें शिवसेना विधेयक को लेकर क्या 'स्टैंड' लेती है?

राज्यसभा में विधेयक पर बहस करते हुए मनोज झा कहते हैं कि भारत को 'इजराइल' बनाया जा रहा है। चिदंबरम पूछते हैं कि क्या इस विधेयक को विधि विशेषज्ञों को दिखा लिया था? सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगा! सबसे मनोरंजक हरसक्षेप कांग्रेस के अधीर रंजन करते हैं, जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे कहने में वे दस मिनट लेते हैं, फिर भी समझ नहीं आता कि क्या कह रहे हैं? टीमएसी के डेरेक ओब्रायन पहले बंगाली में शुरू होते हैं, फिर अंग्रेजी में खत्म करते हैं। वे असम के 'डिटेंशन कैंपों' की तुलना हिटलर की 'कंसेंट्रेशन कैंपों' से करते हैं और नागरिकता के 'महाप्लान' की तुलना हिटलर के 'मेडागारकर प्लान' से करते हैं। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि पहले कश्मीर हुआ, अब सारा पूर्वोत्तर जल रहा है।... आनंद शर्मा का कहना रहा कि आपने गांधी का चश्मा तो ले लिया, काश आप गांधी के चश्मे से दुनिया को देखते! एक और सांसद ने कहा : 'आइडिया ऑफ इंडिया' खतरे में है। 'हिंदू राष्ट्र' बनाया जा रहा है।

ममता बनर्जी बांग्ला में गर्जना करती दिखती रहीं कि इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। फिर केरल के सीएम विजयन और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह कहते दिखे कि केरल, पंजाब में ये कानून नहीं लागू होने देंगे।

गृहमंत्री ने अपने जवाबी भाषण में आश्वस्त किया कि यह किसी की नागरिकता 'लेने' का नहीं, बल्कि 'देने' का विधेयक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई आदि को नागरिकता देने की बात है। ये देश इस्लामिक हैं, इसलिए इनमें मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं, इसीलिए वे सूची में नहीं हैं और जो भारतवासी हैं, वे सब भारत के नागरिक हैं, किसी को नहीं निकाला जाएगा।

भाजपा के सांसद स्वप्नदास गुप्ता इस पर कटाक्ष करते हुए सफाई चाहते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि कुछ राज्यों में कानून लागू न हो? जवाब आता है, यह सब पर लागू होगा।

शुरू से ही एक हारी हुई बहस हारती दिखती है। आठ-नौ घंटे के तयशुदा समय में राज्यसभा में भी यह विधेयक पास हो जाता है।

सीन बदल जाता है। एक ओर नए संभव नागरिक नाचते दिखते हैं, तो दूसरी ओर असम, त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन दिखने लगते हैं। आगजनी होती दिखती है। पुलिस आंसू गैस मारती दिखती है। सेना की टुकड़ियां सड़कों पर उतरती दिखती हैं। असम के डिब्रूगढ़, दिसपुर और गुवाहाटी से लेकर त्रिपुरा के अगरतला में लोग टूटी-फूटी हिंदी में अपनी व्यथा सुनाने लगते हैं कि 'बाहरी को हियां लाता तो हम कहां जाता? ये बील एकदौम ठिक नेईं।...'

> शुक्रवार की सुबह जिस वक्त अदालत अपराधियों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, उससे पहले ही, लगभग सभी चैनल फांसी फांसी चिल्लाते दिखते थे। एक चैनल ने लाइन लिख कर सीधे अभियान ही चला डाला : उनको अभी लटकाओ!

बृहस्पतिवार के प्राइम टाइम में एक एंकर देर तक चीखता-चिल्लाता दिखा कि निर्भया के अपराधियों को तुरंत फांसी पर लटकाया जाए, ताकि अपने चैनल पर वह उसे लाइव दिखा सके कि जब ऐसे दरिंदों को फांसी पर लटकाया जाता है, तो किस तरह उनकी जान निकलती है और किस तरह से उनकी जीभ मुंह से बाहर निकल कर लटक जाती है।... देर तक वह यही कहता रहा कि फांसी के बाद उनकी लटकती जीभों को वह बार-बार दिखाना चाहता है, ताकि हर रेपिस्ट के मन में इतनी दहशत भर जाए कि वे फिर कभी ऐसी दरिंदगी न कर सकें।

फिर उसे लगा कि इस तरह के 'कंपटीटिव' फांसी प्रसारण के लिए यह मांग तो बहुत कम है, क्योंकि ऐसा तो सब दिखाएंगे। इसलिए और भी उत्तेजित होकर बोलता रहा कि वह चाहता है कि इनके गले में फांसी का फंदा डाल कर उनकी 'पब्लिक हैंगिंग' की जाए, ताकि उनकी जीभ बाहर लटक जाए और वह इसी रूप में उनको लाइव दिखा सकें ताकि रेपिस्टों में दहशत भर जाए और फिर कोई रेप करने से पहले हजार बार सोचे। उसने कहा भी कि उसके लिए बदले का नाम है न्याय!

यों उसने अपने साथ दो पेशेवर जल्लाद बिठा रखे थे, लेकिन इस वक्त वह उनसे भी सवाया जल्लाद और लिंचर बना नजर आ रहा था।

वह फांसी पर लटकाने का आनंद बेच रहा था। एक महिला वकील भी उसकी हां में हां मिलाए जा रही है, जबकि दोनों पेशेवर जल्लाद स्वयं शांत भाव से अंग्रेजी की यह हिंसक गिटपिट सुनते जाते थे।

जब एंकर ही जल्लाद बन जाए, जब एंकर ही फांसी पर लटके आदमी की जीभ को मुंह से बाहर लटकता देखने और दिखाने को उत्तेजित होता दिखे, तब न कोई डिबेट बचती है न तर्क-वितर्क बचता है, सिर्फ फांसी का तख्ता बचता है, जिस पर एंकर स्वयं रस्सी लिए खड़ा नजर आता है।

शुक्रवार की सुबह जिस वक्त अदालत अपराधियों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, उससे पहले ही, लगभग सभी चैनल फांसी फांसी चिल्लाते दिखते थे। एक चैनल ने लाइन लिख कर सीधे अभियान ही चला डाला : उनको अभी लटकाओ! निर्भया परिवार ने मांग की : उनको तुरंत लटकाओ! एक चैनल लाइन देने लगा : 'इंडिया सेज नो मर्सी' यानी भारत कह रहा है कि 'कोई दया नहीं'! एक अन्य चैनल ने खबर ब्रेक की कि तिहाड़ जेल अधिकारियों ने जल्लाद को निमंत्रित किया है।

राहुल ने 'मेक इन इंडिया' को एक रैली में 'रेप इन इंडिया' कह कर ताली ली, तो शुक्रवार की सुबह भाजपा के सांसद राहुल से माफी मंगवाने पर अड़ गए और शोर इतना हुआ कि अध्यक्ष जी को लोकसभा की बैठक कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी!

नई दिल्ली

राम के आदर्श का केंद्र है अयोध्या

फैजाबाद के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता लल्लू सिंह का कहना है कि अयोध्या को वैश्विक धार्मिक केंद्र बनाने की मुहिम तेजी से शुरू हो चुकी है। प्राचीन शहर होने के कारण यहां तोड़-फोड़ संभव नहीं है, लेकिन अन्य उपायों को अपना कर दो से तीन साल के अंदर भव्य राम मंदिर बन कर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या को केवल भव्य राममंदिर की दृष्टि से न देखें। राम ने जो आदर्श स्थापित किए, वह पूरे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अयोध्या आदर्श का भी केंद्र बनेगी। बातचीत कार्यक्रम का संचालन किया कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज ने।

बारादरी की बैठक में लल्लू सिंह

सभी फोटो : अरुण चोपड़ा

मनोज मिश्र : अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वहां क्या-क्या बदलाव हुआ है?

लल्लू सिंह : अभी तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, पर बहुत तेजी से बदलाव की ओर अग्रसर है। पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर लगी हैं। पूरे देश से जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, होटल वाले हैं, बहुत सारे लोग वहां पर अपने कारोबार शुरू करेंगे। स्वयंसेवी संस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाएं वगैरह बनाना चाहती हैं। अभी तो सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं बन रही हैं कि अयोध्या का किस तरह से विकास किया जाए और मोटे-मोटे रूप से योजना लगभग बन चुकी है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर कुछ संशोधन होगा। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तभी तय हो गया था कि देश भर में हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, उनका ठीक से विकास हो। कार्यकर्ता के नाते मैंने भी अपनी समझ से स्थानीय कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, से मिलकर विचार-विमर्श किया कि क्या काम किया जा सकता है। वह सब मैंने किया। खासकर रेल और सड़क मार्ग के विकास के मामले में बहुत काम हुआ है। जैसे बाराबंकी-जाफराबाद के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण स्वीकृत हुआ। प्रयाग से फैजाबाद, प्रयाग से बरती तक रेल लाइनों का काम शुरू हुआ। पिछली सरकार में जब प्रभु जी रेलमंत्री थे, तो उनसे मैंने आग्रह किया था कि फैजाबाद से रामेश्वरम के बीच रेल चलाई जाए, क्योंकि अयोध्या और रामेश्वरम का गहरा नाता है। तो, प्रभुजी ने उसे स्वीकृत कर दिया था। अब वह ट्रेन चलने लगी है।

इसके अलावा अयोध्या के चारों ओर जो सड़कें हैं, उन्हें ठीक करने का काम शुरू हो चुका है। एक मेडिकल कॉलेज भी वहीं बन कर शुरू हो चुका है। अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा होती है। उस मार्ग में अनेक ऋषि-मुनियों के आश्रम हैं। उनका विकास किया जा रहा है। अगर हमें राम को जानना है, तो राम की उत्पत्ति को भी तो जानना जरूरी है। उनसे जुड़े तमाम स्थलों को विकसित किया जा रहा है, ताकि लोग राम से जुड़े सभी स्थलों के बारे में जानें। ऐसे करीब डेढ़ सौ स्थल हैं। हमने नितीन गडकरी जी से बात की कि चौरासी कोसी परिक्रमा के रास्ते में पड़ने वाले इन सभी स्थलों का विकास हो, ताकि लोग अयोध्या आएं, तो उन्हें देखने के लिए और भी जगहें हों।

पंकज रोहिला : सरकार अयोध्या को पर्यटन केंद्र बनाना चाहती है। मगर अभी रामजन्मभूमि तक पहुंचने के रास्ते सुगम नहीं हैं, उसे कैसे ठीक करने जा रहे हैं?

● वह भी होने जा रहा है। उसकी योजना का प्रारूप तैयार है। आपको साल भर में वहां चौड़ी और सुंदर सड़कें मिलेंगी। शहर के भीतर भी और बाहर भी। शहर के भवनों को उजाड़ा तो नहीं जा सकता, पर जो अतिक्रमण है, उसे हटा कर इस काम को पूरा किया जाएगा। गडकरी जी ने चौरासी कोसी का भी उद्घाटन कर दिया है। प्रधानमंत्री जी, पर्यटनमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को हमने उन स्थानों की महत्ता बताई है। पुराणों और ऐतिहासिक ग्रंथों में उनके बारे में उपलब्ध समस्त जानकारियां इकट्ठा करके हमने दे दी है। वे इस पर काम कर रहे हैं।

दीपक रस्तोगी : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार को ट्रस्ट का गठन करना है। इसे लेकर भी विवाद हैं। सरकार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहां का सांसद होने के नाते आपने कोई सुझाव दिया है क्या?

● देखिए, जो जिसका काम है, उसे ही वह काम करना चाहिए। वह सरकार का काम है, राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। वह अपना काम करेगी। हमारा ट्रस्ट से बहुत कुछ लेना-देना नहीं है। हम शुरू से ही यह मान कर चलते ही हैं कि हम अयोध्या के राम भक्तों की सेवा करते हैं। कौन ट्रस्ट में रहेगा, कौन रहेगा, इससे हमारा मतलब नहीं है। अगर कोई सुझाव मांगा जाएगा, तो देंगे।

मुकेश भारद्वाज : मंदिर कब तक बन जाएगा?

● मंदिर बनने का काम मुझे लगता है कि दो-तीन महीने में शुरू हो जाएगा। उसे तैयार होने में दो-तीन साल तो लगेंगे। पर मंदिर भव्य बनेगा, यह हम विश्वास दिलाते हैं।

मृणाल वल्लरी : मस्जिद निर्माण के लिए जो फैसला आया है, उस पर क्या हो रहा है?

● उस पर भी सरकार विचार कर रही है कि उसके लिए जमीन कहां दी जाए। बहुत सारे स्थानों के बारे में विचार हो रहा है। जो तय होगा, वह उसे दे देंगे पांच एकड़।

सूर्यनाथ सिंह : अब अयोध्या पर फैसला आ गया है। यह भाजपा का पुराना मुद्दा रहा है। इस फैसले से भाजपा को कितना लाभ मिलेगा?

● हम राजनीतिक दृष्टि से इस पर विचार नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। नुकसान फायदा तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। चलता रहता है। जैसे अभी मैं अपने बारे में यह कह सकता हूं कि मैंने यही सीखा है कि कर्तव्य करते रहो, लोगों को जोड़ते रहो। विरोधियों के भी काम करो, वे आज नहीं तो कल तुमसे जुड़ेंगे जरूर। वोट से उनको न जोड़ो। आज भाजपा को जो वोट मिल रहा है, कभी किसी ने सोचा था कि इतना वोट मिलेगा। इसलिए मिल रहा है कि लंबे समय से लोगों ने काम किया है।

मृणाल वल्लरी : आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, पर कश्मीर और असम, पूर्वोत्तर हमसे दूर क्यों होते जा रहे हैं?

● अच्छा, यह बताइए कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर खत्म होना चाहिए था कि नहीं? जो पूरा देश चाहता था, वह हो गया, तो बुरा क्या है। देश के आजाद होने के बाद भी, देश का अभिन्न हिस्सा होने के बाद भी वहां का निशान अलग, विधान अलग क्यों होना चाहिए? क्या लोगों को लगता नहीं था कि वह हमसे अलग है? वहां व्यापार नहीं कर सकते थे, जमीन नहीं खरीद सकते थे। वहां शादी-विवाह नहीं कर सकते थे। और वह आतंकवादियों की शरणस्थली बन गया था। अगर हमें आतंकवाद समाप्त करना है, पीओके को लेना है, तो यह सब तो करना पड़ेगा न कभी न कभी!

मृणाल वल्लरी : नागरिकता संशोधन बिल के पास होने के बाद कई देशों के नेताओं ने अपने भारत दौरे रद्द कर दिए। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भी अपने दौरे रद्द करने पड़े। इसे आप किस रूप में देखते हैं?

● हम अगर अपने देश को जोड़ने का काम करें, आतंकवाद को समाप्त करने का काम करें, देश के हित में काम करें, तो उसमें दो-चार दौरे रद्द भी हो जाएं, तो क्या फर्क पड़ता है! इससे देश की प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे विश्व बिरादरी में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। वैचारिक संघर्ष इस समय पूरी दुनिया में हो रहा है। इसलिए कुछ न कुछ मुद्दे उठा कर हमारी विचारधारा के विरोधी लोग इस तरह का आंदोलन करते रहते हैं। नौजवानों को प्रेरित करते रहते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

पंकज रोहिला : पहले जो नागरिकता कानून था, वह तो सबके लिए था, मगर नए कानून में मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया गया?

● इसमें मुसलमानों को छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ने अपने संविधान में इस्लाम को मान लिया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां जो हिंदू, जैन, सिख, ईसाई आदि हैं उनके धर्मांतरण करने का प्रयास हुआ, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनकी बहन-बेटियों को बेइज्जत किया गया और वे वहां छोड़ कर यहां शरणार्थी के रूप में आए, उन्हें नागरिकता देने का मामला है। मगर जो इस्लामिक देश हैं वहां के लोग आते हैं, तो उन्हें नागरिकता देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो वहां सारे अधिकार मिले हुए हैं। जो आतंकवाद फैलाते हैं, उन्हें नागरिकता दें, तो वह हमारे देश के हित में नहीं होगा।

मनोज मिश्र : मगर संसद में सवाल उठाया गया कि अगर उन देशों से गैर-मुसलिम आतंकवादी भी आते हैं, तो उन्हें कैसे पहचानेंगे?

● अमूमन देखा गया है कि सिर्फ इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, वहां एक ही समुदाय के लोग उनमें लिप्त पाए गए। इक्का-दुक्का को छोड़ दें। मगर जो यहां स्वाभाविक रूप से नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। हम प्रयास भी कर रहे हैं।

सूर्यनाथ सिंह : आप उत्तर प्रदेश से हैं। वहां जब दूसरे दलों की सरकारें थीं, तो अपराध काफी बढ़ा हुआ था। भाजपा सरकार आने के बाद माना जा रहा था कि अपराधों पर काबू पाया जा सकेगा। पर ऐसा नहीं हो पाया। अपराध बढ़े हैं। क्यों?

● ऐसा नहीं है। आज सड़कों पर अपराधी नहीं दिखाई देते, जो गाड़ी में असलहे लेकर निकला करते थे। मगर पिछले पंद्रह-बीस सालों में सरकार की नीतियों के कारण जो बढ़ा था, वह एकदम से नहीं खत्म किया जा सकता। धीरे-धीरे उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि वहां का अपराधीकरण खत्म हो। इसके लिए समाज को भी मिल कर वातावरण बनाना पड़ेगा।

मृणाल वल्लरी : आपकी पार्टी के नेता अक्सर लड़कियों के कपड़े, मोबाइल फोन वगैरह की बातें छेड़ देते हैं। ऐसे में स्त्रियों की सुरक्षा कैसे संभव होगी?

● यह सब फालतू की बात है। कोई भी अगर ऐसा करता है, तो नहीं करना चाहिए। समाज की मानसिकता ठीक बने, इसके लिए वातावरण बनाने के लिए सभी को मिल कर प्रयास करना चाहिए।

दीपक रस्तोगी : नागरिकता संशोधन के बाद पूर्वोत्तर में जो विद्रोह हुआ है, वहां तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ही नहीं। उससे कैसे निपटेंगे?

● उस पर भी संसद में बात उठी। वहां के सांसद लोग जो कह रहे हैं, उनके विचारों को सुना जाएगा। उनकी मांगों पर विचार होगा, यह बात है केंद्र सरकार के मन में।

अयोध्या के चारों ओर जो सड़कें हैं, उन्हें ठीक करने का काम शुरू हो चुका है। एक मेडिकल कॉलेज भी वहीं बन कर शुरू हो चुका है। अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा होती है। उस मार्ग में अनेक ऋषि-मुनियों के आश्रम हैं। उनका विकास किया जा रहा है। अगर हमें राम को जानना है, तो राम की उत्पत्ति को भी जानना जरूरी है। उनसे जुड़े तमाम स्थलों को विकसित किया जा रहा है, ताकि लोग राम से जुड़े सभी स्थलों के बारे में जानें।

पंकज रोहिला : रोजगार के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश को कहां खड़ा पाते हैं?

● हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार कृषि के क्षेत्र में काम कर रही है, उससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। फिर पिछले दो सालों में योगी जी ने जिस तरह उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने का काम किया, जिस प्रकार से समिट कराई है उसमें कुछ ऐसे काम होंगे, उद्योग लगेंगे कि जिस जिले में जो उत्पाद होता है, उसे बढ़ावा मिले। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसा कि चौरासी कोसी परिक्रमा की बात की। वहां डेढ़ सौ जगहों पर पर्यटन के लिहाज से विकास होगा तो वहां दुकानें खुलेंगी, वहां लोगों के रुकने के लिए होटल बनेंगे, ढाबे खुलेंगे, कई धंधे पनपेंगे। इस तरह बहुत सारे लोगों को स्वाभाविक रूप से रोजगार मिलेंगे।

आर्येंद्र उपाध्याय : देश की अर्थव्यवस्था निरंतर बिगड़ रही है। उसे संभालने की तरफ सरकार गंभीर क्यों नजर नहीं आती?

● सरकार इसे लेकर सजग है। हम सबको भरोसा है कि भविष्य में इस समस्या से पार पा लेंगे। देखिए, जब आप कुछ करते हैं, तो उसके कुछ अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम आते हैं। स्वाभाविक रूप से नोटबंदी हुई और जीएसटी भी लागू हुई। उसके परिणाम भविष्य में नजर आएंगे, कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि भविष्य में इससे देश मजबूत ही होगा। कुछ समय के लिए कठिनाई जरूर है, पर इससे पार पा लिया जाएगा।

प्रस्तुतिः सूर्यनाथ सिंह / मृणाल वल्लरी

जनसत्ता बारादरी

लल्लू सिंह

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के जिला सहादतगंज में एक नवंबर 1954 को जन्म हुआ। स्नातकोत्तर तक की शिक्षा हासिल की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1991 से 2012 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद के सांसद के रूप में जीत दर्ज की। रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के विकास पर पूरे देश की नजर है। वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अयोध्या और राममंदिर को पहचान दिलाने की कवायद में जुटे हैं। आम आदमी से जुड़े और जमीनी नेता की पहचान रखते हैं।

पं. सूर्यनारायण व्यास : प्रतिनिधि रचनाएं

किताबें मिलीं

साहित्य, संस्कृत, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्त्व और व्यंग्य के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान पद्मभूषण पं. सूर्यनारायण व्यास ने उज्जयिनी के गौरवशाली अतीत को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए अपने जीवन की सांस-सांस समर्पित कर दी। विक्रम के शौर्य और कालिदास की सौंदर्य कल्पना को युग की नई चेतना से संयोजित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्तिमंदिर और कालिदास स्मृतिमंदिर उनके सपनों के साकार ज्योतिर्बिंब हैं।

पंडित जी के चुने हुए निबंधों का यह संकलन उनकी साधना, शोध-प्रवृत्ति, संघर्ष, उल्लास और सर्जनात्मक प्रतिभा का संपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। इन निबंधों में एक साधक की सात दशक की सांस्कृतिक यात्रा के पद-चिह्न अंकित हैं। भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि विभिन्न आयामों का व्यासजी ने मौलिक ढंग से, नई सूझ-बूझ के साथ पर्यवेक्षण किया है। वे एक साथ ज्योतिर्विद, तत्त्व-चिंतक, इतिहास-संशोधक, साहित्यकार, पत्रकार, कर्मठ कार्यकर्ता, उग्र क्रांतिकारी, हिमशीतल मनुष्य और आत्मानुशासित व्यक्ति थे।

अखिल भारतीय कालिदास समारोह के जनक और विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक पं. व्यास अनेक विधाओं के विदग्ध विद्वान थे। उनकी रचनावली आए तो एक-दो नहीं पच्चीस खंड भी कम पड़ें, मगर गागर में सागर उनकी सभी विधाओं का रसास्वादन है- उनकी प्रतिनिधि रचनाओं का यह संचयन।

पं. सूर्यनारायण व्यास- प्रतिनिधि रचनाएं; सं. प्रभाकर श्रोत्रिय, राजशेखर व्यास; प्रभात प्रकाशन, 4/19, आसफ अली रोड, नई दिल्ली; 700 रुपए।

थर्ड जेंडर विमर्श

हिजड़ा, किन्नर, ख्वाजासरा, छक्का... अनेक नाम उस मानव समूह के, जो न तो स्त्री हैं, न पुरुष। समाज उन्हें विचित्र दृष्टि से देखता है। अपने परिवार की खुशी, उन्नति और उर्वरता के लिए उनसे दुआएं पाने के लिए लालायित रहता है, पर उनके साथ पारिवारिक संबंध नहीं रखना चाहता। उनके पास सम्मानजनक रोजगार नहीं है। अनेक परिस्थितियों में उन्हें यौन संतुष्टि का साधन बनना और वेश्यावृत्ति में लिप्त होना पड़ता है। समाज का दायित्व था कि वह इस तृतीयलिंगी समूह को अंगीकार करता, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं।

हिंदी कथा साहित्य में थर्ड जेंडर की पीड़ा को, उसके जीवन के गोपन पत्र को दुनिया के सामने लाया जाने लगा। लोगों में कौतूहल जागा, भले ही धीरे-धीरे। 'यमदीप', 'किन्नर कथा', 'तीसरी ताली', 'गुलाम मंडी', 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा' जैसे उपन्यास लिखे गए। स्वयं थर्ड जेंडर ने आत्मकथाएं लिखीं। शिक्षा, समाज, राजनीति और धर्म के क्षेत्र में थर्ड जेंडर ने अपनी योग्यता को साबित किया।

समय आ गया है कि समाज और थर्ड जेंडर के बीच की दूरी मिटाई जाए। साहित्यकार इसके लिए साहित्यिक सेतु बनाने लगे हैं, जो थर्ड जेंडर विमर्श के रूप में आकार ले चुका है। शरद सिंह द्वारा संपादित यह पुस्तक इसी की एक कड़ी है।

थर्ड जेंडर विमर्श : संपादक- शरद सिंह; सामयिक प्रकाशन, 3320-21, जटवाड़ा, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली; 250 रुपए।

छंगुरी

कुल ग्यारह कहानियों का यह संकलन सुमन सिंह की प्रतिभा के नए आयाम खोलता है। इनकी कहानियों में भावनाओं का बेजोड़ चित्रण देखने को मिलता है। वह समस्याओं को सीधे-सीधे न उठा कर समस्याओं के भीतरी संसार में जाती हैं और बड़ी बारीकी से उन्हें पात्रों के माध्यम से उठाती हैं। समकालीन कहानी में इधर जो बौद्धिक विमर्श और फार्मूलाबद्ध लेखन सफलता का पर्याय माना जाता है, उससे अलग इनकी कहानियां 'कहानीपन' की विधा को साधे अपनी सादगी और मानवीय संवेदना के कारण अलग प्रभाव छोड़ने में सफल रहती हैं। भावनाओं का मर्म और जीवन का यथार्थ- दोनों रूप इनकी कहानियों में परस्पर समन्वित हैं। कहानी का शिल्प, कहानी की संरचना और कहानी की अनुभूति को समेटे ये कहानियां परिवार और समाज के पारस्परिक संबंधों के भीतर बहने वाली संघर्षशीलता को गहरी दृष्टि से अन्वेषित करती हैं। इन कहानियों में मानवीय जीवन के अनेक पक्षों को सहज ही देखा जा सकता है।

इन कहानियों में जीवनानुभवों को रेखांकित करती हुई पीछे छूटती कहानी की परंपरा को वापस लौटाने का संकेत मिलता है। 'कहन' की शैली में नयापन और कथ्य को साधने की कला में सुमन का अंदाज उन्हें अलग ही पहचान देता है। कहानी का एक विराट और वैविध्यपूर्ण संसार सुमन सिंह के सामने है जहां वह अपने संवेदनशील और मानवीय संबंधों की ऊष्मा लेकर दस्तक दे रही हैं।

छंगुरी : सुमन सिंह; अनंग प्रकाशन, बी-107/1, गली मंदिर वाली, समीप खड़ा फैक्ट्री, उत्तरी घोंडा, दिल्ली; 195 रुपए।

जिंदगी का पाठ

सरला माहेश्वरी की कविताओं को केवल राजनीतिक स्वर की कविता कहना समकालीन काव्य में उनकी कविताओं को कमतर करके आंकने जैसी काव्य-वृत्ति होगी। यह सही है कि उनकी कविताओं का केंद्रीय स्वर जनविद्रोह है, जो कहीं-कहीं राजनीतिक भंगिमा का वरण करती है, तो कहीं सामाजिक चेतना का। वे पूरी तरह राजनीतिक शोर का कोई काव्य-इतिवृत्त नहीं है। वे कविताओं के भीतर जो जनविद्रोह का चेतस स्वर रचती हैं,वह मात्र हमारे मन को उकसाती भर नहीं, उसे झिंझोरती भी हैं। यह सकारात्मक सामाजिक बदलाव के लिए हमें भी तैयार करती हैं। इनमें समाज को बदलने की मुहिम की अविकल आवाजें हैं, जागरण के बोलते-बतियाते शब्द हैं, आगाज की सत्वर आहटें हैं। ये कविताएं हमें यातना के विरुद्ध केवल उठ कर खड़े होने को प्रेरित ही नहीं करतीं, व्यवस्था की विद्रूपताओं पर हमला भी बोलती हैं। ऐसे कठिन समय में जब मनुष्य की आजादी सरकार और समाज की चौतरफा प्रच्छन्न नाकेबंदी और बेड़ियों से पामाल हो और सब ओर अराजकता और कुशासन का माहौल चल रहा हो, हमें अपने अधिकारों के प्रति आगाह करती हैं।

जिंदगी का पाठ : सरला माहेश्वरी; सूर्य प्रकाशन मंदिर, बीकानेर; 700 रुपए।

नई दिल्ली

लोकसभा में विपक्ष दिखा हमलावर

मनोज मिश्र
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

संख्याबल में कमजोर होने के बावजूद संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष लगातार सदन में हावी रहा। 18 नवंबर से शुरू हुए सत्र के आखिरी दिन 13 दिसंबर को तो सत्ता पक्ष ने ही राहुल गांधी से माफी मंगवाने के लिए हंगामा करके सदन को चलने नहीं दिया। भारी बहुमत होने के चलते सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हंगामों के बीच नागरिक संशोधन बिल से लेकर ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने वाला बिल और एसपीजी संशोधन बिल आदि 14 बिल लोकसभा में में पास करवाए। पिछली बार से उलट इस बार विपक्ष के सदस्यों ने बेल में आकर घंटों नारे लगाए, वाक आउट किया और सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।

यह भी सही है कि महाराष्ट्र में भाजपा की तीन दिन पुरानी सरकार हटने के दूसरे दिन 25 नवंबर को प्रश्नकाल में सभी 20 सवाल पूछे जाने का अनोखा रेकार्ड बना। ऐसा 1972 के बाद पहली बार हुआ था। कई दिन सदन में तय समय से ज्यादा काम हुआ लेकिन कई दिन सदन पहले स्थगित भी करनी पड़ी। इस बार तो ज्यादातर मंत्री भी सदन में कम ही दिखे। इतना ही नहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में कम दिखे। इसका एक कारण तो झारखंड विधानसभा चुनाव और विदेशी राजनयिकों की दिल्ली में आवाजाही मानी जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि प्रधानमंत्री सदन में पूरे सत्र के दौरान एक बार भी नहीं बोले।

शीतकालीन सत्र

विपक्ष को एक के बाद एक करके मुद्दे मिलते गए और उसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया। भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा नाथू राम गोडसे को राष्ट्रभक्त बताने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष की फजीहत हुई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दो बार माफी मांगनी पड़ी। विवाद की दिशा बदलने की कई बार कोशिश हुई लेकिन विपक्ष एकजुट रहा। काफी समय बाद सदन में अशोभनीय हालात बने जब दो कांग्रेस सदस्य मार्शल से भिड़ गए। सदन बार-बार स्थगित किया गया। छह दिसंबर को उन्नाव में बलात्कार पीड़िता को जलाए जाने की घटना पर चर्चा के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में कांग्रेस के कुछ सदस्यों और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच तीखी नोंकझोक हो गई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कांग्रेस के दो सदस्यों टीएन प्रतापन एवं डीन कुरियाकोस से माफी की मांग की। इस विवाद के चलते पहले दो बार सदन की कारवाई स्थगित करनी पड़ी लेकिन विवाद थमता न देख दोपहर बाद ढाई बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बलात्कार मामलों को लेकर बयान पर शुक्रवार को लोकसभा में भाजपा सदस्यों ने भारी हंगामा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से पूरा देश आहत हुआ है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और ऐसे बयान देने वाले सदस्य को सदन में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। सदन में भाजपा सदस्यों के भारी हंगामे के बीच इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। तीसरी बार सदन शुरू होने पर अध्यक्ष ने सत्र के बारे में अपना बयान देकर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

नागरिक संशोधन बिल और दूसरे बिलों के पास करवाने के अलावा किसी भी दिन भाजपा सदस्य पूरी संख्या में सदन में नहीं दिखे। इस 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में संभवतः लोकसभा के इतिहास में पहली बार तय समय से ज्यादा काम हुआ, हंगामा न के बराबर हुआ। सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने से लेकर, तीन तलाक समेत 35 सरकारी विधेयक पास करवाए। हालात ऐसे लग रहे थे कि सदन में विपक्ष कहीं दिखा ही नहीं। आनन फानन में सत्र को बढ़ा कर कई लंबित विधेयक पास करवाए गए।

वादे पूरे करने में नाकाम रही राजग सरकार : मनमोहन

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा)।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया और दावा किया कि अब यह साबित हो गया है कि छह साल पहले किए गए वादे झूठे थे।

सिंह ने 'भारत बचाओ रैली' में कहा, 'आज से तकरीबन छह साल पहले मोदी जी ने देश की जनता को बड़े-बड़े सब्जबाग दिखलाए थे। उन्होंने जनता से वायदा किया था कि वो 2024 तक देश की राष्ट्रीय आमदनी को पांच हजार अरब डॉलर तक पहुंचा देंगे, किसानों से उन्होंने वायदा किया था कि किसानों की आमदनी 5 साल में दोगुनी कर दी जाएगी। देश के नौजवानों से उन्होंने ये वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नए रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे।' उन्होंने कहा, 'भाइयों और बहनों! अब तो ये साबित हो गया कि ये सब वायदे झूठे थे और देश की जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने जो भी वायदे किए, उनको पूरा करने में ये बिल्कुल नाकाम रहे हैं।' सिंह ने कहा, 'हमारा फर्ज बनता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें, ताकि हम देश को सही मायने में आगे ले जा सकें।' उन्होंने कहा, 'सोनिया गांधी जी का संदेश दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है और मैं समझता हूं कि ये उत्साह जो आपमें सामने नजर आ रहा है, ये देश को नई दिशा देने में पूरी तरह से कामयाब होगा।'

अंधेर नगरी चौपट राजा का माहौल : सोनिया

पेज 1 का बाकी

अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इनको संवैधानिक संस्थाओं की कोई परवाह नहीं है। इनका सिर्फ एक संकीर्ण एजंडा है, लोगों को आपस में लड़ाकर अपनी विफलताओं को छिपाया जाए।

राजधानी के रामलीला मैदान में पार्टी की भारत बचाओ रैली को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा कि इस सरकार में अंधेर नगरी, चौपट राजा का माहौल है। उन्होंने कहा कि आज का माहौल ऐसा हो गया है कि जब मर्जी आए, कोई धारा लगा दो, कोई धारा हटा दो, प्रदेशों का दर्जा बदल दो। जब मर्जी आए राष्ट्रपति शासन हटा दो। बिना बहस के कोई भी विधेयक पारित कर दो। ये संविधान-दिवस मनाने का दिखावा करते हैं, और हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं।

उन्होंने दावा किया कि नया नागरिकता कानून बनाने की सनक भी, इन पर काफी समय से सवार थी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून अभी लाए हैं, वह भारत की आत्मा को तार-तार कर देगा, जैसा कि असम और पूर्वोत्तर के प्रदेशों में हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कमर कस लें।

सोनिया ने अर्थव्यवस्था की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि युवा रोजगार की तलाश में भटकर रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। अन्नदाताओं को खेती के लिए सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हमारे कामगार दिन-रात मजदूरी में लगे रहते हैं। फिर भी उन्हें रोटी ठीक नहीं मिल रही है। छोटे व्यापार इस सरकार की नीतियों के कारण तबाह हो गए हैं। महिलाओं के ऊपर जिस तरह की बर्बरता और जुल्म आज हो रहे हैं, उसे देखकर हमारा दिल टूट सा रहा है, हमारा सिर शर्म से झुक जाता है।

रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए अपील की कि संविधान को बचाने और देश को विभाजन से बचाने के लिए सभी आवाज उठाएं। नागरिकता संशोधन कानून का हवाला देते हुए प्रियंका ने कहा कि इस सरकार में ऐसे कानून बन रहे हैं जिससे देश का संविधान खतरे में है। रैली को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, ज्योतिराव सिंधिया, गौरव गोगोई, कीर्ति आजाद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी संबोधित किया।

सावरकर राष्ट्रीय आदर्श, उन पर कोई समझौता नहीं : शिवसेना

मुंबई, 14 दिसंबर (भाषा)।

शिवसेना ने शनिवार को राहुल गांधी की ओर से कसे गए तंज पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हिंदुत्व विचारक के प्रति श्रद्धा को लेकर कोई 'समझौता' नहीं किया जा सकता। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने ट्वीट किया, 'वीर सावरकर न सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश के लिए आदर्श हैं। सावरकर का नाम राष्ट्र और स्वयं के बारे में गौरव को दर्शाता है। नेहरू और गांधी की तरह सावरकर ने भी देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। ऐसे प्रत्येक आदर्श को पूजनीय मानना चाहिए। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता।' कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुआई वाली सरकार में शामिल है।

राउत ने कहा, 'हम पंडित नेहरू, महात्मा गांधी में विश्वास करते हैं। आप वीर सावरकर का अपमान न करें।'

गंगा सफाई के लिए लोग भी आएं आगे

पेज 1 का बाकी

ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से शनिवार सुबह कानपुर के चकेरी हवाईअड्डे पर उतरे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों तथा केंद्रीय मंत्रियों ने उनका स्वागत किया।

राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में मोदी ने कानपुर शहर में 'नमामि गंगे' की परियोजनाओं का हाल और उसमें गिर रहे नालों का जायजा लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, 'प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गंगा स्वच्छता का सांस्कृतिक यज्ञ चल रहा है। आज 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' आगे की नीति-रणनीति पर विचार कर रही है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, 'वह दिन अब दूर नहीं कि जब गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक, हर जगह माँ गंगा निर्मल, अविरल, निर्झर होंगी। काशी हो, प्रयाग हो या कानपुर हर कहीं गंगाजल आचमन योग्य होगा। 'नमामि गंगे' परियोजना के माध्यम से हर भारतीय का यह स्वप्न पूरा होगा।' प्रधानमंत्री चकेरी हवाईअड्डे पर उतरने के बाद हेलिकॉप्टर से चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय (सीएसएयू) पहुंचे।

नृत्यांगना लीला सैमसन पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

पेज 1 का बाकी

की। उन्होंने बताया कि संस्कृति मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि फाउंडेशन के अधिकारियों ने सामान्य वित्त नियमों का उल्लंघन करते हुए 'सीएआरडी' के साथ पुनरुद्धार कार्य के लिए अनुबंध किया था।

मंत्रालय ने 2016 में जांच के बाद आरोप लगाया कि फाउंडेशन ने 7.02 करोड़ रुपए की परियोजना के अनुमानित मूल्य से 62.20 लाख रुपए ज्यादा खर्च किए। इस सिलसिले में दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए आकलन के मुताबिक यह ठेके अपेक्षाकृत ज्यादा कीमत पर दिए गए और इसी के अनुरूप ठेकेदारों को भुगतान किया गया। सैमसन छह मई 2005 से 30 अप्रैल 2012 के बीच फाउंडेशन की निदेशक रही थीं। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन द्वारा 1985 में बनाए गए सभागार के पुनरुद्धार की जरूरत 2006 में महसूस की गई।

अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है : चिदंबरम

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अर्थव्यवस्था टूट चुकी है और यह सरकार गोलवलकर और सावरकर के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी है।

चिदंबरम ने 'भारत बचाओ रैली' में कहा, 'छह साल पहले भाजपा सत्ता में आई। इससे पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। हमने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और उस वक्त हमारी औसत आर्थिक विकास दर 7.5 फीसद थी।' उन्होंने कहा, 'आप खुद से पूछिए कि इन्होंने क्या किया? आज भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है। बेरोजगारी चरम पर है। छोटी दुकानें बंद हो गई हैं। लाखों की नौकरी चली गई। इसका कोई संकेत नहीं है कि देश इस स्थिति से बाहर निकलेगा।' कांग्रेस नेता ने कहा, 'अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हर दिन बुरी खबर आ रही है। आज की बुरी खबर है कि निर्यात और आयात गिर गया है।

सरकार के खिलाफ कांग्रेस का शंखनाद

पेज 1 का बाकी

आयोग से भी शिकायत की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं व समर्थकों से खचाखच भरे राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित पार्टी की भारत बचाओ रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि सही बात बोलने के लिए मुझसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। माफी तो प्रधानमंत्री और उनके सहायक अमित शाह को मांगनी चाहिए, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। नोटबंदी और वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू कर सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था को ऐसी चोट पहुंचाई कि उससे यह आज तक नहीं उबर पाई।

उन्होंने कहा कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज के दौर में है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर नौ फीसद से घटकर चार पर पहुंच गई। यहां तक कि जीडीपी मापने का भी तरीका बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे तरीके से नापोगे तो अब 2.5 फीसद जीडीपी है। राहुल ने कहा कि इन्होंने झूठ कहा कि हमें काले धन से लड़ना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है। वास्तव में इन्होंने गरीबों की जेब से, महिलाओं की जेब से पैसे निकालकर अडानी-अंबानी के हवाले कर दिए।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम कहते रह गए कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जीएसटी लागू की जाए लेकिन राजग सरकार ने रातोरात इसे लागू कर अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। राहुल ने कहा कि किसान देश को बनाता है तो ईमानदार उद्योगपति भी देश को बनाता है। मगर पिछले पांच वर्षों में इस सरकार ने अडानी को 50 ठेके दिए हैं। एक लाख करोड़ से ज्यादा के हवाई अड्डे और बंदरगाह पकड़ा दिए।

राहुल ने कहा कि कुछ ही दिन पहले 15 से 20 लोगों का 1 लाख 40 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया है। जब तक गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं की जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि असम और पूरे पूर्वोत्तर में इन लोगों ने आग लगा दी है। देश को कमजोर किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया ने हमारी सरकार के दौर में अपना काम किया, लेकिन इस दौर में वह अपना काम भूल गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब आप पर हमला होता है तो हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण होता है। मैं आपसे कहूंगा कि देश को डराया जा रहा है और कांग्रेस वाला तो कभी डरता नहीं है।

75 हजार करोड़ की अटकी परियोजनाओं को हरी झंडी

पेज 1 का बाकी

कर चुका है। 68 परियोजनाएं अत्यंत गंभीर श्रेणी की हैं। इन परियोजनाओं में मंत्रालय 76 फीसद पैसा निवेश कर चुका है और इनके लिए केवल 24 फीसद धनराशि की आवश्यकता है। यह धनराशी करीब आठ हजार करोड़ है। इन योजनाओं के लिए जल्द ही पैसा जारी किया जाएगा और इन्हें एक साल की तय समयसीमा में पूरा किया जाएगा। इसका लाभ पूरे देश के रेल नेटवर्क और रेल यात्रियों को होगा।

रेल मंत्रालय वर्तमान में जिन अहम योजनाओं को लागू करने में लगा है उनमें अलग से मालवाहक ट्रेक, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल सिस्टम को अपग्रेड करना, लाइनों का विद्युतीकरण और एकल लाइनों को दोहरी लाइन व्यवस्था में परिवर्तित करना है।

रेल मंत्रालय ने गंभीर श्रेणी की परियोजना की भी एक कार्य सूची तैयार की है। इस श्रेणी में 58 परियोजनाएं हैं। इन 58 परियोजनाओं को शुरू किया जा चुका हैं और मंत्रालय ने 9 फीसद पैसा अब तक खर्च कर चुका है। एक अनुमान के मुताबिक इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब 75 हजार करोड़ रुपए की धनराशि की आवश्यकता होगी। मंत्रालय की योजना हैं कि इन्हें दूसरे चरण में पूरा किया गया जाएगा। इन योजनाओं अधिकतर ऐसी योजना शामिल हैं, जिन्हें निकट भविष्य में निजी भागीदारी के तहत आगे बढ़ाया जाना है।

जामिया पांच जनवरी तक बंद, परीक्षाएं रद्द

पेज 1 का बाकी

भी बनाई थी। वहीं जामिया प्रशासन का कहना है कि विश्वविद्यालय के बाहर हुई हिंसा में उनके छात्र कम और बाहरी लोग ज्यादा शामिल हैं।

इस कानून के खिलाफ विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने पांच जनवरी तक छुट्टी की घोषणा कर दी और सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। इससे पहले शनिवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्धारित परीक्षा रद्द करने की घोषणा की थी। लेकिन बाद में विश्वविद्यालय पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया गया। विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। रविवार को विश्वविद्यालय बंद है। इसके बाद भी विश्वविद्यालय बंद रहेगा। विश्वविद्यालय छह जनवरी, 2020 से खुलेगा। 16 दिसंबर से पांच जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है। छात्र निहाल अशरफ (25) ने कहा- परीक्षाएं सिर पर थीं लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। अगर देश में कुछ गलत होता है तो जामिया अपनी आवाज उठाएगा। हमने कक्षा और परीक्षाओं का बहिष्कार किया है। हमलोग अपने अधिकारों के लिए बार-बार मार्च निकालते रहेंगे।

असम में कल तक इंटरनेट सेवाएं बंद

पेज 1 का बाकी

कि इन सेवाओं को निलंबित किया गया है, क्योंकि 'फेसबुक, वाट्सऐप, ट्विटर और यू-ट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल अफवाहों को फैलाने और तस्वीरों, वीडियो आदि को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है, जो लोगों उकसाने के साथ ही कानून-व्यवस्था को खराब कर सकती हैं।' इंटरनेट सेवाओं को शुरुआत में राज्य के 10 जिलों में बुधवार को 24 घंटे के लिए निलंबित किया गया था, फिर इसे समूचे राज्य में और 48 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया, यह निलंबन शनिवार दोपहर समाप्त होना था।

पांच देशों ने सतर्क किया अपने नागरिकों को

पेज 1 का बाकी

नागरिकों असम बिलकुल नहीं जाने की सलाह दी है। पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले अपने नागरिकों को इजराइल ने अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार काम करने की सलाह दी है। अमेरिका ने प्रदर्शन के केंद्र असम की आधिकारिक यात्राएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। अमेरिका द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है, 'भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अमेरिकी नागरिकों को नागरिकता (संशोधन) विधेयक को मंजूरी मिलने से हो रहे प्रदर्शन और हिंसा की खबरों के मद्देनजर सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में सरकारी कर्फ्यू लगाया गया है। इंटरनेट और मोबाइल संचार सेवाएं बाधित हो सकती हैं। विभिन्न हिस्सों में आवाजाही प्रभावित हो सकती है।' ब्रिटिश सरकार ने भी अपने नागरिकों को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने को लेकर आगाह करते हुए नया यात्रा परामर्श जारी किया है। सभी देशों के लिए फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस (एफसीओ) द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किए जाने वाले नियमित यात्रा परामर्श खंड में ब्रिटिश नागरिकों को इस क्षेत्र की अति आवश्यक यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने भी पूर्वोत्तर भारत के लिए यात्रा नोटिस जारी किया है और अपने नागरिकों को वहां की यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने कहा, 'बदलती हुई स्थिति के मद्देनजर यात्री स्थानीय खबरों के माध्यम से अपने आप को नई चीजों से वाकिफ रखें और निजी सुरक्षा के लिए जरूरी एहतियात बरतें, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं।' कनाडा ने अपने नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड की गैर जरूरी यात्राएं टालने की सलाह दी है। दूसरी ओर, एक अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि भारत में नागरिकता (संशोधन) विधेयक (कैब) से पड़ने वाले असर को लेकर अमेरिका चिंतित है।

हिंसा से दहला बंगाल

पेज 1 का बाकी

पहुंचाया और मुर्शिदाबाद तथा हावड़ा जिलों ने इसका दंश झेला।

इस नए कानून का पुरजोर विरोध कर रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं विपक्षी भाजपा ने धमकी दी है कि यदि बांग्लादेशी मुसलिम घुसपैठियों का उपद्रव जारी रहा तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र का रुख करेगी।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य के विभिन्न हिस्सों में करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति या तो नष्ट कर दी गई या भीड़ द्वारा लूट ली गई। मुर्शिदाबाद जिले के कृष्णपुर स्टेशन पर कई खाली ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा लालगोला स्टेशन पर रेल पटरियों पर तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद के सुजनीपारा स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की और पड़ोसी मालदा जिले में हरिशचंद्रपुर में रेल पटरियों पर आगजनी की। उन्होंने हावड़ा जिले के संकरेल रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की, इसके टिकट काउंटर में आग लगा दी और सिग्नल प्रणाली को क्षतिग्रस्त कर दिया। रेलवे सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने बताया कि जब आरपीएफ और रेलकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब उनकी पिटाई कर दी गई। उत्तरी 24 परगना जिलों तथा हावड़ा (ग्रामीण) से हिंसा की खबरें मिली हैं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-छह (मुंबई रोड) और राष्ट्रीय राजमार्ग-दो (दिल्ली रोड) को कोलकाता से जोड़ने वाले कोना एक्सप्रेसवे पर हावड़ा में यातायात अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि कोना एक्सप्रेसवे पर करीब 25 सार्वजनिक एवं निजी बसें फूंक दी गई। प्रदर्शनकारियों ने मालदा और मुर्शिदाबाद में कई बसों को आग के हवाला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ मामलों में दमकल वाहनों और एंबुलेंसों को भी नहीं बख्शा।

पुलिस ने बताया कि मुर्शिदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 और जिले की कई अन्य सड़कों को बाधित कर दिया गया। यह राजमार्ग उत्तरी और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है। वहां बसों को भी आग के हवाले कर दिया गया। जिले में अन्य सड़कों को भी बाधित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा जिले के दोम्जुर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग छह भी बाधित कर दिया। उन्होंने टायर जलाए और कई वाहनों में तोड़ फोड़ की।

अधिकारियों ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले में कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीजार्च करना पड़ा। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि बीती रात से ग्रामीण हावड़ा के बगनान इलाके में 20 दुकानों में आगजनी की गई। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा जिले में संकरेल रेलवे स्टेशन परिसर के एक हिस्से में भी आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन पर मौजूद रेलवे पुलिस बल के कर्मियों को भी पीटा।

पाक को सख्त संदेश देने के लिए था बालाकोट हमला : धनोआ

चंडीगढ़, 14 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय वायु सेना के पूर्व प्रमुख बी एस धनोआ ने कहा है कि बालाकोट हवाई हमला पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों व आतंकवादी संगठनों को यह बताने के लिए था कि भारत में किसी भी आतंकवादी हमले की 'कीमत चुकानी पड़ेगी' और प्रभावी तरीके से यह संदेश पड़ोसी मुल्क को समझा दिया गया है ।

पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से यहां आयोजित सैन्य साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन 'अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ बालाकोट' पर चर्चा के दौरान पूर्व वायु सेना अध्यक्ष बोल रहे थे। धनोआ ने कहा, 'बालाकोट का संदेश पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों एवं आतंकवादी संगठनों को यह बताने के लिए था कि भारत में आतंकवादी हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी, जो प्रभावी रूप से बता दिया गया है।'

उन्होंने हालांकि कहा, 'हमारी तरफ से कुछ 'मूर्खतापूर्ण गलतियां' हुई हैं जिसके लिए उपाय किए गए हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाएगा।' धनोआ ने हालांकि, ये 'मूर्खतापूर्ण गलतियां' क्या थी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। धनोआ ने जोर देकर कहा कि भारत सरकार ने जिस प्रकार बड़े पैमाने पर हताहत होने वाले आतंकवादी हमलों का जवाब दिया है वह अपने आप में एक मिसाल है।

कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन से राहुल की वापसी के संकेत

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 15 दिसंबर।

- रैली में बेहद आक्रामक अंदाज में दिखे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
- लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी अध्यक्ष पद से दे दिया था इस्तीफा

दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शनिवार को आयोजित कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़ को जहां पार्टी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, वहीं इस सियासी जलसे से यह संकेत भी मिले कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर वापसी कर सकते हैं।

लोकसभा चुनाव में पार्टी के निराशजनक प्रदर्शन से हताश होकर कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने वाले राहुल ने झारखंड की चुनावी सभाओं से लेकर संसद तक और उसके बाद रामलीला मैदान की रैली में भी केंद्र की भाजपा की अगुआई वाली सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक तेवर दिखाकर ऐसे संकेत दिए कि चुनावी हार की हताशा से उबरकर अब वे फिर से नई लड़ाई को तैयार हैं। देश के किसानों-मजदूरों, नौजवानों और छोटे दुकानदारों के हक में आवाज बुलंद कर कांग्रेस नेता ने भविष्य की कांग्रेसी सियासत की दिशा भी स्पष्ट कर दी और देश भर से आए पार्टी के नेताओं के सामने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में पार्टी को समाज के इन कमजोर तबकों के हक की लड़ाई लड़नी है।

क्या यह रैली राहुल की वापसी के संकेत हैं? यह सवाल पूछने पर कांग्रेस प्रवकता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी गए ही कहां थे कि उनकी वापसी होनी है। वे पहले भी कांग्रेस में थे और अब भी पार्टी को नेतृत्व दे रहे हैं। हालांकि जानकारों की मानें तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कीरवैए की खुलकर आलोचना करने वाले राहुल ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अपने आप को पार्टी के महत्त्वपूर्ण फैसलों से बिलकुल अलग कर लिया था। कहा तो यह भी जाता है कि उनके करीबी नेताओं के लिए भी उनसे मिलना या फान पर बात कर पाना मुश्किल हो गया था।

जानकार बताते हैं कि राहुल के इस्तीफे के बाद करीब दो माह तक उनके मान-मनौव्वल की कोशिशें होती रहीं लेकिन मानने के बदले उन्होंने अपने इस्तीफे को सार्वजनिक कर दिया और आखिरकार सोनिया गांधी को अंतरिम तौर पर फिर से कांग्रेस की बागडोर संभालनी पड़ी। सोनिया गांधी की उम्र और सेहत के मद्देनजर ऐसा कहा जाने लगा था कि यदि राहुल नहीं मानें तो पार्टी के सामने प्रियंका गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा लेकिन रामलीला मैदान में प्रियंका ने अपने संबोधन में बार-बार यह जताने की कोशिश की कि उनकी सियासत का दायरा उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक ही सीमित है। फिलहाल वो उसको लांघने वाली नहीं हैं। उन्होंने पहले भी पर्दे के पीछे रहकर राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने का काम किया और संभवतः वह आगे भी इसी भूमिका में रहना चाहती हैं। जाहिर तौर पर रामलीला मैदान की रैली से कांग्रेस पार्टी ने सह संकेत दिए कि पार्टी की बागडोर एक बार फिर से राहुल गांधी को सौंपी जा सकती है।

कांग्रेस भड़का रही है हिंसा : शाह

पेज 1 का बाकी

'हम नागरिकता संशोधन अधिनियम लेकर आए हैं और कांग्रेस को पेट दर्द होने लगा। वह उसके खिलाफ हिंसा भड़का रही है।' भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 'मैं असम और (अन्य) पूर्वोत्तर राज्यों (के लोगों) को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी संस्कृति, सामाजिक पहचान, भाषा, राजनीतिक अधिकारों को नहीं छूआ जाएगा तथा नरेंद्र मोदी सरकार उनकी रक्षा करेगी।' शाह ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा ने इस मुद्दे को लेकर उनसे मुलाकात की है।

www.readwhere.com

सरकार ने कई दूरगामी और महत्वाकांक्षी सुधार किए : कांत

वाशिंगटन, 14 दिसंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले कुछ साल में कई दूरगामी और महत्वाकांक्षी सुधार किए हैं। जो भारत को प्रतिस्पर्धी एवं उत्पादकता के लिहाज से दक्ष अर्थव्यवस्था बनाएंगे। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

कांत ने एक साक्षात्कार में कहा, 'भारत के बारे में काफी सकारात्मक माहौल है।' उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) समेत दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के जरिए क्रोनी पूंजीवाद को समाप्त करना, रेरा के जरिए रियल एस्टेट में सुधार करना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आदि दीर्घकालिक अवधि में भारत को प्रतिस्पर्धी एवं उत्पादकता के लिहाज से दक्ष अर्थव्यवस्था बनाएंगे।

उन्होंने कहा, 'भारत की कहानी अभी शुरू हुई है।' कांत ने कहा, 'शहरीकरण, बुनियादी संरचना सृजन और आगे बढ़ने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की हमारी प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। ये जो सुधार किए गए हैं, इनकी बुनियाद पर शानदार वृद्धि की कहानी आप अगले तीन दशकों में देखेंगे।'

प्याज के दाम नीचे नहीं आए तो कीमतें बढ़ा सकते हैं रेस्तरां

मुंबई, 13 दिसंबर (भाषा)। भारतीय होटल और रेस्तरां संघ ने शुक्रवार को कहा कि अगर महानगर में प्याज की कीमत जल्द ही 60 रुपए किलो के स्तर पर नहीं आती हैं तो प्याज से बने व्यंजनों की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती है। पिछले कुछ सप्ताह में मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में प्याज 160-170 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है।

बांग्लादेश ने नौ सामानों के आयात पर लगी रोक हटाई

अगरतला, 14 दिसंबर (भाषा)।

बांग्लादेश की सरकार ने त्रिपुरा के दो स्थलीय बंदरगाहों के जरिए भारत से नौ सामानों के आयात पर लगी रोक हटा ली है। इससे क्षेत्र के व्यापारियों को लाभ मिलेगा। यह जानकारी एक अधिकारी ने शनिवार को दी।

त्रिपुरा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अतिरिक्त निदेशक स्वप्ना देवनाथ ने कहा कि बांग्लादेश ने त्रिपुरा के नौ स्थलीय बदरगाहों के जरिए 2018-19 में भारत को 522.42 करोड़ रुपए के सामानों का निर्यात किया, जबकि आयात महज 14.66 करोड़ रुपये रहा।

उन्होंने कहा, 'इस व्यापार असंतुलन का कारण बांग्लादेश द्वारा विभिन्न सामानों के आयात पर लगाई गई रोक है। बांग्लादेश ने अब अखौड़ा और श्रीमंतपुर स्थलीय बंदरगाह से नौ सामानों के आयात पर लगी रोक अब हटा ली है।'

DCB BANK

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार", "जो भी वहां है आधार", "जैसा भी वहां है आधार" तथा "कोई उपचार नहीं आधार" पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	ग्राहक का नाम	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति
1	29741200000028	जगदीश	20 एवं 21 दिसम्बर, 2019 श्री फजल उर रहमान, टेलीफोन नं. 8291287548/49
2	29741200000602	मोह. जुबैर	
3	29741200000745	मोह. अकरम	

नीलामी स्थल का पता: डीसीबी बैंक लिमिटेड, 3/209-ए, सोंग्रा हाउस, मैरिस रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों/गिरवीकर्ताओं तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।

संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं का निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

तिथि: 15.12.2019
स्थान: अलीगढ़

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

DCB BANK

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार", "जो भी वहां है आधार", "जैसा भी वहां है आधार" तथा "कोई उपचार नहीं आधार" पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	ग्राहक का नाम	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति
1	29841200000055	मोह. जावेद सिद्दिकी	20 एवं 21 दिसम्बर, 2019 श्री सूर्यांश रस्तोगी, टेलीफोन नं. 07379328444/ 09453014371
2	29841200000082	मोह. जावेद सिद्दिकी	
3	29841200000046	सौरभ कुमार सिंह	

नीलामी स्थल का पता: डीसीबी बैंक लिमिटेड, 16/107 (1), सिविल लाइन्स, कानपुर उत्तर प्रदेश-208001

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों/गिरवीकर्ताओं तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।

संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं का निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

तिथि: 15.12.2019
स्थान: कानपुर

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

PMC FINCORP LIMITED

CIN: L27109UP1985PLC006998
Regd Office:- B-10 VIP Colony, Civil Lines, Rampur UP-244901
Corp Office:- 14/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060
Ph: 011-42436846 Email:- pritimercantile@gmail.com website: www.pmcfinance.in

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and Half Year ended 30th September, 2019

(₹ in Lacs)

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	30.09.2019 Unaudited	30.06.2019 Unaudited	30.09.2018 Unaudited	30.09.2019 Unaudited	30.09.2018 Unaudited	31.03.2019 Audited
Total Income from Operation (Net)	59.60	146.98	149.92	206.58	296.00	649.92
Net Profit/(Loss) from the ordinary activities after tax	(15.67)	86.67	103.46	71.00	191.97	220.51
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(15.67)	86.67	103.46	71.00	191.97	159.35
Total Comprehensive Income for the period (Comprising of Profit/loss and other Comprehensive Income)	(5.69)	145.97	103.46	140.28	191.97	159.35
Equity Share Capital	5090.61	5090.61	5090.61	5090.61	5090.61	5090.61
Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance sheet of previous year)	1697.70	1713.37	1730.14	1697.70	1730.14	1697.90
Earning Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 1/- each)						
Basic:	0.00	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03
Diluted:	0.00	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03
Earning Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 1/- each)						
Basic:	0.00	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03
Diluted:	0.00	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter & Half Year ended 30.09.2019 Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The Full format of the Quarter and Half Year ended Financial Results are available with Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.pmcfinance.in. The Detailed Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30.09.2019 have been reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Directors in their respective meeting held on 14.12.2019. The figures of the previous period/year have been regrouped/ recast, wherever considered necessary, to confirm to current year classification.

Place : New Delhi
Date : 14.12.2019

For PMC FINCORP LIMITED
Sd/-
Rekha Modi
Director

BOI
निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग, प्र. का.

निविदा सूचना

बैंक ऑफ इंडिया थर्ड पार्टी वेंडर ऑडिट के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर जाएं। जमा करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2019 है।

बिक्री सूचना

संतोष ओवरसीज लिमिटेड (परिसमापन में)
परिसमापकः श्री रोहित सहगल
पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं. डीपीटी 501, डीएलएफ प्राइम टावर्स, ओखला फेज, नई दिल्ली, दिल्ली-110020
ईमेल आईडी: assetsale2@aaainsolvency.in, rohit.sehgal@aaain-solvency.com
सम्पर्क नं.: + 91 8800865284 (श्री पुनीत सचदेव/श्री वसीम)
ई-नीलामी
दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 30 दिसम्बर, 2019 को 3.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

संतोष ओवरसीज लिमिटेड (परिसमापन में) जो आदेश तिथि 27 सितम्बर, 2019 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक के परिसमापन सम्पदा का भाग है, के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों की बिक्री। यह बिक्री परिसमापक द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म https://aaa.auctiontiger.net के द्वारा की जायेगी।

परिसम्पत्तियां	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	वृद्धि मूल्य
ग्राम राजारामपुर, परगणा एवं तहसील-सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र. में स्थित भूमि एवं भवन (भूमि क्षेत्रफल माप 12.98 एकड़)	ए	2268 लाख	226 लाख	5 लाख
ग्राम राजारामपुर, परगणा एवं तहसील-सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र. में स्थित प्लान्ट एवं मशीनरी	बी	1395 लाख	139 लाख	5 लाख
ग्राम राजारामपुर, परगणा एवं तहसील-सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र. में स्थित भूमि एवं भवन के साथ प्लान्ट एवं मशीनरी (भूमि क्षेत्रफल माप 12.98 एकड़)	सी	3663 लाख	366 लाख	5 लाख
ग्राम राजारामपुर, परगणा एवं तहसील-सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र. में स्थित वाहनों	डी	11.51 लाख	1.1 लाख	0.5 लाख

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

1. ई-नीलामी स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Auction Tiger) के द्वारा "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर आयोजित होगी।
2. परिम्पत्तियों के विवरणों, ऑन-लाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा, प्रतिज्ञापत्र, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाईट: https://aaa.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्क करें: श्री तिलक मराठा, +91-6351896834/ 079-61200580 एवं 6351896834 tilak@auctiontiger.net, rikin@auctiontiger.net.\ support@auctiontiger.net. क. (लिंक https://aaa.auctiontiger.net पर जाकर बोलीदाता को अधोलिखित में से किसी एक i) कम्पनी का नाम (संतोष ओवरसीज लिमिटेड), अथवा ii) (राज्य एवं सम्पत्ति का प्रकार का उपयोग कर वर्णित कम्पनी को सर्च करना होगा।
3. अपनी बोली जमा करने से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं को अपने स्वयं के खर्चे पर सम्पत्ति के टाइटल, यदि कोई हो, स्थानीय करों के बकायों, बिजली एवं पानी के शुल्कों, रखरखाव शुल्कों, आदि परिसम्पत्तियों से संबंधित अपना स्वतंत्र जाँच कर स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिये। संभावित बोलीदाता श्री वसीमः +91-8800865284 से सम्पर्क कर पूर्व अनुमति के साथ साईट पर उपरोक्त सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को "संतोष ओवरसीज लिमिटेड- परिसमापन में", खाता नं. 50200045249887, एचडीएफसी बैंक, शाखाः बी-54ए, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-110048, आईएफएससी कोडः HDFC0000092 के पक्ष में देय किसी अनुसूचित बैंक के डीडी/ एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा अथवा "संतोष ओवरसीज लिमिटेड-परिसमापन में" के पक्ष में डीडी द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करना होगा अथवा सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में दिये गये रूप में प्रारूप ए अथवा प्रारूप बी में ईएमडी राशि का बैंक गारन्टी देना होगा।
5. इच्छुक बोलीदाता को 1) पहचान के प्रमाण, 2) वर्तमान पता- प्रमाण, 3) पैन कार्ड, 4) वैध ई-मेल आईडी, 5) लैंडलाइन एवं मोबाईल फोन नम्बर, 6) परिशिष्ट 1 के अनुसार शपथ-पत्र अथवा वचन, 7) परिशिष्ट II के अनुसार बोली आवेदन प्रपत्र, 8) परिशिष्ट III के अनुसार बोलीदाता द्वारा उद्घोषणा, इन परिशिष्टों का सम्पूर्ण प्रारूप ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिया जा सकता है, की स्वतः सत्यापित प्रति के साथ ई-नीलामी में भागीदारी के लिये ईएमडी के साक्ष्य अथवा बैंक गारन्टी तथा भागीदारी के लिये अनुरोध पत्र जमा करना होगा। **ये सभी दस्तावेज 27 दिसम्बर, 2019 के 7.00 बजे सायं से पूर्व नीचे दिये गये पते पर डाक या ई-मेल द्वारा परिसमापक के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये। इच्छुक बोलीदाता को 27 दिसम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व https://aaa.auctiontiger.net पर ईएमडी जमा करने के विवरणों के साथ अपना केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना होगा।**
6. पोर्टल (https://aaa.auctiontiger.net पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य बोलीदाता के नाम की पहचान परिसमापक द्वारा की जायेगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता (Auction tiger) योग्य बोलीदाताओं को ई-मेल द्वारा यूजर आईडी तथा पास्वर्ड उपलब्ध कराएंगे।
7. यदि बोली ई-नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन समय असीमित विस्तारों के साथ स्वतः आगे पांच मिनट बढ़ जायेगा। ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उन्हें इस आशय की सूचना दी जायेगी जो परिसमापक द्वारा स्वीकृति के अधीन होगा।
8. सफल बोलीदाता की ईएमडी बिक्री मूल्य के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस लौटा दी जाएगी। **ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी।** परिसमापक सफल बोलीदाता के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी करेंगे तथा सफल बोलीदाता को परिसमापक द्वारा एलओआई जारी करने के 10 दिनों के भीतर शेष राशि (सफल बोली राशि-ईएमडी) का भुगतान करना होगा। एलओआई में वर्णित समय-सीमा में सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि के भुगतान में चूक करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि (ईएमडी+अन्य कोई राशि) जब्त कर ली जाएगी।
9. सफल बोलीदाता को लागू होने वाले स्टाम्प शुल्कों/ अंतरण चार्ज, शुल्क आदि तथा अन्य सभी स्थानीय करों, शुल्कों, रैट्स, गणना चार्जेज, नीलामी की संपत्ति से संबंधित शुल्कों आदि का वहन करना होगा।
10. परिसमापक को उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/ रद्द/ निलम्बित करने तथा सम्पत्ति अथवा उसके किसी भी भाग को ई-नीलामी से वापस लेने का अधिकार है।
11. सम्पूर्ण बिक्री राशि के भुगतान पर केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही बिक्री प्रमाणपत्र/ अनुबंध जारी की जाएगी तथा अन्य किसी नाम में नहीं।
12. यह बिक्री दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों के प्रावधानों के अधीन होगी।
13. यदि एक से अधिक बोलीदाता ईएमडी जमा नहीं करते हैं तो परिसमापक को स्टेकधारकों से परामर्श कर नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने का सम्प्रभु अधिकार होगा।
14. कम्पनी के व्यवसाय तथा प्रचालनों का ड्यू डिलिजेन्स करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को परिसमापक के माध्यम से कार्यरत कम्पनी द्वारा स्थापित एवं प्रबंधित डैटा रूम ("डैटा रूम") में प्रवेश दी जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी की तिथि तक डैटा रूम में जानकारी की एक्सेस दी जाएगी। इच्छुक बोलीदाता द्वारा डैटा रूम में एक्सेस तथा जानकारी का उपयोग समय-समय पर परिसमापक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियमों के अनुसार की जा सकेगी।

ई-नीलामी तिथि एवं समयः 30 दिसम्बर, 2019, 3.00 बजे अप. से 5.00 बजे सायं (5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

तिथिः 13.12.2019
स्थानः दिल्ली

हस्ता./- रोहित सहगल, परिसमापक
संतोष ओवरसीज लिमिटेड (परिसमापन में)
IBBI पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-2018/10953
पताः ए-604, सज्जन विहार, सेक्टर-43, गुड़गाँव, हरियाणा-122002
ईमेल आईडीः iamrs101@gmail.com
सम्पर्क नं.: 011 46664626; +91 88008652845 (श्री वसीम)

Bank of Baroda (A Govt. of India Undertaking)
बैंक ऑफ बड़ौदा (भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय (डीएमआर-II), बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 11वीं मंजिल, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001,
दूरभाष : 91-011-23441124, 91-011-23441147, फैक्स : 91-011-23441114, ई-मेल : operations.dm2@babkofbaroda.com

सार्वजनिक सूचना

यह उन बहुमूल्य ग्राहकों के लिए सूचना है जिन्होंने बैंक की विभिन्न शाखाओं में लॉकर ले रखे हैं और समय से किराया नहीं अदा किया है, बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किरायेदारों के पास उनके अभिलेखित पतों पर सूचनाएँ भेजी गयीं किन्तु कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। अब निम्नलिखित सभी व्यक्तियों के पास सम्बद्ध शाखा से सम्पर्क करने हेतु तथा 15 दिनों के भीतर बैंक का बकाया अदा करने हेतु यह अन्तिम सूचना दी जाती है, जिसमें असफल होने पर बैंक उनकी लागत, जोखिम और उत्तरदायित्व पर लॉकर को तोड़कर खोलने की कार्यवाही करेगा और बैंक बकाया किराये, लागतों तथा अन्य प्रभारों की वसूली हेतु अपने इन्वेंट्री ग्रहणाधिकार का उपयोग करेगा।

क्र.	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	लॉकर सं.	बकाये की तिथि	शाखा	शाखा
1	एल. शंकर पाण्डेय	A/22, सेक्टर 14, नोएडा	258	01.04.2018	ईवीबी दिल्ली कैंट	ई विजया
2	भानु प्रताप साहनी	एन 14/36, डीएलएफ, फेज-II, प्रथम तल, डीएलएफ सिटी, गुरुग्राम, हरियाणा-122002	A01/0055	25.05.2015	ईडीबी गुरुग्राम	ई देना
3	चन्द्र प्रकाश गर्ग	प्लॉट सं. 274, सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा-122001	A02/367	28.05.2018	ईडीबी गुरुग्राम	ई देना
4	गीता चावला	C/O राजीव मेडिकोज, धॉप नं. 39/27, ज्योति पार्क, गीता भवन रोड, गुरुग्राम हरियाणा.122001	A/460	16.07.2016	ईडीबी गुरुग्राम	ई देना
5	कविता शर्मा/विपिन शर्मा	मकान नं. 754, सी/2, पटेल नगर, गुरुग्राम	A/468	20.04.2018	ईडीबी गुरुग्राम	ई देना
6	हरभजन सिंह	मकान नं. 296/4 मरला, मॉडल टाउन, गुरुग्राम हरियाणा.122001	A/473	02.08.2017	ईडीबी गुरुग्राम	ई देना
7	देवेन्द्र बत्रा	डी 5/6 भूतल, एक्सक्लूसिव	A/488	02.03.2014	ईडीबी गुरुग्राम	ई देना
8	एचबी छाबड़ा/रवि छाबड़ा	ए-44, किरन गार्डन, ए-ब्लॉक, नवादा, उत्तम नगर- 110059	13	02.06.2018	ईडीबी नवादा	ई देना
9	विनय कुमार चौधरी	ए6, खसरा नं. 338, रोड सं. 1, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037	83	01.04.2017	ईवीबी महिपालपुर	ई विजया
10	कृतिका	पीपी3. पीतमपुरा, मौर्या एन्कलेव	1258	28.02.2018	मौर्या एन्कलेव	बीओबी
11	मधुफूल	M 2741 D/ 2 फ्लैट्स, नेताजी नगर, नई दिल्ली 110023	33	01.01.2016	हौजखास	बीओबी
12	दीपक धवन	80/48 A, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017	617	31.08.2018	हौजखास	बीओबी
13	औराधा बजाज/वीरेन्द्र अरोड़ा/नीता अरोड़ा	B6/90, सफदरजंग एन्कलेव, दिल्ली-110029	33A	30.03.2017	ईडीबी सफदर	ई देना
14	डीएस गुप्ता/अंजू गुप्ता	A3/6 वसन्त विहार, नई दिल्ली 110057	117A.R	23.10.2016	ईडीबी सफदर	ई देना
15	प्रकाश चांदना/गौरव चन्द्रा शिवानी चन्द्रा	B 155, शेख सराय, फेज 1, दिल्ली-17	155 A.R	12.12.2016	ईडीबी सफदर	ई देना
16	मनीष माथुर	C37, मानस अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091	39F	06.05.2017	ईडीबी सफदर	ई देना
17	नीलम भारद्वाज	M 2770 नेताजी नगर, अफ्रीका एवेन्यू, चाणक्यपुरी, दिल्ली-23	150 A.R	25.06.2017	ईडीबी सफदर	ई देना
18	विनोद सोपोरी/उषा सोपोरी	73, आनन्द लोक, अगस्त क्रान्ति मार्ग, दिल्ली	273A	07.09.2017	ईडीबी सफदर	ई देना
19	वीरेन्द्र पुरी	89, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली-3	408A	18.04.2017	ईडीबी सफदर	ई देना
20	के.एल. डाबर	E 50, पालिक आवास, सरोजिनी नगर, दिल्ली-110023	36.A	20.07.2007	ईडीबी सफदर	ई देना
21	सुधा अग्रवाल/कपूर देवी/वी.के. बंसल	C1/325A, पालम विहार, गुरुग्राम	53.A	23.03.2009	ईडीबी सफदर	ई देना
22	राज्यश्री नौटियाल	GH 1, डीडीए फ्लैट्स, मकान नं. 312, पश्चिम विहार, निकट पीरागढ़ी, दिल्ली	56A	01.05.2012	ईडीबी सफदर	ई देना
23	वन्दना सिंह/विक्रमजीत सिंह	उ/ड्ड पोस्तालिया इन्टर फ्रैंक प्रा.लि., 4.24, ग्रीन पार्क एक्स., नई दिल्ली 110016	59.A	10.07.2007	ईडीबी सफदर	ई देना
24	रेखास/संजीव सुकुमारन	179, पॉकेट 1, मयूर विहार, फेज 1, दिल्ली	61A	02.12.2007	ईडीबी सफदर	ई देना
25	हरजीत मलिक/निधि मलिक	B1/56/1, सफदरजंग एन्कलेव, दिल्ली	67A	14.12.2011	ईडीबी सफदर	ई देना
26	मालिनी कुमार	B5 /22 सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली	74A	09.03.2008	ईडीबी सफदर	ई देना
27	रजनी जवाहर	B7/9 सफदर जंग एन्कलेव, नई दिल्ली	98A	04.02.2009	ईडीबी सफदर	ई देना
28	मयंक नारंग/सीमा नारंग	B 6/85 सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली	126A	11.02.2007	ईडीबी सफदर	ई देना
29	रवि मलिक/अनीता मलिक	24/B मालवीय नगर, नई दिल्ली	140A	18.02.2007	ईडीबी सफदर	ई देना
30	रेनू पवार/राजेश पवार	14, अर्जुन नगर, नई दिल्ली	5A.R	13.04.2008	ईडीबी सफदर	ई देना
31	अमरेश धवन/अनीता धवन	J 6A कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली	23A.R	16.09.2009	ईडीबी सफदर	ई देना
32	मनु नायर/सोनी नायर	A . 268 , न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली	30A.R	21.03.2008	ईडीबी सफदर	ई देना
33	वीना बग्गा/वैशाली बग्गा	115 अर्जुन नगर, नई दिल्ली	35A.R	21.09.2016	ईडीबी सफदर	ई देना
34	सोम प्रकाश/पद्मा रानी	H 16 ग्रीन पार्क एक्स., नई दिल्ली	37C	16.04.2008	ईडीबी सफदर	ई देना
35	एस.के. दुर्गा	309, सरोजनी नगर, नई दिल्ली	66 A.R	13.12.2011	ईडीबी सफदर	ई देना
36	कुलवन्त सिंह बजाज	B 5/45, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली	68 A.R	22.02.2012	ईडीबी सफदर	ई देना
37	फरहत जमाल/कुलसूम जमाल	C4/120 सफदरजंग, नई दिल्ली	72 A.R	05.05.2004	ईडीबी सफदर	ई देना
38	उपेन्द्र सरूप	28 II फ्लोर, सीएसपी, डीडीए फ्लैट्स, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	73 A.R	01.04.2005	ईडीबी सफदर	ई देना
39	मोना सभरवाल/अजय सभरवाल	B 1/51 /1 सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली	112 A.R	12.08.2011	ईडीबी सफदर	ई देना
40	श्याम एस अग्रवाल/वीना	CP.84 मौर्या एन्कलेव, पीतम पुरा, नई दिल्ली	114 A.R	01.11.2009	ईडीबी सफदर	ई देना
41	अमुराधा दीवान	B7/24/2 डीडीए फ्लैट्स, जे. एन्कलेव, नई दिल्ली	120 A.R	16.05.2003	ईडीबी सफदर	ई देना
42	भूपेन्द्र सिंह	493/17 हाउसिंग बोर्ड, गुरुग्राम	133 A.R	133 A.R	ईडीबी सफदर	ई देना
43	सुषमा तलसानिया	म.नं. 54, सेक्टर 37, अर्जुन विहार, नोएडा	157 A.R	02.05.2016	ईडीबी सफदर	ई देना
44	अशोक थुस्न/प्रोमिला थुस्न	C 108 साउथ एक्स. पार्ट-II नई दिल्ली-49	264.F	23.04.2004	ईडीबी सफदर	ई देना
45	सरोज उप्पल/विनोद उप्पल	बी 99 जीके-I नई दिल्ली	266A	25.06.2001	ईडीबी सफदर	ई देना
46	बी.के. भनोत/ईशा भनोत,	C/o मिल्क फूड लिमिटेड, भण्डारी हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	268A	19.05.2009	ईडीबी सफदर	ई देना
47	सुजाता सेनगुप्ता/सुधीर सेनगुप्ता	सुजाता सेनगुप्ता/सुधीर सेनगुप्ता	278A	27.07.2010	ईडीबी सफदर	ई देना
48	गौरव मलिक/निधि मलिक	B 1/56/1 सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली	303A	21.04.2012	ईडीबी सफदर	ई देना
49	कमल शीला	B 52 सेक्टर 2, नोएडा	312A	22.01.2002	ईडीबी सफदर	ई देना
50	बिमला देवी	5/5777 देव नगर, नई दिल्ली	314A	05.12.2008	ईडीबी सफदर	ई देना
51	डॉ. नरेश मित्रा	327, पंचशील पार्क, दिल्ली-110017	335A	06.12.2006	ईडीबी सफदर	ई देना
52	कमला जुत्स्मी	म.नं. बी 6/51 द्वितीय तल, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-29	360A	12.07.2005	ईडीबी सफदर	ई देना
53	संजीव नारंग	102, अर्जुन नगर, दिल्ली- 110029	365A	09.02.2016	ईडीबी सफदर	ई देना
54	जनक गुप्ता	E 27, गीतांजलि एन्कलेव, दिल्ली	375A	03.03.2014	ईडीबी सफदर	ई देना
55	बर्नार्ड मार्टिर्स	B 5/17 सफदरजंग एन्कलेव, दिल्ली-110029	376A	13.01.2003	ईडीबी सफदर	ई देना
56	परवीन कुमार	141 एसएफएस अपार्टमेंट, हौजखास, दिल्ली	378A	01.07.2017	ईडीबी सफदर	ई देना
57	शालिनी सक्सेना	फ्लैट नं. 92.94, लाडो सराय, डीडीए फ्लैट्स, दिल्ली	391A	26.03.2015	ईडीबी सफदर	ई देना
58	रुपाली सेठी	N6, ग्रीनपार्क एक्सटेंशन, दिल्ली-100016	400A	18.03.2015	ईडीबी सफदर	ई देना
59	प्रियंका	P113, द्वितीय तल, सी.आर. पार्क, दिल्ली	410A	21.11.2009	ईडीबी सफदर	ई देना
60	सुभाष यादव/मनीषा यादव	28E/5, जिया सराय, नई दिल्ली- 110016	416A	10.07.2010	ईडीबी सफदर	ई देना
61	मोनिती देसाई/सी. राजशेखर राव	B7/87/1, डीडीए फ्लैट्स, सफदरजंग एन्कलेव, दिल्ली	362A	11.10.2006	ईडीबी सफदर	ई देना
62	विनोद कुमार	394, सन्त नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश	388A	20.06.2007	ईडीबी सफदर	ई देना
63	डिम्पल बावा	A-13 नारायणा विहार, दिल्ली.110028	247	30.07.2018	नारायणा	बीओबी
64	जसलीन कोहली	M 38 ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली 110048	708	23.09.2018	ग्रेटे	बीओबी
65	राजेश मल्होत्रा	404, डीडीए जनता फ्लैट्स, बदरपुर, नई दिल्ली	A.39	01.01.2011	ईडीबीलोधी रोड	ई देना
66	गुरदीप कौर	BE ब्लॉक, 357 A, हरी नगर, नई दिल्ली-18	AM 220	01.11.2001	नजफगढ़ रोड	बीओबी
67	राजू भट्ट	मकान नं. 1191 इ, प्रथम तल, गेट नं. 10, ग्रीन फील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद-121003	A.54	24.03.2017	ईडीबी खानपुर	ई देना
68	सुनीता मलिक	ए.19, जीके एन्कलेव 1, नई दिल्ली .110066	B.49	01.04.2016	ईवीबी भीकाजी कामा	ई विजया
69	प्रताप किशोर मिश्रा	फ्लैट नं. 9065, टॉवर सं. 4, ब्लॉक ए, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद (उ.प्र.)-201016	C.54	01.04.2016	ईवीबी भीकाजी कामा	ई विजया
70	राजीव/मोनिका सचदेवा	B.1/1731, वसन्त कुंज, नई दिल्ली	2	01.07.2014	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
71	राजन या अवतार वर्मा/भावना	E.31, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली.49	42	09.09.2017	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
72	नितिन अग्रवाल/मनीष/निधि	B.35, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली.49	44	23.11.2016	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
73	रंजोध सिंह भडवाल	B.14, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर, 3, सामने आईसीआईसीआई बैंक, नई दिल्ली	82	27.11.2014	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
74	अनुपमा/शीला परमार	C.1/A, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1, नई दिल्ली.49	87	16.09.2014	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
75	विजय शर्मा/नीरू	1804/2, गियानी बाजार, प्रसादी गली, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली.03	105	22.08.2013	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
76	एसबी गुप्ता/सरोज गुप्ता	F.17, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1, नई दिल्ली.49	113	04.07.2012	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
77	शम्मी तलवार	1794 परसादी गली, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली.03	116	26.07.2012	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
78	नीरज/नीरा गुप्ता	D.33 साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1, नई दिल्ली.49	125	08.04.2017	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
79	विनय सूद	B.42, भूतल, खिड़की एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली	130	29.06.2005	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
80	एसके शर्मा/उषा	16 . अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली	137	11.07.2011	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
81	कृष्णन/वीरेन्द्र ठाकुर	H.70, नारायण विहार, नई दिल्ली	141	15.10.2010	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
82	जयकुमार	B.8, राजू पार्क, देवली रोड, खानपुर, नई दिल्ली-110062	715	08.07.2007	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
83	दीपक गुप्ता/आशा गुप्ता	न्यू F.1, नाग मन्दिर रोड, शास्त्री नगर, दिल्ली	769	09.09.2017	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
84	मिहिर कुमार	WZ 277/A, गली नं. 9, साध कॉलोनी, पालम, नई दिल्ली.45	773	27.12.2016	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
85	जॉय मथियास	B.18, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट 2, नई दिल्ली	777	19.01.2015	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
86	रोहित मिनोचा	K.12, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1, नई दिल्ली.49	924	14.12.2017	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
87	वनीता मल्होत्रा/लावण्या रस्तोगी	D.27, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1, नई दिल्ली.49	938	22.06.2015	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
88	साधना वशिष्ठ/विकास वशिष्ठ	H . 6 8 5 , नीति खण्ड, 3, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद	960	07.06.2014	ईडीबी साउथएक्स	ई देना
89	देवेन्द्र कुमार	म.नं. 1368/सेक्टर 17, फरीदाबाद-121002	971	11.04.2007	ईडीबी साउथएक्स	ई देना

दिनांक : 13.12.2019
स्थान : नई दिल्ली
अधिकृत प्राधिकारी : बैंक ऑफ बड़ौदा

www.readwhere.com

नायडू ने कांग्रेस को भंग करने के गांधी के सुझाव की याद दिलाई

आणंद (गुजरात), 14 दिसंबर (भाषा)।

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को 1947 में अंग्रेजी शासन से भारत को आजादी मिलने के बाद कांग्रेस को एक मंच के तौर पर भंग करने के महात्मा गांधी के सुझाव का उल्लेख किया। नायडू ने यह भी कहा कि सभी ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मति से आए फैसले का स्वागत किया, जिससे राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) परिसर में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद (आइआरएम) के 40वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, 'महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दो सुझाव दिए थे। पहला उन्होंने कांग्रेस को एक मंच के तौर पर भंग करने को कहा था। मैं यह आपकी सूचना के लिए बता रहा हूं कि कांग्रेस शुरुआत में विभिन्न विचारधारा के लोगों का एक आंदोलन था।' उपराष्ट्रपति ने याद किया कि लोग महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य के लिए एकत्रित हुए थे।

नायडू ने कहा, 'वे साथ आए और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वह कार्य (संघर्ष) पूरा हो गया और किसी चर्चा की कोई जरूरत नहीं थी।' उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का गांवों की ओर लौटने का दूसरा सुझाव दुर्भाग्यपूर्ण रूप से भुला दिया गया है। उन्होंने कहा, 'हमने (इसके बजाय) गांवों को अपनी पीठ दिखाई।'

उपराष्ट्रपति ने कहा कि अयोध्या फैसले का लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'लोग (अयोध्या विवाद के) अर्थपूर्ण हल पर खुश हैं... क्योंकि हमने इन चीजों पर विराम लगा दिया है और आगे बढ़ गए हैं। हल का सभी के द्वारा स्वागत किया गया।' नायडू ने वर्गीज कुरियन द्वारा किए गए योगदान को भी याद किया, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने कहा, 'मैं उनकी स्मृति, दूरदर्शिता और उनकी पहल को सलाम करता हूं। इसका परिणाम हमारे देखने के लिए है। अमूल आंदोलन जिन क्षेत्रों में पहुंचा वे विकसित हैं और अन्य क्षेत्र तुलनात्मक रूप से कम विकसित हैं। यह न केवल सुंदर बल्कि कर्तव्यनिष्ठ स्थल भी है।'

उपराष्ट्रपति देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के पैतृक घर भी गए जिनका जन्म पास के गांव करमसद में हुआ था।

विजयी मुस्कान

कोच्चि में मिस केरल ब्यूटी कांटेस्ट 2019 की विजेता एंसी कबीर (बीच में) उपविजेता अंजना शजन (दाएं) और अंजना रेणु के साथ।

फारुक अब्दुल्ला की हिरासत अवधि तीन महीने और बढ़ी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की हिरासत अवधि शनिवार को तीन महीने के लिए और बढ़ा दी गई और वह उपकारागार में परिवर्तित अपने घर में रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग के सलाहकार बोर्ड ने पांच बार के सांसद अब्दुल्ला के मामले की समीक्षा की, जिसने उनकी हिरासत अवधि जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत बढ़ाने की सिफारिश की।

केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग ने गुपकार मार्ग स्थित उनके आवास को उप कारागार घोषित कर दिया है। अब्दुल्ला (82) के दिल में पेसमेकर लगा हुआ है और कुछ साल पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। वह पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनके खिलाफ सख्त जन सुरक्षा कानून लगाया गया है।

इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, 'फारुक अब्दुल्ला की हिरासत जन सुरक्षा कानून के तहत तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। यह बेहद दुखद है। हमारे लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो रहा है। ये सब असंवैधानिक कदम है।' अब्दुल्ला उन कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं में शुमार हैं, जिन्हें पांच अगस्त से हिरासत में लिया गया है। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा हटाने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की घोषणा की थी।

परीक्षा फिन–इन्वेस्ट–लीज़ लिमिटेड

[कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L65100DL1994PLC057377]
पंजी. कार्यालय : 7–सी, प्रथम तल, 'ओ' ब्लॉक सोशिल सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017
फोन : 0120–4152766, 4193799, वेबसाइट : www.pfil.in, ई–मेल – panksha.delhi@ymail.com

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही/अर्द्ध वर्ष हेतु अलेखापरीक्षित परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	तिमाही समाप्त		अर्द्ध वर्ष समाप्त
	30.09.2019 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2018 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2019 (अलेखापरीक्षित)
प्रचालनों से कुल आय	17.10	36.34	27.95
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	2.65	14.39	1.90
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	2.65	14.39	1.90
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	2.30	11.11	1.88
अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]	2.30	11.11	1.88
इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/– प्रत्येक)	375.05	375.05	375.05
संचय (पुनर्मूल्यन संचय छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है।	41.88 (31.03.2019 को)		
प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/– प्रत्येक का)(जारी और बंद प्रचालनों हेतु)–			
मूल	0.06	0.30	0.05
तनुकृत	0.06	0.30	0.05

नोट :

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबंध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज प्रस्तुत किए गए समाप्त दूसरी तिमाही/अर्द्ध वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। समाप्त दूसरी तिमाही/अर्द्ध वर्ष हेतु परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.pfil.in) पर उपलब्ध है।

ख) आईएनडी–एएस लागू किए जाने पर लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल समावेशी आय अथवा किसी अन्य संबद्ध वित्तीय मद(दों) पर प्रभाव निम्नानुसार प्रकट किया गया है :

विवरण	3 माह समाप्त 30.09.2018
पूर्व जीएएपी (भारतीय जीएएपी) के अनुसार शुद्ध लाभ	0.26
आईएनडी एएस समायोजन	
जोड़ें :	
आईएनडी एएस के अनुसार ब्याज समायोजन	14.06
योग (क)	**14.32**
घटाएं :	
आय कर समायोजन	3.20
योग (ख)	**3.20**
आईएनडी एएस के अनुसार कुल समावेशी आय	**11.11**

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते परीक्षा फिन–इन्वेस्ट–लीज़ लिमिटेड
हस्ता/–
(हरनन्द त्यागी)
निदेशक

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 14–12–2019

KV No.1 Delhi Cantt. - 110010

Vidyalaya wants to award teh Contract for Running Hostel Mess and Canteen in the Vidyalaya. Hence, Firms deal in providing the catering services / running the Hostel Mess & Canteen can purchase the Tender Document with a cost of Rs. 1000/- each on all working days between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. upto 20/12/2019

Sd/- (PRAVEEN NAIDU)
PRINCIPAL

सांबा में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 दिसंबर।

सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। शनिवार को सेना ने उसका शव पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया। उसकी पहचान नियाज अहमद (पुत्र फिरोज दीन, निवासी शंकरगढ़, पाकिस्तान) के रूप में हुई है।

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, भारी बारिश और कम दृश्यता के बीच घुसपैठिया गुरुवार रात 10 बजे सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। सांबा सेक्टर के मंगुचक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा कर रहे 173वीं वाहिनी बीएसएफ के जवानों ने संदिग्ध हलचल देखी। कई बार चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई गईं, लेकिन घुसपैठिया आगे बढ़ता रहा। गोलीबारी के दौरान उसकी मौत हो गई।

बारिश और धुंध के बीच जीरो लाइन से उसका शव कब्जे में पाकिस्तानी रेंजरों की ओर से हीरानगर क्षेत्र में लगातार गोलाबारी की जा रही है। इसकी आड़ में सांबा सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है।

खुफिया एजंसियों ने घुसपैठ की तैयारियों को लेकर सुरक्षा एजंसियों को सतर्क किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से रास्ते बंद होने के कारण पाकिस्तानी खुफिया एजंसी आइएसआइ ने नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा से होकर घुसपैठ कराने की साजिश रची है। खराब मौसम की आड़ में घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं।

पाकिस्तानी रेंजरों की ओर से हीरानगर क्षेत्र में लगातार गोलाबारी की जा रही है। इसकी आड़ में सांबा सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों एक इनपुट के बाद इसी क्षेत्र में बीएसएफ व पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था।

ऑटो चालक ने किया युवती से बलात्कार

हैदराबाद, 13 दिसंबर (भाषा)।

तेलंगाना के हैदराबाद में एक ऑटो-रिक्शा चालक द्वारा 18 वर्षीय युवती के बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि युवती और उसकी दस वर्षीय बहन आठ दिसंबर की रात अपने संबंधी के घर जाते समय रास्ता भूल गईं। इस दौरान एक ऑटो-रिक्शा चालक ने उन्हें देखा और अपने घर ले आया। हालांकि, इससे ऑटो-रिक्शा चालक की मां नाराज हो गई और उसके छोटे भाई से उन्हें उनके घर छोड़ कर आने के लिए कहा। वह भी ऑटो-रिक्शा चलाता है।

आरोपी उन्हें नामपल्ली इलाके में एक स्थान पर ले गया, जहां उसने कथित रूप से किशोरी का बलात्कार किया। पुलिस ने कहा कि इसके बाद वह नौ दिसंबर को उन्हें फलकनुमा रेलवे स्टेशन के पास छोड़ कर भाग गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

अवसंरचना निर्माण करते हुए – राष्ट्र निर्माण करते हुए

(i) डीएवीपी में या कम दरों पर प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के निगमन हेतु विज्ञापन एजेन्सियों के पैनलीकरण (ii) एनएचआईडीसीएल, एचक्यू, पीटीआई बिल्डिंग, नई दिल्ली में कार्यालय के प्रयोग हेतु वाहनों तथा ड्राइवरों का मासिक भाड़े के आधार पर तथा ''यदा-कदा वांछनीयता'' के आधार पर नियुक्ति हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)।

उपमहाप्रबन्धक (प्रशासन), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) ने निम्नलिखित सेवाओं हेतु सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निविदाएँ आमन्त्रित की हैं :

(i) डीएवीपी में या कम दरों पर प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के निर्गमन हेतु विज्ञापन एजेन्सियों के पैनलीकरण

(ii) एनएचआईडीसीएल, एचक्यू, पीटीआई बिल्डिंग, नई दिल्ली में कार्यालय के प्रयोग हेतु वाहनों तथा ड्राइवरों का मासिक भाड़े के आधार पर तथा ''यदा-कदा वांछनीयता'' के आधार पर नियुक्ति

विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए हमारी वेबसाइट www.nhidcl.com देखें। वांछित मानदण्ड पूरा करने वाली तथा अपेक्षित सेवाएँ उपलब्ध कराने की इच्छुक एजेन्सियाँ/फर्में निर्धारित दस्तावेज में वर्णित समस्त सहायक दस्तावेजों (सत्यापित) सहित अपने प्रस्ताव भेज सकती हैं।

अधिक विवरण के लिए कृपया www.nhidcl.com देखें।

नोट : इस सूचना में कोई परिवर्तन या संशोधन केवल उपर्युक्त वेबसाइट पर ही पोस्ट किया जायेगा।

अवसंरचना निर्माण करते हुए – राष्ट्र निर्माण करते हुए

आधारशिला कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड

[कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L65100DL1993PLC056347]
पंजी. कार्यालय : 7–सी, प्रथम तल, 'ओ' ब्लॉक सोशिल सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017
फोन : 0120–4152766, 4193799, वेबसाइट : www.adharshilacapital.in, ई–मेल – adharshilacapital@gmail.com

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही/अर्द्ध वर्ष हेतु अलेखापरीक्षित परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	तिमाही समाप्त		अर्द्ध वर्ष समाप्त
	30.09.2019 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2018 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2019 (अलेखापरीक्षित)
प्रचालनों से कुल आय	5.90	7.00	15.83
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	0.74	2.88	3.24
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	0.74	2.88	3.24
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	0.44	1.97	2.40
अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]	3.81	3.91	5.77
इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/– प्रत्येक)	550.00	550.00	550.00
संचय (पुनर्मूल्यन संचय छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है।	30.25 (31.03.2019 को)		
प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/– प्रत्येक का) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु)–			
मूल	0.07	0.07	0.10
तनुकृत	0.07	0.07	0.10

नोट :

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबंध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज प्रस्तुत किए गए समाप्त दूसरी तिमाही/अर्द्ध वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। समाप्त दूसरी तिमाही/अर्द्ध वर्ष हेतु परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.adharshilacapital.in) पर उपलब्ध है।

ख) आईएनडी–एएस लागू किए जाने पर लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल समावेशी आय अथवा किसी अन्य संबद्ध वित्तीय मद(दों) पर प्रभाव निम्नानुसार प्रकट किया गया है :

विवरण	3 माह समाप्त 30.09.2018
पूर्व जीएएपी (भारतीय जीएएपी) के अनुसार शुद्ध लाभ	1.97
आईएनडी एएस समायोजन	
जोड़ें :	
आईएनडी एएस के अनुसार निवेश पर उचित मूल्य/(हानि)	2.45
योग (क)	**4.42**
घटाएं :	
उपरोक्त समायोजन कर प्रभाव	0.51
योग (ख)	**0.51**
आईएनडी एएस के अनुसार कुल समावेशी आय	**3.91**

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते आधारशिला कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड
हस्ता/–
हरनन्द त्यागी
निदेशक

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 14–12–2019

GOLDEDGE ESTATE AND INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office: C-115, Mansarovar Garden Ground Floor New Delhi-110015
CIN: U70101DL1992PLC047541 Ph. No.-011-25190268
Web Site: www.goldedgeestate.in E mail: goldedgeestate2016@gmail.com

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and six month ended 30th Sep. 2019

(Amount in Rs)

S. No	Particulars	Quarter Ended			Period Ended	
		30-Sep-19 (Unaudited)	30-Jun-19 (Unaudited)	30-Sep-18 (Unaudited)	30-Sep-19 (Unaudited)	30-Sep-18 (Unaudited)
1.	Total income from operations	1,286,694	1,250,993	1,392,210	2,536,687	2,991,002
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(77,668)	66,821	46,626	(10,247)	874,639
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(77,668)	66,821	46,626	(10,247)	874,639
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(51,781)	46,724	10,691	(5,056)	647,232
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(51,781)	46,724	10,691	(5,056)	647,232
6.	Equity Share Capital	51,224,000	51,224,000	51,224,000	51,224,000	51,224,000
7.	Other Equity	-	-	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not annualised)					
	Basic :	(0.01)	0.01	0.00	(0.00)	0.13
	Diluted	(0.01)	0.01	0.00	(0.00)	0.13

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and six month ended 30th Sep. 2019

(Amount in Rs)

S. No	Particulars	Quarter Ended			Period Ended	
		30-Sep-19 (Unaudited)	30-Jun-19 (Unaudited)	30-Sep-18 (Unaudited)	30-Sep-19 (Unaudited)	30-Sep-18 (Unaudited)
1.	Total income from operations	1,286,694	1,250,993	1,392,210	2,536,687	2,991,002
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(77,668)	66,821	46,626	(10,247)	874,639
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(82,312)	58,755	75,165	(23,557)	895,101
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(57,025)	38,659	39,239	(18,366)	667,694
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(57,025)	38,659	39,239	(18,366)	667,694
6.	Equity Share Capital	51,224,000	51,224,000	51,224,000	51,224,000	51,224,000
7.	Other Equity	-	-	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not annualised)					
	Basic :	(0.01)	0.01	0.00	(0.00)	0.13
	Diluted	(0.01)	0.01	0.00	(0.00)	0.13

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

For and on behalf of the Board
For Goldedge Estate and Investments Limited
Sd/-
Jagdish Chand Agarwal
(Chairman)

Place: New Delhi
Date: 14.12.2019

पालघर में कम तीव्रता वाले भूकम्प के तीन झटके

पालघर, 14 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में पिछले 24 घंटे में कम तीव्रता वाले भूकम्प के तीन झटके महसूस किए गए। इसके कारण जानमाल के किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जिला कलेक्टर डॉ. कैलाश शिंडे ने जानकारी दी।

इण्डिया एसएमई एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
[सीआईएन : U67119OMH2008PLC181062]
1004, मथन सेंटर (10वीं मंजिल), प्लॉट सं. सी-31, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई-400 051, दूरभाष : 61579600, फैक्स : 61579699 ई-मेल : isarc@isarc.in

संलग्नक IV

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1) देखें

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने 18.01.2018 के एसाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से ''आईएसएआरसी सिडबी III/2017-18 ट्रस्ट'' के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत इण्डिया एसएमई एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इसके पश्चात इसे ''आईएसएआरसी'' कहा जायेगा) के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते मूल ऋणदाता भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से निहित प्रतिभूतियों सहित प्रतिभूति ऋण अर्जित किया है। सिडबी के अधिकृत प्राधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात इसे ''सरफाएसी अधिनियम, 2002'' कहा जायेगा) की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में मैसर्स आईबीएस फूड्स प्रा.लि. (इसके पश्चात इसे ''कर्जदार/बंधककर्ता'' कहा जायेगा) तथा श्री शाहनवाज अहमद, श्री तनवीर अहमद, श्रीमती सीमा पत्नी श्री शाहनवाज अहमद एवं श्री कमलेश सिंह (इसके पश्चात इन्हें ''जमानती/बंधककर्ता'' कहा जायेगा) से 31.07.2015 तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 2,08,77,229.59 (रुपये दो करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ उनतीस एवं उनसठ पैसे मात्र) एवं इस पर भावी ब्याज तथा अन्य लागतों का भुगतान करने को कहते हुए 17.08.2015 को माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा उल्लिखित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने आईएसएआरसी के अधिकृत प्राधिकारी (''आईएसएआरसी सिडबी III/2017-18'' ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित सरफाएसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 10 दिसम्बर, 2019 को सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 31.07.2015 तक रु. 2,08,77,229.59 (रुपये दो करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार दो सौ उनतीस एवं उनसठ पैसे मात्र) एवं इस पर भावी ब्याज तथा अन्य लागतों के लिए मैसर्स इण्डिया एसएमई एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. (आईएसएआरसी) के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण (अ) सेक्टर-21, इण्डस्ट्रियल एरिया, जगदीशपुर, सुल्तानपुर (उ.प्र.) में स्थित लगभग 600 वर्ग मीटर माप के प्लॉट सं. डी-30 की लीजहोल्ड भूमि का समस्त भाग। सीमा : उत्तर : 18 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण : प्लॉट सं. डी-29, पूर्व-प्लॉट सं. डी-31, पश्चिम : प्लॉट सं. डी-11

(ब) प्लॉट सं. डी-28/29 पर स्थित संयन्त्र एवं मशीनरी

श्री अभय कुमार सिंह
अधिकृत प्राधिकारी
इण्डिया एसएमई एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

तिथि : 10 दिसम्बर, 2019
स्थान : जगदीशपुर

हाफिज सईद के खिलाफ सुनवाई 16 तक टली

लाहौर, 14 दिसंबर (भाषा)।

मुंबई हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता हाफिज सईद पर आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में अभियोग तय करने के बाद अदालत ने शनिवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई वकीलों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की वजह से टाल दी।

आतंकवाद का वित्तपोषण करने के मामले में आरोपी सईद और उसके तीन करीबियों को वकीलों की हड़ताल की वजह से आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के समक्ष पेश नहीं किया जा सका है।

ईरान पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी अमेरिका ने

वाशिंगटन, 14 दिसंबर (भाषा)।

इराक के बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एक परिसर पर दो रॉकेट हमलों के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने शुक्रवार को ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।

बगदाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास जिस परिसर को निशाना बनाया गया वहां अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। सोमवार को हुई इस घटना में कई इराकी सैनिक घायल हुए थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ईरान के बुरे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेगा।

एस्पर ने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (सीएफआर) थिंक टैंक में कहा, 'हम ईरान की आक्रामकता के जवाब में अपने सहयोगियों और साझेदारों के बीच बढ़े हुए बोझ को बांट कर उन्हें प्रोत्साहित कर इसका अंतरराष्ट्रीयकरण करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।'

उत्तर कोरिया ने एक और परीक्षण किया

सोल, 14 दिसंबर (एएफपी)।

उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता पर गतिरोध कायम रहने के बीच प्योंगयांग ने अपने सोहे उपग्रह प्रक्षेपण स्थल से एक अन्य 'महत्वपूर्ण परीक्षण' किया है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी।

यह मिसाइल परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण की बातचीत रुकी पड़ी है।

उत्तर कोरिया ने पिछले सप्ताह भी इसी उपग्रह प्रक्षेपण स्थल से एक 'बेहद महत्वपूर्ण परीक्षण' किया था।

स्वर्ण आभूषणों की नीलामी-सह-बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना DCB BANK

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीसीबी बैंक लि. (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित), कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 601 एवं 602, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, छठा तल, टावर ए, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013 में स्थित है, के द्वारा सूचित किया जाता है कि यहां नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार", "जो भी वहां है आधार", "जैसा भी वहां है आधार" तथा "कोई उपचार नहीं आधार" पर गिरवी रखी गई स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री आयोजित की जाएगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारकों की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गए हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण आभूषणों की यहां नीचे वर्णित ऋणखाताओं के समक्ष वर्णित बकाए राशि की वसूली के लिए बिक्री की जाएगी।

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	ग्राहक का नाम	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति
1	26741200002905	अरशद अली	20 एवं 21 दिसम्बर, 2019 श्री निखिल खन्ना, टेलीफोन नं. 7081105511/ 18002095363/ 9719004676
2	26741200003223	साहबान	
3	26742100000505	कुलदीप कीरत सिंह	
4	26742100000569	मुन्नवर हसन	
5	26741200002936	इफ्तिरवार अहमद खान	
6	26742100000125	कुलदीप कीरत सिंह	

नीलामी स्थल का पताः डीसीबी बैंक लिमिटेड, 1/776, छाबड़ा कॉम्प्लैक्स, अम्बाला रोड, सहारणपुर, उत्तर प्रदेश-247001

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों के निपटारे का निर्णय लिया है, आज, नीलामी-सह बिक्री की यह सूचना विशेष रूप से संबंधित ऋणधारकों/गिरवीकर्ताओं तथा आम जनता के लिए प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त स्वर्ण आभूषणों की उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से बिक्री की जाएगी। किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से नीलामी तिथि को या उससे पूर्व संपर्क करें।

संबंधित ऋणधारकों/ गिरवी-कर्ताओं को नीलामी की तिथि के एक कार्य दिवस पूर्व तक सभी ब्याज तथा उस पर बढ़े हुए शुल्कों के साथ पूरी तरह से उपरोक्त ऋण खाताओं का निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल होने पर ऊपर-वर्णित कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण आभूषणों की बिक्री की जाएगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों के संदर्भ में प्रकाशित विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन कथित विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, गलत-विवरण, खामियों, असंगतियों अथवा कमियों के लिए वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

हस्ता./-
तिथिः 15.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः सहारणपुर डीसीबी बैंक लिमिटेड

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
बुलैण्ड बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	बुलैण्ड बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	01 अक्टूबर, 2003
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-नई दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45201DL2003PTC122459
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	डी-138, फ्लैट नं. 04, फर्स्ट फ्लोर कृष्णा पार्क, खानपुर, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली-110080 भारत
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	29 नवम्बर, 2019 (आदेश 13 दिसम्बर, 2019 को अपलोड किया गया)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	27 मई, 2020
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : श्री कान्ति मोहन रुस्तगी पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	पता : ई-7, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 ई-मेल आईडी : kanti.rustagi@patanjaliassociates.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	पता : रीसर्जेण्ट रिज़ोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी, 905, नवीं मंजिल, टॉवर सी, यूनिटेक बिजिनेस जोन, द क्लोज साउथ, सेक्टर-50, गुरुग्राम, हरियाणा-122018 ई-मेल : cirpbullandbuildtech@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	27 दिसम्बर, 2019
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	अब तक सुनिश्चित नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अब तक सुनिश्चित नहीं
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(अ) www.ibbi.gov.in (ब) अब तक सुनिश्चित नहीं

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने 29 नवम्बर, 2019 को बुलैण्ड बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है। (आदेश 13 दिसम्बर, 2019 को अपलोड किया गया) बुलैण्ड बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 27 दिसम्बर, 2019 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, प्रपत्र सीए में श्रेणी अप्रयोज्य के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से प्रपत्र सीए में अपनी पसन्द का अधिकृत प्रतिनिधि निर्दशित करेगा।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

ह./- कान्ति मोहन रुस्तगी
अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240
दिनांक : 13 दिसम्बर, 2019
स्थान : नई दिल्ली

परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना
एडवांस नयोटपेड सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड (परिसमापन में)
श्री सेतुरमन रवि, परिसमापक द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अधीन परिसम्पत्तियों की बिक्री
परिसमापक का पंजी. पता: 505-ए, 5वां तल, रेक्टैंगल-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, दिल्ली-110017, ई-मेल: casravi.ip@gmail.com, liqansl@gmail.com
संपर्क नं.: 011-40548860

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 21.12.2019 को प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ) ईएमडी को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि: 18.12.2019

परिसमापन एस्टेट के भाग के तौर पर एडवांस नयोटपेड सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड की परिसंपत्तियों की बिक्री दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 के प्रावधानों के अधीन माननीय एनसीएलटी, प्रधान बैंच द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा आयोजित की जा रही है। परिसंपत्तियों की बिक्री परिसमापक द्वारा ई-नीलामी मंच https://eauctions.co.in के माध्यम से की जाएगी।
बिक्री के लिए परिसंपत्तियों तथा संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण:

परिसंपत्तियां	लॉट	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	वृद्धिशील राशि
भिवाड़ी, अलवर स्थित फैक्टरी- प्लॉट नं. एफ-56, एफ-57, इंडस्ट्रियल एरिया, चोपंकी, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित भूमि, भवन, संयंत्र व मशीनरी, फर्नीचर व फिक्सचर्स से युक्त संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग।	ए	699.82 लाख रु.	32.97 लाख रु.	5.00 लाख रु.

परिसंपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा और शपथ फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की सामान्य नियम एवं शर्तों से युक्त पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://eauctions.co.in पर उपलब्ध है।
ई-नीलामी सेवा प्रदाता की ओर से संपर्क व्यक्ति: दीक्षित प्रजापति-7874138237
परिसमापक की ओर से संपर्क व्यक्ति:
ईमेल- casravi.ip@gmail.com, liqansl@gmail.com

ह./- सेतुरमन रवि, परिसमापक,
दिनांक: 14.12.2019 एडवांस नयोटपेड सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड
स्थान: दिल्ली IBBI Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00372/2017-18/10629

सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा
SyndicateBank
177, हैदरपुर, दिल्ली-110088, टेलीः 011-27490670, 27490671
ईमेलः br.9021@syndicatebank

कब्जा सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा, दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 01.07.2019 जारी कर ऋणधारक वेस्ट चॉयस स्टील को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 01.07.2019 से आगे के ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज के साथ रु. 40,37,199.43 (रुपये चालिस लाख सैंतीस हजार एक सौ निन्यानवे तथा पैसे तैंतालिस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 11 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 01.07.2019 से आगे के ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज के साथ रु. 40,37,199.43 (रुपये चालिस लाख सैंतीस हजार एक सौ निन्यानवे तथा पैसे तैंतालिस मात्र) के लिये सिंडिकेट बैंक, हैदरपुर शाखा, दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री अब्दुल गफ्फार, पुत्र स्व. बाबु खान के स्थामित्व में खसरा नं. 11, 30 फुटा रोड, हिण्डन, विहार, मेरठ रोड, गाजियाबाद, उ.प्र.-201003 में भूमि एवं भवन।
चौहद्दीः उत्तरः अन्य सम्पत्ति
दक्षिणः रोड 30
पूर्वः सम्पत्ति सं. 451/6 (ए आर फैब्रिकैटर)
पश्चिमः खसरा नं. 11 का भाग (गोयल ट्रेडिंग क.)
तिथिः 11.12.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः गाजियाबाद सिंडिकेट बैंक

सार्वजनिक सूचना
प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
मै. इन्डो वर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मै. इन्डो वर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	14.6.2010
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U45400DL2010PTC204104
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय का पता	99, पटपड़गंज, दिल्ली, डीएल-110091, आईएन
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि	9.12.2019 (आईपी नं. 2268 एवं 2304 (एनडी) 2019 में आदेश पारित) आदेश 12.12.2019 को प्राप्त हुई
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	9.6.2020 (आदेश की सूचना तिथि अर्थात् 12.12.2019 से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल (आईआरपी) के रूप में कार्यरत है	विनय तलवार पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00227/2017-2018/10426
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	1. लिंक रोड, मिडल बेस्मेन्ट, जंगपुरा एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110014 ईमेलः vinay@corporateconsultants.in
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	1. लिंक रोड, मिडल बेस्मेन्ट, जंगपुरा एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110014 ईमेलः cirp.iwi@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	26.12.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	आइआरपी को उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	क) संबंधित प्रपत्र तथा ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	क) वेबलिंकः https://www.ibbi.gov.in/home/downloads ख) आईआरपी को उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ-V, नई दिल्ली ने आईबी सं. 2268 एवं 2304 (एनडी) 2019 के संदर्भ में 9.12.2019 (आदेश 12.12.2019 को प्राप्त हुई) को मै. इन्डो वर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा मै. इन्डो वर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के पास 26.12.2019 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।
प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये [धारा 21 की उप धारा (6ए) के क्लॉज (बी) के अंतर्गत क्रेडीटर्स] प्रविष्ट सं.13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./-
विनय तलवार
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल
तिथिः 15.12.2019 इन्डो वर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
स्थानः नई दिल्ली सीआईआरपी के अधीन
IBBI/IPA-001/IP-P00227/2017-2018/10426

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
परिशिष्ट-IV ए [नियम 8 (6)/9(1) का प्रावधान देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के परंतुक 8 (6)/9 (1) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदारों और गारन्टरों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत क्रेडीटर के पास बंधक रखी गई निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका भौतिक कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, निम्नवर्णित कर्जदारों तथा गारन्टरों से प्रत्याभूत क्रेडीटर नीचे उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए संविदात्मक ब्याज और लागत आदि पर आगे ब्याज के साथ "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", "जो भी है वहां है" आधार पर 16.01.2020 (शुक्रवार) को बेची जाएंगी। नीलामी का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	प्रत्याभूत क्रेडीटर का नाम एवं पता / प्राधिकारी अधिकारी का विवरण	ऋणी /गारन्टर का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	ऋण देय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (10%)
1.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डब्ल्यूजेड-15, चन्नामल पार्क, अशोक पार्क एक्सटेंशन के निकट, पंजाबी बाग, ईस्ट, नई दिल्ली-110026, फोन नं.: 011-28316854, 011-28316854 सुश्री वीरांगना राज (एम) 8448447155	श्रीमती सुधा, पत्नी राज कुमार तथा श्री राज कुमार, पुत्र श्री गणेशी लाल श्री पंकज कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द	श्रीमती सुधा, पत्नी श्री राज कुमार तथा श्री राज कुमार, पुत्र श्री गणेशी लाल के नाम में मादीपुर में स्थित अचल सम्पत्ति सं. 437, 3 रा तल, पॉकेट-1, जनता फ्लैट्स पश्चिमपुरी, नई दिल्ली-110063, एरिया माप 35.28 वर्ग मी. तथा चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 436; दक्षिणः प्लॉट नं. 438, पूर्वः अन्य सम्पत्ति; पश्चिमः प्रवेश रोड	30.11.2018 को रु. 23,44,215.95	रु. 23,20,000/- रु. 2.32 लाख

बैंक को ज्ञात संपत्ति के बारे में जानकारी का विवरणः कोई नहीं

ई-नीलामी एजेन्ट का विवरणः मै. 4 क्लोजर, हेल्पलाइन नं.: 08142000062/66, 8448447155, (एम) टेलीः 040-23836405, श्री विकास- 8142000809, ईमेलः info@bankeauctions.in; info@bankauctions.in

ई-नीलामी की तिथिः 16.01.2020 (गुरुवार) पूर्वान्ह 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे के मध्य
बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 15.01.2020 (बुधवार) या उससे पहले शाम 5.00 बजे तक

विवरण के नियम और शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट दिए गए लिंक का संदर्भ लें, www.unionbankofindia.co.in
इसे उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि को ई-नीलामी के बिक्री के आयोजन के बारे में निम्न कथित ऋण के कर्जदारों तथा गारन्टीदाताओं के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 (6) एवं नियम 9 (1) के अंतर्गत सूचना के रूप में भी समझा जायेगा।

तिथिः 14.12.2019, स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

HDFC WITH YOU, RIGHT THROUGH
हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067
दूरभाषः 011-41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L70100MH1977PLC019916, वेबसाइटः www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों एवं कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और/या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम/ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
1.	श्री स्कंद मित्तल एवं श्रीमती मिली जैन (ऋण खाता सं. 615175675)	31-जुलाई-19* को बकाया रु. 1,24,25,740/- (केवल एक करोड़ चौबीस लाख पच्चीस हजार सात सौ चालीस रुपये)	27-अगस्त-2019	10-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	फ्लैट-टी1/602, छठा तल, टॉवर 1, सनवर्ल्ड एरिस्टा, प्लॉट जीएच-1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
2.	श्री स्कंद मित्तल एवं श्रीमती मिली जैन (ऋण खाता सं. 615175527)	31-जुलाई-19* को बकाया रु. 1,17,22,977/- (केवल एक करोड़, सत्रह लाख बाईस हजार नौ सौ सतहत्तर रुपये)	27-अगस्त-2019	10-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	फ्लैट-टी1/1003, 10वीं मंजिल, टॉवर 1, सनवर्ल्ड एरिस्टा, प्लॉट जीएच-1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
3.	श्री राहुल महाजन (ऋण खाता सं. 615892938)	30-मई-19* को बकाया रु. 1,10,61,537/- (केवल एक करोड़, दस लाख इकसठ हजार पांच सौ सैंतीस रुपये)	17-जून-2019	10-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	दिनांक 08.08.2015 को श्री राहुल कुमार महाजन पुत्र रवि महाजन के पक्ष में आवंटित फ्लैट # 1406, टॉवर # 6, मंजिल 14, सुपर एरिया 2100 वर्ग फीट (195.09 वर्ग फीट) सनवर्ल्ड एरिस्टा प्रोजेक्ट में प्लॉट # जीएच-1सी, सैक्टर-168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा 201301 पर स्थित है।
4.	श्रीमती पियाली राय एवं श्री राजेश राय (ऋण खाता सं. 613073575)	28-फरवरी-19* को बकाया रु. 35,13,970/- (केवल पैंतीस लाख तेरह हजार नौ सौ सत्तर रुपये)	17-अप्रैल-2019	10-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	जीएच-1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश पिन 201301 स्थित "सनवर्ल्ड एरिस्टा" प्रोजेक्ट में टॉवर 10 - के 26वीं मंजिल पर, फ्लैट नं. : टी10/2602, परिमाप लगभग 615 वर्ग फीट भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
5.	श्री राजेश राय एवं श्रीमती पियाली राय (ऋण खाता सं. 613074019)	28-फरवरी-19* को बकाया रु. 35,14,470/- (केवल पैंतीस लाख चौदह हजार चार सौ सत्तर रुपये)	17-अप्रैल-2019	10-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	जीएच-1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश पिन 201301 स्थित "सनवर्ल्ड एरिस्टा" प्रोजेक्ट में टॉवर 10 - के 26वीं मंजिल पर, फ्लैट नं. : टी10/2603, परिमाप लगभग 615 वर्ग फीट भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
6.	श्रीमती पारामिता मिश्रा एवं श्री मनोजित कुमार मिश्रा (ऋण खाता सं. 613197600)	28-फरवरी-19* को बकाया रु. 39,30,939/- (केवल उनतालीस लाख तीस हजार नौ सौ उनतालीस रुपये)	17-अप्रैल-2019	10-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	जीएच-1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश पिन 201301 स्थित "सनवर्ल्ड एरिस्टा" प्रोजेक्ट में टॉवर 10 - के 20वीं मंजिल पर, फ्लैट नं. : टी10/2001, परिमाप लगभग 615 वर्ग फीट भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
7.	श्रीमती पारामिता मिश्रा एवं श्री मनोजित कुमार मिश्रा (ऋण खाता सं. 613197507)	28-फरवरी-19* को बकाया रु. 39,31,401/- (केवल उनतालीस लाख इकतीस हजार चार सौ एक रुपये)	17-अप्रैल-2019	10-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	जीएच-1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश पिन 201301 स्थित "सनवर्ल्ड एरिस्टा" प्रोजेक्ट में टॉवर 10 - के 23वीं मंजिल पर, फ्लैट नं. : टी10/2302, परिमाप लगभग 615 वर्ग फीट भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
8.	श्रीमती शिवानी राय एवं श्री राजेश राय (ऋण खाता सं. 613071724)	28-फरवरी-19* को बकाया रु. 35,13,970/- (केवल पैंतीस लाख तेरह हजार नौ सौ सत्तर रुपये)	17-अप्रैल-2019	10-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	जीएच-1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश पिन 201301 स्थित "सनवर्ल्ड एरिस्टा" प्रोजेक्ट में टॉवर 10 - के 26वीं मंजिल पर, फ्लैट नं. : टी10/2604, परिमाप लगभग 615 वर्ग फीट भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
9.	श्री सुधीर भट्टाचार्या (ऋण खाता सं. 613815988)	28-फरवरी-19* को बकाया रु. 37,38,476/- (केवल सैंतीस लाख अड़तीस हजार चार सौ छिहत्तर रुपये)	17-अप्रैल-2019	10-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	जीएच-1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश पिन 201301 स्थित "सनवर्ल्ड एरिस्टा" प्रोजेक्ट में टॉवर 10 - के 15वीं मंजिल पर, फ्लैट नं. : टी10/1504, परिमाप लगभग 615 वर्ग फीट भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
10.	श्री सुधीर भट्टाचार्या (ऋण खाता सं. 613295333)	28-फरवरी-19* को बकाया रु. 38,66,447/- (केवल अड़तीस लाख छियासठ हजार चार सौ सैंतालीस रुपये)	17-अप्रैल-2019	10-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	जीएच-1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश पिन 201301 स्थित "सनवर्ल्ड एरिस्टा" प्रोजेक्ट में टॉवर 10 - के 5वीं मंजिल पर, फ्लैट नं. : टी10/504, परिमाप लगभग 615 वर्ग फीट भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
11.	श्री सिकंदर कलाचंद (ऋण खाता सं. 613311635)	28-फरवरी-19* को बकाया रु. 39,55,025/- (केवल उनतालीस लाख पचपन हजार पच्चीस रुपये)	17-अप्रैल-2019	10-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	जीएच-1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश पिन 201301 स्थित "सनवर्ल्ड एरिस्टा" प्रोजेक्ट में टॉवर 10 - के 25वीं मंजिल पर, फ्लैट नं. : टी10/502, परिमाप लगभग 615 वर्ग फीट भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
12.	श्री सिकंदर कलाचंद (ऋण खाता सं. 613311336)	28-फरवरी-19* को बकाया रु. 39,55,025/- (केवल उनतालीस लाख पचपन हजार पच्चीस रुपये)	17-अप्रैल-2019	10-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	जीएच-1सी, सैक्टर 168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश पिन 201301 स्थित "सनवर्ल्ड एरिस्टा" प्रोजेक्ट में टॉवर 10 - के 5वीं मंजिल पर, फ्लैट नं. : टी10/501, परिमाप लगभग 615 वर्ग फीट भूमिगत भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
13.	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह एवं श्रीमती अंगू सिंह (ऋण खाता सं. 601127177)	31-जुलाई-19* को बकाया रु. 34,11,779/- (केवल चौंतीस लाख ग्यारह हजार सात सौ उन्यासी रुपये)	22-अगस्त-2019	12-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	यूनिट ई-0204, टॉवर ई, एसोटेक विंडसोर कोर्ट, जीएच 04ए, सैक्टर 78, नोएडा, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
14.	सुश्री पूनम राघव (मृतक कर्जदार स्व0 श्री चेतन राघव की पत्नी), सुश्री रीना राघव (मृतक कर्जदार स्व0 श्री चेतन राघव की माँ) एवं श्री विक्रम राघव (मृतक कर्जदार स्व0 श्री चेतन राघव के पिता) (ऋण खाता सं. 606964022)	31-जनवरी-19* को बकाया रु. 35,27,140/- (केवल पैंतीस लाख सत्ताईस हजार एक सौ चालीस रुपये)	11-अप्रैल-2019	13-दिसम्बर-2019 (भौतिक)	यूनिट ई-801, 8वीं मंजिल टॉवर, एक्सप्रेस पार्क व्यू II, प्लॉट जीएच-03, सैक्टर सी-V, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
15.	श्री तसलीम मोहम्मद (ऋण खाता सं. 588605003)	31-अगस्त-19* को बकाया रु. 22,21,912/- (केवल बाईस लाख इक्कीस हजार नौ सौ बारह रुपये)	03-सितम्बर-2019	12-दिसम्बर-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. 0003, ग्राउण्ड फ्लोर, टॉवर - एफ3, यूनिटेक यूनिहोम्स फेज-II, प्लॉट नं. जीएचपी 0001, सैक्टर - 117, नोएडा, उत्तर प्रदेश पर स्थित और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
16.	सुश्री पेरी अंशू, श्रीमती पेरी पूनम एवं श्री पेरी भास्कर मूर्ति (ऋण खाता सं. 601217955)	30-सितम्बर-18* को बकाया रु. 30,47,113/- (केवल तीस लाख सैंतालीस हजार एक सौ तेरह रुपये)	02-नवम्बर-2018	12-दिसम्बर-2019 (प्रतिकात्मक)	फ्लैट नं. 1602, 16वीं मंजिल, आम्रपाली सैफायर, टॉवर/ब्लॉक - टी, सैक्टर - 45, प्लॉट नं0 जीएच-003, नोएडा (उ.प्र.)

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उपार्जित जैसा भी लागू अनुसार आगे ब्याज, प्रासंगिक व्यय, लागतें, प्रभार आदि के साथ।

हालांकि, चूंकि यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार/रों बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए विशेषकर उपरोक्त वर्णित कर्जदारों/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी के प्राधिकृत अधिकारी/रियों ने उपरोक्त वर्णित तिथियों पर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्र. सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और 14 में दिए गए अनुसार उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर **भौतिक कब्जा** तथा क्र. सं. 15, और 16 में दिए गए अनुसार उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर **प्रतिकात्मक कब्जा** अपने पास ले लिया है।

विशेषकर यहाँ उपरोक्त वर्णित कर्जदार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) के साथ लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति (यों)/प्रतिभूत परिसम्पत्ति (यों) पर कोई भी लेनदेन हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के प्रभार के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपरोक्त वर्णित कर्जदार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों) एवं विधिक प्रतिनिधि (यों) का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट/आमंत्रित किया जाता है/जाते हैं।

लिखित जारी पंचनामा और बनाई गई मालसूची की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और कथित कर्जदार (रों)/कानूनी उत्तराधिकारी (रियों)/विधिक प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है/हैं कि वे किसी भी सामान्य कार्य दिवस पर कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर लें।

स्थानः नई दिल्ली कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
दिनांकः 14.12.2019 हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई-400 020

www.readwhere.com

खबर कोना

इंग्लैंड के एनफील्ड स्टेडियम में शनिवार को प्रीमियर लीग फुटबाल के दौरान लिवरपुल और वाटफोर्ड के खिलाड़ी।

रणजी ट्रॉफी के लिए नमन ओझा को मप्र की कमान

इंदौर, 14 दिसंबर (भाषा)।

अनुभवी क्रिकेटर नमन ओझा पर भरोसा बरकरार रखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के शुरूआती दो मैचों के लिए मध्यप्रदेश की टीम की कमान सौंपी है। मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि इस प्रतिष्ठित घरेलू स्पर्धा में मध्यप्रदेश की टीम 17 से 20 दिसंबर के बीच बड़ौदा से भिड़ेगी। टीम दूसरा मैच 25 से 28 दिसंबर के बीच तमिलनाडु के खिलाफ खेलेगी। उन्होंने बताया कि दोनों मुकाबले इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जाएंगे। रणजी ट्रॉफी के शुरूआती दो मैचों के लिए मध्यप्रदेश की 16 सदस्यीय टीम इस प्रकार है : नमन ओझा (कप्तान), शुभम शर्मा (उप कप्तान), अजय रोहेरा, आदित्य श्रीवास्तव, रमीज खान, रजत पाटीदार, यश दुबे, आनंद बैस, मिहिर हिरवानी, कुमार कार्तिकेय सिंह, ईश्वर पांडे, आदेश खान, कुलदीप सेन, गौरव यादव, हिमांशु मंत्री और गौतम रघुवंशी।

एटीके को हराकर शीर्ष पर पहुंचा एफसी गोवा

पणजी (गोवा), 14 दिसंबर (भाषा)।

माउतोर्दा फाल और फेराग कोरोमिनास के गोल के दम पर एफसी गोवा शनिवार को इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) फुटबाल मुकाबले में दो बार की चैंपियन एटीके को 2-1 से हराकर तालिका के शीर्ष पर पहुंच गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए छठे सत्र के इस मुकाबले के तीनों गोल सात मिनट के अंदर हुए। गोवा के लिए माउतोर्दा फाल ने 60वें और फेराग कोरोमिनास ने 66वें मिनट में गोल किए जबकि एटीके के लिए जॉबी जस्टिन ने 64वें मिनट में गोल किया।

मीर और तारा के बीच अंडर-15 जूनियर बैडमिंटन का फाइनल

सुराबाया (इंडोनेसिया), 14 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर और तारा शाह रविवार को एशियाई अंडर-15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगे। शीर्ष वरीय तस्नीम ने शनिवार को सेमीफाइनल में जापान की सोरा इशिओका को 21-16, 21-11 से जबकि तारा ने भी जापान की काजुने इवाते को 21-18, 21-14 से शिकस्त दी। इससे पहले दिन में खेले गए क्वार्टर फाइनल में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।

लय में आने के बाद पंत शानदार खिलाड़ी होंगे : राठौड़

चेन्नई, 14 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने ऋषभ पंत का बचाव करते हुए शनिवार को कहा कि जब वह रन बनाने लगेंगे तब 'प्रभावी खिलाड़ी' होंगे। राठौड़ से जब पूछा गया कि खराब प्रदर्शन के बाद भी पंत को लगातार मौके क्यों दिए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि उनके पास 'क्षमता की कोई कमी' नहीं है।

राठौड़ ने कहा, 'हम पंत के बारे में यह चर्चा करते रहते हैं कि वह अपार क्षमतावान है। हर किसी को लगता है कि उसके पास एक्स फैक्टर है। हम सभी को लगता है कि वह अच्छे खिलाड़ी है। वह अपनी फिटनेस और खेल पर काफी काम कर रहे हैं।'

राठौड़ ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच की पूर्व संध्या पर कहा, 'उन्होंने इस प्रारूप में पहले अच्छा प्रदर्शन किया है। जब वह रन बनाने लगेंगे तब भारतीय टीम के लिए प्रभावी खिलाड़ी होंगे। वह मैच विजेता खिलाड़ी होंगे।'

वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करने वाले लोकेश राहुल के बारे में पूछे जाने पर राठौड़ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राठौड़ ने कहा, 'हर क्रिकेटर खराब दौर से गुजरता है। उन्होंने कुछ तकनीकी और मानसिक बदलाव किया जिसका नतीजा दिख रहा है। वह हमेशा एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं था कि वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे।'

राहुल के विकेटकीपिंग करने के विकल्प के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'यह फैसला टीम प्रबंधन को करना है। जाहिर है कि यह एक विकल्प है।' चोटिल सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की जगह टीम में शामिल होने वाले मयंक अग्रवाल के बारे में पूछे जाने पर राठौड़ ने कहा कि कर्नाटक के इस बल्लेबाज ने 'ए' स्तर पर 50 ओवर के प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन किया है।

उन्होंने कहा, 'मयंक ने कई वर्षों से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है जिससे उन्होंने टैस्ट टीम में जगह बनाई और अच्छा प्रदर्शन किया। 'ए' स्तर पर एकदिवसीय क्रिकेट में उनका रेकार्ड शानदार है। मुझे लगता है वहां उसका औसत 50 से अधिक है। उन्होंने विजय हजारे में इस साल बेहतर किया।' राठौड़ ने कहा कि टीम को जिस विभाग ने सुधार करना है वह है पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच जीतना। टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में यह कर दिखाया था।

उन्होंने कहा, 'लक्ष्य का पीछा करने के मामले में हम नंबर एक टीम हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए आपको अलग तरह की निडरता की जरूरत होती है। जब आप लक्ष्य का पीछा करते हैं तो अपने खेल की योजना को बेहतर तरीके से बना सकते हैं।' बल्लेबाजी कोच ने कहा, 'हम पहले बल्लेबाजी करने की स्थिति पर काम कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि पहले बल्लेबाजी करें और अच्छा स्कोर करें।

> “ उन्होंने इस प्रारूप में पहले अच्छा प्रदर्शन किया है। जब वह रन बनाने लगेंगे तब भारतीय टीम के लिए प्रभावी खिलाड़ी होंगे। वह मैच विजेता खिलाड़ी होंगे।'

> “ हर क्रिकेटर खराब दौर से गुजरता है। उन्होंने कुछ तकनीकी और मानसिक बदलाव किया जिसका नतीजा दिख रहा है। वह हमेशा एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं था कि वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे।' *(लोकेश राहुल के जिक्र पर राठौड़)*

तीन बार के ओलंपिक चैंपियन स्नेल का निधन

वेलिंगटन, 14 दिसंबर (एपी)।

तीन बार के ओलंपिक चैंपियन और विश्व मील रेकार्ड धारक पीटर स्नेल का डलास में निधन हो गया। वह 80 बरस के थे। मध्यम दूरी के महानतम धावकों में से एक माने जाने वाले स्नेल ने 1960 रोम ओलंपिक में 21 बरस की उम्र में 800 मीटर दौड़ का खिताब जीता। वह तोक्यो 1964 खेलों में 800 मीटर और 1500 मीटर का दोहरा खिताब जीतने में सफल रहे।

वह 1920 के बाद एक ही ओलंपिक में 800 मीटर और 1500 मीटर का खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी थे। उनके बाद कोई भी पुरुष धावक इस कारनामे को दोहरा नहीं पाया है।

स्नेल ने राष्ट्रमंडल खेलों में भी दो स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने पर्थ में 1962 में 880 यार्ड और एक मील की दौड़ जीती।स्नेल के निधन की पुष्टि उनके पारिवारिक मित्र और न्यूजीलैंड के खेल इतिहासविद रोन पालेनस्की ने की है जो न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स हाल आफ फेम के प्रमुख हैं। पालेनस्की ने कहा कि यह काफी दुखद खबर है, न्यूजीलैंड के लिए काफी दुखद।

विंडीज और भारत में मुकाबला आज

प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी मेजबान टीम

चेन्नई, 14 दिसंबर (भाषा)।

भारत रविवार से वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा। इस मुकाबले में मेजबान टीम की निगाहें कैरेबियाई टीम के खिलाफ लगातार 10वीं द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला जीतने पर टिकी होंगी। मेजबान टीम को तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की कमी खलेगी। भुवनेश्वर की ग्रोइन में चोट है जबकि धवन भी चोट से अब तक नहीं उबर पाए हैं।

तेज गेंदबाज शारदुल ठाकुर को चोटिल भुवनेश्वर के विकल्प के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। मुंबई में सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और लोकेश राहुल के अलावा कप्तान विराट कोहली की शानदार पारियों से टी-20 श्रृंखला जीतने के बाद भारतीय टीम लय में है। धवन की गैरमौजूदगी में एक दिवसीय श्रृंखला में भी पारी का आगाज करने की जिम्मेदारी रोहित और राहुल को सौंपी जा सकती है।

शिखर धवन के विकल्प बने मयंक

मयंक अग्रवाल को धवन के विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया गया है और देखना यह होगा कि उन्हें एक दिवसीय क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिलता है या नहीं। कर्नाटक का यह बल्लेबाज टैस्ट क्रिकेट में शानदार फॉर्म में था और डिंडीगुल में तमिलनाडु के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के बाद टीम से जुड़ा है। श्रेयस अय्यर मौकों का फायदा उठाने में सफल रहे हैं और उम्मीद है कि उन्हें चौथे नंबर पर बरकरार रखा जाएगा।

भुवनेश्वर की जगह शारदुल भारतीय टीम में

शारदुल ठाकुर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ श्रृंखला के लिए चोटिल भुवनेश्वर कुमार की जगह भारतीय टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआइ की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ आगामी एकदिवसीय श्रृंखला के लिए चोटिल भुवनेश्वर के विकल्प के तौर पर ठाकुर को टीम में जगह दी है। भुवनेश्वर ने बुधवार को मुंबई में तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद दाईं ग्रोइन में दर्द की शिकायत की।

ऋषभ पंत पर रहेंगी सबकी निगाहें

सभी की निगाहें विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर टिकी होंगी जो पिछले कुछ समय से बल्ले और ग्लव्स के साथ प्रभावी प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। पहले वनडे के जरिये उन्हें एक बार फिर कोहली और टीम प्रबंधन के भरोसे पर खरा उतरने का मौका मिलेगा। यह भी देखना होगा कि युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी को चेपक की स्पिन की अनुकूल पिच पर एक बार फिर साथ खेलने का मौका मिलता है या नहीं।

टीमें

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर।

वेस्ट इंडीज : किरेन पोलार्ड (कप्तान), सुनील अंबरीश, शाई होप, खैरी पियरे, रोस्टन चेस, अल्जारी जोसेफ, शेल्डन कोटरेल, ब्रैंडन किंग, निकोलस पूरन, शिमरान हेटमायर, एविन लुईस, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, कीमो पाल और हेडन वाल्श जूनियर।

क्या बात है

कोलकाता में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान हैरतअंगेज करतब दिखाते भारतीय सेना के जवान

टीआरएयू एफसी को हरा ईस्ट बंगाल शीर्ष पर

कल्याणी (पश्चिम बंगाल), 14 दिसंबर (भाषा)।

मार्ति क्रेस्पी के आखिरी पलों में किए गोल की मदद से ईस्ट बंगाल ने शनिवार को आइलीग फुटबाल टूर्नामेंट में पदार्पण कर रहे टीआरएयू एफसी को 2-1 से हराया। इस जीत से ईस्ट बंगाल की टीम चार मैचों में आठ अंकों के साथ आइ-लीग तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई जबकि टीआरएयू लगातार तीन हार के बाद सबसे नीचे है।

मार्कोस इस्पादा के 17 मिनट में किए गये गोल से ईस्ट बंगाल की टीम ने मैच में बढ़त बना ली लेकिन मध्यांतर से ठीक पहले दीपक देवरानी ने गोलकर टीआरएयू एफसी की वापसी करा दी। मैच जब ड्रा की तरफ बढ़ रहा था तभी 89वें मिनट में मार्कोस के हेडर को क्रेस्पी ने गोल में बदल कर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी।

रन टू ब्रीथ मैराथन में दौड़ेंगे देश भर के धावक

जनसत्ता संवाददाता,
गाजियाबाद, 14 दिसंबर।

गाजियाबाद रन टू ब्रीथ मैराथन में देश भर के हजारों धावक हिस्सा ले रहे हैं। मैराथन रविवार को गाजियाबाज के वसुंधरा में होगी। इसका आयोजन रोयोन सामाजिक संस्थान ने किया है। इससे पहले चार संस्करण हाफ मैराथन तक सीमित थी। इस बार पहली बार मैराथन हो रही है।

मैराथन के अलावा हाफ मैराथन, दस, पांच व ढाई किलोमीटर की दौड़ का आयोजन भी किया गया है। मैराथन में चार लाख की इनामी रकम दांव पर लगी है। मैराथन का मकसद हरियाली बचाना और पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है। देश भर के धावकों के साथ-साथ सुदूर हिमाचल के लाहौल स्पीति से आने वाले धावक भी इस मैराथन का हिस्सा होंगे।

विक्रांत-आयुषी ने मिश्रित टीम का राष्ट्रीय खिताब जीता

भोपाल, 14 दिसंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के विक्रांत शर्मा और आयुषी गुप्ता की जोड़ी ने 63वीं राष्ट्रीय राइफल और पिस्टल निशानेबाजी चैंपियनशिप में शनिवार को मिश्रित टीम 10 मीटर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्वर्ण पदक के मुकाबले में विक्रांत और आयुषी की जोड़ी ने हरियाण के पंकज कुमार और हर्षिता दाहिया की जोड़ी को 16-8 से हराया। इस बीच महाराष्ट्र के रुद्राक्ष पाटिल और जान्हवी खानविलकर की जूनियर मिश्रित जोड़ी ने मिश्रित टीम 10 मीटर राइफल फाइनल में पश्चिम बंगाल के श्रिजॉय दत्ता और मेहुली घोष की जोड़ी को 17-13 से हराकर खिताब जीता।

राष्ट्रीय राइफल और पिस्टल निशानेबाजी चैंपियनशिप

कपूर संयुक्त सातवें स्थान पर खिसके

जकार्ता, 14 दिसंबर (भाषा)।

शिव कपूर शनिवार को इंडोनेशिया मास्टर्स के तीसरे दौर में एक अंडर 71 के निराशाजनक प्रदर्शन से संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर पहुंच गए। दो दौर के बाद वे संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर थे लेकिन तीसरे दौर के बाद उनका कुल स्कोर 10 अंडर का हो गया। वह शीर्ष पर चल रहे जैज जेनेवात्तानोंड (62) से छह शाट पीछे है। विराज मदप्पा (71) और राशिद खान (71) संयुक्त रूप से 16वें स्थान पर हैं जबकि अजितेश संधू (74) ने भी इस दौर में निराशाजनक प्रदर्शन किया।

नागरिकता कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर सतर्कता | **गुवाहाटी टी20 अंतरराष्ट्रीय** | श्रीलंका की टीम तीन मैचों की श्रृंखला के लिए आ रही भारत

स्थिति पर करीबी नजर रख रहे बीसीसीआइ-असम क्रिकेट संघ

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा)।

भारत और श्रीलंका के बीच पांच जनवरी को गुवाहाटी में होने वाले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को देखते हुए बीसीसीआइ और असम क्रिकेट संघ (एसीए) नागरिकता कानून के कारण हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। श्रीलंका की टीम तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की संक्षिप्त श्रृंखला के लिए भारत आ रही है जिसकी शुरुआत गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में होगी लेकिन शहर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण इस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं।

एसीए के उपाध्यक्ष परीक्षित दत्ता ने बताया, 'फिलहाल हम नहीं बता सकते कि गुवाहाटी में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होगा या नहीं। सभी प्राधिकरण (राज्य पुलिस, गृह मंत्रालय) स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हमें कुछ देर इंतजार करना होगा। अब भी तीन हफ्ते का समय बचा है इसलिए हमें उम्मीद रखनी होगी।'

बीसीसीआइ और एसीए दोनों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय टीम की सुरक्षा का सवाल है। गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन के कारण असम और सेना के बाद रणजी ट्राफी मैच के चौथे दिन का खेल रद्द करना पड़ा और खिलाड़ी अपने होटलों में ही रहे।

असम और ओड़ीशा के बीच नौगांव में अंडर-19 कूच बेहार ट्राफी मैच भी रद्द कर दिया गया और मेहमान टीम को हाईवे पर होटल में रुकने को बाध्य होना पड़ा जिससे कि टकराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचा जा सके। अगरतला में त्रिपुरा के खिलाफ पहले दौर का रणजी ट्राफी मैच खेलने वाली झारखंड की टीम कोलकाता में रुकी हुई है और उसे 17 दिसंबर से असम के खिलाफ होने वाले टीम के दूसरे मैच से पहले बीसीसीआइ की स्वीकृति का इंतजार है।

यह पूछने पर कि गुवाहाटी के मैच की मेजबानी में असमर्थ रहने पर क्या बीसीसीआइ वैकल्पिक स्थल को लेकर तैयार है, बसीसीआइ अधिकारी ने कहा, 'फिलहाल हमने किसी वैकल्पिक स्थल को नहीं चुना है लेकिन अपरिहार्य कारणों की स्थिति में हम हमेशा विकल्प के साथ तैयार रहते हैं। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि चीजें सामान्य होंगी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मैच हो पाएगा।'

तीन हफ्तों में हालात सामान्य होने की उम्मीद

बीसीसीआइ के अधिकारियों को हालांकि अगले तीन हफ्तों में गुवाहाटी में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। बीसीसीआइ के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, 'इस समय भारत बनाम श्रीलंका मैच के स्थानांतरण को लेकर प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी होगी। हां, हम सभी सुरक्षा की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और समय करीब आने पर हम फैसला करेंगे।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 28, *हवाई शुल्क:* इंफ्ल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मैक्नीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज**", "पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

जनसत्ता
रविवारी
● 15 दिसंबर, 2019 ●

मानसिकता में खोट

बलात्कार की घटनाओं पर काबू पाने के मकसद से कड़े कानून बने, निगरानी तंत्र को मुस्तैद बनाने की कोशिशें भी हुईं, पर हकीकत यही है कि इन घटनाओं में कमी के बजाय निरंतर बढ़ोतरी ही दर्ज हुई है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, समाज का एक तबका दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाते हुए सड़कों पर उतर आता है। पर यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि आखिर क्या वजहें हैं, जिनसे समाज में ऐसी कुत्सित मानसिकता को बल मिल रहा है। कुत्सित और जघन्य अपराध की मानसिकता तैयार करने वाले कारणों की पड़ताल कर रही हैं **नाज खान**।

एक बार फिर लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुए और बलात्कार के दोषियों को कठोर दंड और फांसी की मांग ने जोर पकड़ा। मगर क्या मौत की सजा देने भर से बलात्कार की इस पिशाची प्रवृत्ति पर लगाम लग सकेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता, तो दोषियों को कठोर दंड या फांसी देने के बाद इन जघन्य अपराधों का सिलसिला रुक चुका होता। धनंजय चटर्जी को बलात्कार और हत्या के जुर्म में फांसी दी गई थी, मगर आज भी बलात्कार की घटनाएं हर दिन, हर घंटे अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। मतलब साफ है, यानी सिर्फ कानून के भरोसे बलात्कार मुक्त समाज बनाने की बात बेमायने है, क्योंकि यह एक मानसिकता है, जो कहीं न कहीं पुरुषों में उनके अपने माहौल से घर करती जाती है। इसमें नशा, पोर्न साइटें, अश्लील किताबें आदि उनकी इस आपराधिक सोच को बढ़ावा देते हैं, उसे उकसाते हैं। नतीजा, इस तरह के अपराध होते हैं। सच तो यह है कि बलात्कार जैसी पीड़ा से गुजरने वालों के लिए इंसाफ की लड़ाई तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक कि बार-बार सामने आने वाली इन जघन्य वारदातों के पीछे की असल वजह को न समझा जाए, क्योंकि जब तक इन अपराधों के पीछे की वजह को पूरी तरह समझ कर इनके समाधान की ओर कदम नहीं बढ़ाया जाता, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को सिर्फ कठोर दंड के सहारे रोक पाना नामुमकिन है।

सवाल है कि आखिर पुरुष बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करते ही क्यों हैं। दरअसल, इसके लिए किसी एक वजह को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह सही है कि कहीं अक्सर अचानक और सुनसान रास्ते पर अकेले में ऐसे लोगों के बीच घिर गई महिलाएं बलात्कार की शिकार बनती हैं, तो कहीं भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी अश्लील इशारों, फब्तियों को सुनने पर मजबूर होती हैं। दरअसल, इसके लिए समाज में बैठी वह पुरुषवादी मानसिकता भी पूरी तरह जिम्मेदार है, जिसमें महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह समझा जाता रहा है। अक्सर यह अपराध महिलाओं पर हावी होने, उन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने और उन्हें अपमानित करने के मकसद से भी किए जाते हैं। क्योंकि ऐसी सोच के पुरुषों की भी कमी नहीं है, जो यह समझते आए हैं कि महिलाएं उपभोग की वस्तु हैं और पुरुषों की यौन इच्छाओं को पूरा करने के मकसद के लिए ही उनका जन्म हुआ है। इस मानसिकता की शुरुआत दरअसल घर से ही होती है। किसी परिवार में जब पुरुषवादी वर्चस्व महिला पर हावी रहता है, वहां महिलाओं को पुरुषों की मनमानी को सहन करना पड़ता है। ऐसे घरों में घरेलू हिंसा आम बात होती है। इस तरह के माहौल में पले-बढ़े बच्चों पर बचपन से ही इसका गहरा प्रभाव पड़ता है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो समाज में बच्चों का व्यवहार उनके घर में महिलाओं के साथ पुरुषों के किए गए व्यवहार से तय होता है यानी वे अपनी मांओं के साथ अपने पिता का सुलूक देख कर सीखते हैं। वहीं वह पुरानी परंपराएं इतनी गहरी घुली-मिली हुई हैं, जिनमें पुरुषों को महिलाओं पर और बेटे के जन्म को बेटी के जन्म पर अहमियत दी जाती रही है। दरअसल, यह मानसिकता बेटी और बेटे के जन्म और उनकी परवरिश के साथ ही पनपती जाती है। जब-जब बेटियों को बेटों से कमतर आंका जाता है, दोनों के लिए सही और गलत के अलग पैमाने तय किए जाते हैं, तब पुरुषवादी मानसिकता में महिलाओं के प्रति उस सोच का जन्म होता है, जिसमें महिलाओं के प्रति सम्मान के बजाय उनको नियंत्रित करने, उन पर हावी होने की सोच पनपती है। पुरुषों में आपराधिक सोच को कुछ अन्य वजहों से भी बल मिलता है-

घरेलू हिंसा को नजरअंदाज करना : यह वह अहम कारण है जिसका बच्चों के मन पर गहरा असर पड़ता है। मगर यह हमारे समाज की आम बात समझी जाती रही है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि घरेलू हिंसा अपराध नहीं, किसी घर का, पति-पत्नी का निजी मामला है। मगर इस ओर कम ही ध्यान दिया जाता है कि इसका बच्चों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब वह घर में इसी माहौल में पलते हैं, तो उनका महिलाओं को लेकर वही नजरिया बनता जाता है। ऐसे में उनमें महिलाओं के लिए सम्मान नहीं होता और उनके लिए हिंसा किया जाना एक आम बात होती है।

नशा और पोर्न साइट देखने की लत : नशा व्यक्ति की सोच को विकृत कर देता है। उसका खुद पर काबू नहीं रहता। उसके गलत दिशा में बहकने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। यह उसकी नियंत्रण क्षमता को कम कर देता है। ऐसे में अक्सर लोग सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। वहीं ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जब गांवों से पलायन करके शहरों में मजदूरी आदि करने आए लोग इस तरह के अपराधों में लिप्त पाए गए। इसके लिए नशा और अकेले में पोर्न साइट, फिल्में, तस्वीरें उनके नीरस जीवन में उत्तेजना भरती हैं और वे अपराध कर बैठते हैं। सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं में नशा एक अहम कारण के तौर पर सामने आया है। अक्सर सामूहिक दुष्कर्म में अपराध साबित करना मुश्किल होता है। वहीं अपराधी कानून की लचरता का सहारा लेकर अपने लिए बचने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एकल रेप में अपराधियों के पकड़े जाने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए सामूहिक दुष्कर्म की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

महिलाओं की कमजोर स्थिति : अपने अधिकारों से अनजान महिलाओं को बचपन से ही दब कर रहने, कम बोलने की सीख दी जाती रही है और कुछ घटना हो जाए तो इज्जत के नाम पर उनको चुप रहने का सबक भी दिया जाता है। साथ ही इज्जत का हवाला देकर उन पर समझौता करने का दबाव डाला जाता है। मगर यह स्थिति अपराधियों में डर को खत्म करती है और उन्हें मनमानी का मौका देती है। वे निडर होकर एक के बाद एक अपराध करते हैं।

पुरुषवादी मानसिकता : सामूहिक बलात्कार जैसे मामलों में सबक सिखाने जैसी सोच पुरुषवादी मानसिकता का वह पहलू उजागर करती है जिसमें महिला को सबक सिखाना हो या उसे नीचा दिखाना हो, तो उसके साथ बलात्कार जैसी दरिंदगी की जाती है। कई मौकों पर बलात्कार की वजह ताकत और महिलाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करना भी होता है। फूलनदेवी का उदाहरण ही सामने नहीं है, बल्कि बिलकीस बानो, मुख्तारन माई जैसी सामूहिक दुष्कर्म की कितनी ही घटनाएं उदाहरण के तौर पर सामने हैं, जिनमें सामूहिक दुष्कर्म सिर्फ इसलिए किया गया, ताकि महिलाओं, उनके परिवारों को अपमानित किया जा सके और उनसे बदला लिया जा सके।

ये अपराध समाज से अलग-थलग पड़े लोग अंजाम देते हैं : इस तरह के अपराध अक्सर समाज से कुंठित, अलग-थलग पड़े उन लोगों के द्वारा भी अंजाम दिया जाता है, जिनकी अपनी आकांक्षाएं पूरी नहीं होतीं। समाज में उन्हें सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता। तब ऐसे में उनके अंदर आक्रामकता बढ़ती जाती है। एकांत जगह अक्सर ऐसे मवालियों का अड्डा बन जाती हैं। इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता है, वे इस तरह के अपराध कर बैठते हैं।

व्यवस्था की खामियों से बढ़ता अपराध : लचर कानून का फायदा अपराध में प्रवृत्त लोग उठाते हैं और वहीं जब शक्तिशाली लोग इसके शिकंजे में फंसते हैं तो कानून की इसी लचरता का फायदा उठा कर बच निकलने में कामयाब होते हैं। इसका भी असर समाज और अपराधी मानसिकता के लोगों पर पड़ता है। वे अपराध करने से डरते नहीं, उन्हें कानून, सजा का डर नहीं होता और अगर कानूनी शिकंजे में फंस भी जाएं तो अपने रसूख के बल कर उससे निजात पा लेने की सोच उनमें होती है। नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कई सालों में देश के अहम राजनीतिक दलों ने ऐसे उम्मीदवारों को भी टिकट दिए, जिन पर बलात्कार जैसे संगीन अपराध के आरोप लगे हैं। इससे लोगों में भी सोच मजबूत हुई कि कुछ भी कर लो, पावर और पैसा हो तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ■

वर्चस्व की मंशा

यह एक कंपा देने वाली वास्तविकता इतिहास में दर्ज है कि द्वितीय चीन-जापान युद्ध में करीब अस्सी हजार चीनी महिलाओं का बलात्कार जापानी सैनिकों ने किया था। वहीं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि 2017 में मुसलिम अल्पसंख्यकों के जनसंहार के इरादे से म्यांमा सेना ने रोहिंग्या महिलाओं के साथ यौन हिंसा की। एक समय अमेरिकी सैनिकों के भी इराकी महिलाओं के साथ यौन अपराध करने की कई घटनाएं सामने आई थीं। मतलब साफ है कि कबीलाई झगड़े हों या देशों के बीच वर्चस्व साबित करने को युद्ध हुए हों, अक्सर इसका आसान शिकार महिलाएं ही हुई हैं। अन्य देशों को अपमानित करने, अपनी ताकत दिखाने और अपनी कुंठा निकालने के लिए सैनिकों द्वारा पराजित देश की महिलाओं के प्रति ऐसी यौन हिंसा करना कई युद्धों में आम बात रही है। मगर इससे उस पुरुषवादी मानसिकता को समझा जा सकता है, जिसमें वजह कोई हो, निशाना नारी अस्मिता को ही बनाया गया है। यानी देश ही नहीं, विश्व परिदृश्य तक पुरुषवादी मानसिकता में बदलाव की जरूरत है।

बलात्कार जहां अपराध है, वहीं यह एक सामाजिक समस्या भी है। मगर अफसोस यह है कि यह समस्या गहरे तक अपनी जड़ें जमा चुकी है और इसे खाद-पानी पुरुषवादी मानसिकता के साथ उन विज्ञापनों, फिल्मों और टीवी धारावाहिकों से भी मिलता है, जिनमें महिला की छवि किसी वस्तु की तरह 'ग्लैमराइज' करके पेश की जाती रही है। दर्शकों की भीड़ को आकर्षित करने के लिए अक्सर सिनेमा के पोस्टरों, फिल्म, धारावाहिक के ट्रेलर आदि में उत्तेजित करने वाले अश्लील लिबासों में दृश्यों को दर्शाया जाता है। बलात्कार इसी सब से पनपी मानसिकता का नतीजा है। इसका गहरा असर मानसिकता पर पड़ता है। क्योंकि आज इंटरनेट के जरिए फिल्में, अश्लील सामग्री देखना आसान हो गया है और मोबाइल अब बच्चों की पहुंच में भी हैं, वे कम उम्र से ही इस तरह की चीजें देखते हैं और उनकी सोच में अपराध घर करने लगता है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जब महिलाओं के प्रति आपराधिक मानसिकता रखने और अपराध करने वालों में कम उम्र के लड़के और वृद्ध दोनों ही शामिल पाए गए। महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने की मंशा को देखते हुए यह गंभीर बात है। वहीं छोटी बच्चियों से भी दुष्कर्म जैसे मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि उन पर डर बैठाना ज्यादा आसान होता है और अपराधी बिना किसी डर के लंबे समय तक अपराध करता रहता है। ■

इंटरनेट से दूषित होता मानस

मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक बार-बार देखी, सुनी गई बातों का दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और व्यक्ति की सोच प्रभावित होती है। वहीं अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन ने अपने आपराधिक आंकड़ों में यह स्पष्ट कहा था कि यौन हिंसा के अस्सी फीसद मामलों में अश्लील साइटें, तस्वीरें जिम्मेदार हैं। इंटरनेट क्रांति और इंटरनेट के हर जगह पहुंचने ने अश्लील और वीभत्स यौन-चित्रण को देखना आसान बना दिया है। आज यह हर वर्ग और हर मानसिकता के व्यक्ति तक उपलब्ध है। अक्सर फिल्मों, टीवी पर बलात्कार या यौन हिंसा को दिखाया जाता है, मगर देखा गया है कि इस तरह के दृश्य लोगों में सहानुभूति, आक्रोश, काल्पनिक यौन इच्छा को संतुष्ट करने के साधन के तौर पर ज्यादा देखे जाते हैं और अगर उनके अपने शब्दों में कहें तो वे इस सबको देख कर 'मजा' लेते हैं। सिनेमा हॉल में अक्सर अश्लील दृश्यों पर बजती सीटियां इस बात का उदाहरण हैं। यही वजह है कि अब बलात्कार के वीडियो बनाने का चलन भी बढ़ गया है। लोग इस तरह के अपराधों को वीडियो बना कर रखते हैं, ताकि जब चाहें उसे देख सकें और कुछ का तो उद्देश्य ही इन्हें अश्लील साइटों पर डालना होता है। ताज्जुब तो यह है कि इस तरह के अपराध पर कुछ गेम भी प्रचारित होते रहे हैं। 'रेपले' उन्हीं में से एक है। 2006 में जापान में यह वीडियो गेम खूब प्रचारित हुआ था। इस गेम में एक व्यक्ति बारी-बारी से पहले एक मां और उनकी दो बेटियों का अलग-अलग जगहों पर बलात्कार करता है। भयावह स्थिति यह है कि इस तरह के गेम को ऑनलाइन भी बेचा और खरीदा गया।

बदलाव से आएगी जागरूकता

समाज में अपराधियों को दंडित करने के साथ ही आपराधिक मानसिकता में भी बदलाव हो, तो अपराध की इस प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। जहां पीड़ित महिलाओं के प्रति भी समाज को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। वहीं समाज में कुछ बदलाव भी जरूरी हैं।

सोच में बदलाव : इस बदलाव की शुरुआत महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना और घर से हो तो नतीजे सकारात्मक होंगे। इसके लिए घरेलू हिंसा न हो और बेटे, बेटी में अंतर करने जैसी मानसिकता से मुक्ति ही इस समस्या से समाधान की ओर कारगर कदम है।

यौन शिक्षा : यौन शिक्षा को बढ़ावा देकर यौन हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है। जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश के मुताबिक स्कूली पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। इससे बच्चों को सही-गलत को समझने में मदद मिलेगी और वे आपसी संबंधों के विषय में जान पाएंगे।

अश्लील साइटों से दूरी : अश्लील वेबसाइटों से दूरी जरूरी है, क्योंकि यह अपराध के लिए पूरी तरह जिम्मेदार न सही, मगर इस तरह की सामग्री उनमें उत्तेजना पैदा करती है और इससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। ■

कविताएं

शंकरानंद

गंध

पृथ्वी की सतह से उठती हुई गंध
बीज की गंध से मिलती है
धूप की परछाईं और
चूल्हे की आग में बहुत फर्क नहीं है
किसी हाथ का कंधे पर होना
जिस तरह भरोसे का होना है
उसी तरह किसी पेड़ की छाया
बताती है अपना होना लगातार

मैं हर चेहरा गौर से देखता हूं
उन्हें देखने भर से पता चल जाता है कि
उनकी आंखों में अभी कितनी नमी बची है
धीरे-धीरे तमाम रहस्य खुल जाते हैं
कोई गांठ नहीं बचती जो धोखा दे
बस एक अफसोस बच जाता है कि
वह भला आदमी अगर चाहता तो
इतना बुरा होने से बच सकता था
जितना कि कोई गहरा कुआं होता है
पानी और जहर की गंध से एक साथ भरा हुआ।

शुरुआत

बहुत मुश्किल होता है पहला कदम बढ़ाना

अबोले में चुप्पी होती है
घुन की तरह जो काटती है समय को
हासिल होती है धूल
राख उड़ती है इच्छाओं की
दूरियां हर जगह होती है
दीवारें खड़ी होती हैं, तो गिरती नहीं जल्दी
ऐसे में यही लगता है कि
एक तरफ खाली पन्ना है जीवन और
दूसरी तरफ अथाह रंगों से भरा है समय
मुश्किल है कि रंग को भरना नहीं आता
ठूंठ की तरह जीने से अच्छा है कि नमी खोजें
अगर बंजर है तो उसमें भी खिल सकते हैं फूल
पहले पत्थर तोड़ने की शुरुआत तो हो!
नदियों की उम्र
सदियों से बहती नदियों के किनारे शहर बसे हैं
वे इतने खूबसूरत हैं कि खींचते हैं अपनी तरफ
जैसे वे एक चुंबक हों और

बाकी सब कुछ लोहा

पहले ये शहर
किनारे बहती नदियों का पानी पीकर बड़े हुए
अब वे नदियां किसी बूढ़े की तरह खांसती हैं दिन रात
जैसे उन्हें रखा जाता है घर के बाहर
चुपचाप कराहने के लिए
इसलिए कि किसी की नींद पर पत्थर नहीं पड़े

नदियों की उम्र अब घटती जा रही है
वे जीने की इच्छा के बावजूद मर रही हैं
मैं शहर की चमक को जब देखता हूं
याद आता है कि इस रोशनी की राख
कहीं और बह रही है!

भूलना

संभालने की कोशिश में भूलना एक यातना है
कुछ याद नहीं रहता
जैसे स्लेट पर लिखा था
एक बार पोंछा तो मिट गया
जबकि कुछ भी इतनी आसानी से खत्म नहीं होता

जीने के लिए याद रखना जरूरी है
इतनी चीजें हैं कि भीड़ में सब एक जैसा हो जाता है
पता फोन नंबर चेहरा हंसी और आंसू के अलावा भी
इस पृथ्वी पर असंख्य चीजें हैं जिन्हें याद रखना चाहिए

मुश्किल है कि हर चीज बोझ की तरह लगती है अब
याद रखना एक सजा
ऐसे लोग कम नहीं जो अपने घर का पता भी
भूल जाते हैं
भटकते हैं वे उम्र भर
जिन्हें अपना चेहरा भारी लगता है। ❑

आखिर क्षमादान

कहानी

विनम्र सेन सिंह

आज फिर वही कर्कश कटु झनझनाती आवाजें किचेन में अस्त व्यस्त बर्तनों में घुल-मिल रही थीं- 'जल्दी करो! देर हो रही है! ...न जाने यह लड़का कब सुधरेगा।'

आखिर इस शोर-शराबे और नींद तोड़ कोलाहल से वह कब तक भागता! रोज-रोज की ऐसी ही परिचित मुसीबत! सुंदर अपनी आंखें मींजता हुआ बेपरवाही से उठा। किचेन से बड़बड़ाते शब्दों के नुकीले तीर पीछा कर रहे थे- 'बेपरवाही देखो, जैसे कहीं के राजकुमार हैं!' सुंदर नींद की खुमारी में लड़खड़ा रहा था। मगर शब्द लगातार उसे लगातार धक्का मारते-धकेलते जा रहे- 'जल्दी कर, मुझे भी स्कूल जाना है।'

ऐसे ही रोज होती सुंदर की सुबहा। उठो लाल अब आंखें खोलो- उन किताबों वाली मां के जीवन में बड़ा इमीनान था। तब माएं नौकरी थोड़े करती थीं! सुंदर की मातांजी पूर्णिमा को भी ऐसी ही हड़बड़ सुबह के साथ अपने यातना शिविर का सफर पूरा करना होता।

'जल्दी करो बेटा!'

'हां, आया। बस तुरंत अभी।' सुंदर झुंझलाते हुए पैरों को घसीटता बाथरूम की ओर बढ़ गया। आवाजें यहां भी पीछा कर रही थीं- 'नाश्ता मेज पर लगा दिया है। खा जरूर लेना। गणित की कॉपी रखना न भूलना, वरना फिर से...।'

बाथरूम से गिरता नल का पानी भुनभुना रहा था- 'हां ठीक है। रख लूंगा।' मां के वाक्य का आखिरी टुकड़ा- 'वरना फिर से' सुंदर के दिमाग में अटक गया। उसकी एक बड़ी मुसीबत रोज शाम को पढ़ाने चले आते प्रोगनाचार्य भी हैं। उन्हें अंगूठा भर नहीं, पूरी की पूरी गर्दन चाहिए। गणित की कॉपी खोल कर सुंदर के गृहविज्ञान का होमवर्क शुरू हो जाता- 'सुंदर मास्टर साहब को पानी तो पिला दिया करो।' 'सुंदर, चाय ले आओ बेटा' सुंदर कुढ़ता रहता।

सुंदर की असल समस्या मास्टर जी कम, घर वाले ज्यादा थे। कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता कि पढ़ाना इन मास्टर जी के वश का नहीं। वह उनके बारे में कुछ कहना-बताना चाहता, तो सब एक सुर में चिल्ला पड़ते- 'ये तुम्हें क्यों अच्छे लगेंगे। मारते हैं न। भला ऐसे आदर्श शिक्षक आजकल कहां मिलते हैं।'

सुंदर इसका आदी हो चुका था। नाश्ता निबटा कर बैग सहित उसने अपनी साइकिल उठाई और स्कूल के लिए चल पड़ा। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि आज उसके लिए कुछ खास इंतजाम किया जा चुका है स्कूल में। थोड़ी देर के लिए ही सही, अगर उसकी जिंदगी से घर और स्कूल निकाल दिया जाय, तो बाकी बचता है शहर। शहर की खूबसूरत सड़कें। लेकिन यही तो मुश्किल है कि सड़क घर से शुरू होकर स्कूल तक ही जाती है।

फिलहाल इस समय सड़क, सिर्फ सड़क है, जिस पर उसकी साइकिल कुलांचे मार रही है। सुंदर का बचपन घर में मां या स्कूल में गुरु जी लोगों की साया में हर क्षण सजग और डर कर ही बीतता रहता, लेकिन सड़क के इस सुनसान सन्नाटे में जब वह साइकिल को लहराता, कलाबाजियां खिलाता, तरह-तरह से करतब करता, तो देखने वाले दंग रह जाते। घर और स्कूल से अलग साइकिल ही उसकी जान भी थी, और जहान भी। पर स्कूल की चारदीवारी दिखते ही रफ्तार धीमी पड़ जाती।

उसे स्कूल की दीवारें दुख और उदासी के क्रूर संकतक-सी जान पड़तीं। चेहरे की हंसती हरियाली वीरान और बंजर मैदान में तब्दील होने लगती। बदकिस्मत ऊसर के दूह-सा वह साइकिल को खड़ी करके क्लास रूम 8 बी में दाखिल होता।

गर्मियों के दिन। वातावरण में एक अदृश्य अनहोनी जैसे फुसफुसा रही हो। सुंदर आवाजों से भय मिश्रित अभिवादन के साथ अपनी निर्धारित पिछली सीट की ओर बढ़ गया। अभी क्लास शुरू ही हुई थी कि प्रिंसिपल साहब के खास चपरासी साधू काका का प्रवेश हुआ- 'साहब सुंदर बाबू को प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। तुरंत अभी।'

आशंका और अनुमान से भरे पूरे क्लास की निगाहें एकबारगी सुंदर को देखने लगीं। तीसेक कदम की दूरी पर प्रिंसिपल का ऑफिस फांसी घर की तरह लग रहा था। असमंजस और उछापोह में सुंदर के पैर लड़खड़ा रहे थे- सुबह-सुबह प्रिंसिपल ने तलब किया है, कहीं घर से कोई शिकायत तो नहीं आई है? क्लास टीचर की कोई शिकायत तो नहीं, लेकिन होमवर्क तो सब पूरा है। सुंदर खुद को सांत्वना देता- विद्यालय में अनुशासनाधिकारी हूं। हो सकता है वार्षिकोत्सव की ही कोई जिम्मेदारी हो।

इतने में प्रिंसीपल कक्ष की छोटी-सी खिड़की से चंदा की झलक दिखाई दी। चंदा! अरे वाह! तब तो निश्चित ही वार्षिकोत्सव की तैयारी का कोई मामला होगा! सुंदर मन ही मन प्रसन्न।

स्कूल के उस छोटे से आकाश की वह वास्तव में चंदा ही थी। बला की खूबसूरत। कंठ में अमृत! हंसे तो फूलों की झड़ी। नाक-नक्श! अप्सराएं ऐसी ही होती होंगी। सुंदर ही नहीं, पूरा विद्यालय उसकी एक झलक पर डूबता-उतराता। वह सभी के आकर्षण का केंद्र थी।

गंगाधर पांडेय नाम था प्रधानाचार्य जी का। छोटा कद, मोटी काया और ऊंची तोंद। मूछें फिल्म वाले नत्थूलाल की तरह। स्वभाव में भी मूंछों की वही ऐंठ। किसी को सेटते नहीं। जाड़ा, गर्मी, बरसात बस एक ही तरह का लिबास। नील से सरबोर धोती, खद्दर का कुर्ता और कभी-कभार सदरी। बांस की लचकती लहकती छड़ी सदैव उनके हाथों की शोभा बढ़ाती। जिसे भी पड़ जाए, कई दिन तक सीधे बैठने लायक न रहता। उनकी छड़ी का आतंक छठवीं से इंटर तक के लड़कों में चहुंदिस व्याप्त था। खैर!

सुंदर ने दबे कदमों कक्ष में प्रवेश किया। अंदर जाते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वह स्तब्ध था। उसने देखा, चंदा की आंखों से गंगा-यमुना की अबाध धारा बह रही है। वह खूबसूरत चेहरा, जो अपनी हंसी और किलक के लिए प्रख्यात है आज किसी श्मशान के उजाड़-सा लग रहा है। वह कुछ समझ पता

उससे पहले ही प्रधानाचार्य और चंदा दोनों की निगाहों ने मिसाइल की तरह उसे निशाने पर ले लिया।

अभी तक वह वार्षिकोत्सव के खयालों में ही उलझा था, लेकिन यहां तो मौसम का मिजाज ही बदला-बदला लग रहा। सुंदर भौचक और भकुवाया कुछ भी समझ नहीं पाया। मगर उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि आज वह किसी बड़ी मुसीबत में है।

गंगाधर पांडेय ने बेहद कड़ी आवाज में संबोधित किया- 'सुंदर! तुमसे यह उम्मीद न थी... इतने शिष्ट और विख्यात परिवार के होकर भी इस प्रकार की हरकत!...यह अक्षम्य है। तुम्हे तनिक भी अपने परिवार की मर्यादा का खयाल नहीं!...'

जिसके बारे में कुछ पता तक नहीं, उसी अनकिए अपराधबोध में सिर से पांव तक डूब कर बदरंग हो चुका सुंदर का सिर जमीन में धंसा जा रहा था। अब तो उसे खुद भी लगने लगा कि किसी सपने में उसने ऐसा कर तो नहीं दिया है। वह मन ही मन खुद को कोस रहा था। न गलती होती, न आज चंदा के सामने बेइज्जत होना पड़ता।

घर की बात अलग है। स्कूल में सुंदर थोड़ा शिष्ट ही रहता। उसने सिर झुकाए हुए ही कहा- 'क्षमा चाहता हूं आचार्य जी, अगर मुझसे कोई भूल हुई तो।... मुझे क्षमा करें, आइंदा ऐसा मौका नहीं दूंगा।'

गंगाधर जी गुर्राए- 'मुझसे नहीं, क्षमा इससे मांगो।' उनका इशारा चंदा की तरफ था।

सुंदर को कुछ भी समझ नहीं आया।

प्रधानाचार्य जी गुस्से में हांफ रहे थे- 'आपको शर्म आनी चाहिए। किसी को रात-दिन फोन करना आपको शोभा देता है?'

सुंदर के तो मानों पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई हो!

फिर क्या था, प्रधानाचार्य जी के इतना कहते ही चंदा भी सुंदर पर टूट पड़ी- 'इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। सुबह-शाम हर वक्त इसके फोन की घंटी बजती ही रहती है।' चंदा इस समय बेहद आवेग में थी- 'और तो और आचार्य जी, यह कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे लिए यही सोचता कि अगर घर का डर न होता और बस थोड़ा ताकतवर होता, तो इन आचार्य जी और उनकी चेलिन की आज बल भर हुंकाई करता, स्कूल के इसी मैदान में दौड़ा-दौड़ा कर, ठीक वैसे ही जैसे आचार्य गंगाधर रोज-रोज विद्यार्थियों की किया करते हैं।

उधर आरोपों का सिलसिला जारी था। आचार्य ने अंतिम ब्रह्मास्त्र फेंका- 'चलो तुम्हारे घर संदेश भेजता हूं।'

अब सुंदर बस एक ही चिंता में डूब गया कि घर पता चला तो क्या होगा? बाबा और मां को तो समझा लुंगा, पर पिता जी? उसके पिता जी एक इंटरमीडिएट कॉलेज में इतिहास के प्रवक्ता हैं। बिना गलती भी झापड़ों की बरसात करते चलते हैं। और यह तो आज साक्षात कुल की प्रतिष्ठा का सवाल है। भला इसमें कैसे कोई कोर-कसर छोड़ देंगे?

एक तरफ प्रधानाचार्य और सारा विद्यालय, तो दूसरी तरफ घरवालों का भय। अब वह चौतरफा परेशानियों में घिर चुका था। इन सारी परेशानियों का कोई कारण भी नहीं। सब कुछ अकारण। न किए अपराध की ऐसी दर्दनाक और जानलेवा पेशी!

आखिर चंदा और आचार्य गंगाधर का आरोप समाप्त हुआ। लंबी लताड़ना के बाद सुंदर को यह कहते हुए विदा किया गया कि- 'यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ करता हूं। जाओ और अब कायदे से रहना।'

सुंदर कमीज की आस्तीन से अपने आंसू पोंछता हुआ प्रधानाचार्य कक्ष से बहार निकला और सिर झुकाए अपनी कक्षा की ओर बढ़ चला।

लंच का समय था। पूरा विद्यालय प्रधानाचार्य कार्यालय के सामने वाले मैदान में जमा होकर यह नजारा देर से देख रहा था। सभी की निगाहें सुंदर की तरफ थी। सब उस पर मुस्करा रहे थे। उपेक्षा और हिकारत की कुटिल मुस्कान!

वह क्लास में जाकर चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया। उस दिन वह पूरे लंच टाइम बस्ते पर सिर रख कर देर तक रोता रहा। उसे शांत करने या समझने-समझाने वाला, जिसे वह मित्र कह सके, ऐसा कोई नहीं। वे भी नहीं, जिनके साथ वह रोज अपना टिफिन साझा करता। सब दूर-दूर मुस्करा रहे लड़कों के झुंड का हिस्सा हो चुके थे। आज पीछे वाली बेंच पर अपनी बेचारगी के साथ वह सबसे अलग और अकेला पड़ा रहा।

आज विद्यालय को एक नया रसिया मिला। सबने मिल कर सुंदर को आवारा घोषित कर दिया। गनीमत कि गंगाधर की कृपा से बाद घर तक न पहुंच पाई। इतनी-सी बात का गंगाधर जी बाद में बहुत दिनों तक एहसान भी जताते रहे।

इस घटना ने सुंदर को भीतर से तोड़ डाला। उसका आत्मविश्वास जाता रहा। अब वह हर रोज आठवीं की फाइनल परीक्षा का इंतजार करने लगा। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। बचे रह गए छह महीने उसे उपहास का पात्र बन कर किसी जोकर की भूमिका में बिताना पड़ा। मित्रों के कटाक्ष और तानों से वह त्रस्त हो चुका था। वह बताता कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सब झूठ। पर लोग भी भला सुंदर जैसे 'सॉफ्ट टारगेट' को क्यों खो दें?

उसने अब जवाब देना भी बंद कर दिया और मुस्कुराकर बात को टाल जाता।

परीक्षा का अंतिम दिन था। परीक्षा खत्म हुई। सुंदर निकला। घृणा से स्कूल की तरफ देखा और निकलते-निकलते गेट पर खखार कर थूक दिया। साधू वहीं बगल में खड़ा था- 'देख के बाबू', साधू ने कहा।

'छह महीने से देख ही रहा था।' सुंदर ने बेफिक्री से कहा और आगे बढ़ गया। जैसे कह रहा हो कि तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा।

आज उसकी साइकिल, जो कभी तूफान की रफ्तार से शहर की सड़कों को रौंदा करती थी, आज उसकी चाल में मैदानी नदी की मस्ती लहरा रही थी। नदी की वह धार सुंदर को कहां ले जा रही है, यह तो वह नहीं जानता था, पर इतना जरूर चाहता था कि वह इतनी दूर जाए, जहां इस कलंक के धब्बे उसे कभी न दिखें। अकारण किए गए उस सामाजिक बहिष्कार की कोई चर्चा तक न रह जाए।

यही सब सोचते सुंदर घर पहुंच गया। आज उसका मूड उखड़ा हुआ था। बाबा को परीक्षा के बारे में बताया और सीधे अपने कमरे में चला गया। एकांत में सुंदर घंटों देर तक रोता रहा।

फिर कई वर्षों बाद एक दिन।

शहर में सुंदर अपनी बाइक को पूरी रफ्तार से भगाता हुआ गुजर रहा था। तभी किसी ने उसे पुकारा। आवाज कुछ-कुछ परिचित-सी लगी। सुंदर ने बाइक की रफ्तार कम की और मुड़ कर देखा, अंगद था। अंगद! जो सुंदर के साथ उसी विद्यालय में उसी की कक्षा में पढ़ता था। सुंदर के साथ ही बेंच पर बैठा करता था। सुंदर अनमने से रुका और सोचते हुए कि जब भी मेरी जिंदगी की गाड़ी रफ्तार पकड़ती है, तो उस विद्यालय की कोई न कोई पापछाया रफ्तार को जैसे रोक दिया करती है।

दोनों कई वर्षों बाद मिल रहे थे। लिहाजा अंगद बातों में मशगूल था, पुराने दिन, पुरानी ढेरों बातों। पर सुंदर बार-बार घड़ी को निहारता रहा। अंगद समझ गया कि सुंदर का मन नहीं लग रहा। 'तो ठीक है सुंदर, फिर कभी इत्मीनान से मिलते हैं।' अंगद ने कहा।

'हां ठीक! अभी मुझे भी कुछ जरूरी काम से जाना है। निकलता हूं।' सुंदर ने कहा।

दोनों एक-दूसरे से हाथ मिला कर जाने लगे, तभी अंगद ने कहा- 'सुंदर...!'

सुंदर ठिठका और पीछे मुड़ा।

'मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है तुमसे...'

'कह दो।' सुंदर अन्यमनस्कता से बोला।

'स्कूल के दिनों में वो चंदा थी न...'

सुंदर का पारा चढ़ गया। उसे लगा कि अंगद आज इतने दिन बाद भी उसका मजाक बना रहा है। अभी इसकी खोपड़ी में चंदा ही अटकी है। 'जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है।' सुंदर का मन हो रहा था कि इसे दो झापड़ लगा दे।

'यार! चंदा को मैं ही फोन किया करता था।' अंगद के स्वर में थोड़ी झिझक, थोड़ा प्रायश्चित भी था। 'आई एम वेरी सॉरी सुंदर...'

सुंदर के पैरों से जमीन खिसक गई। एक बारगी उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जिसके कारण स्कूल के दिनों में उसे इतनी जलालत झेलनी पड़ी थी, मित्र सब छूट गए थे। अध्यापकों की निगाह में गिरना पड़ा। रोज-रोज अपने भीतर न जाने कितनी बार, कितनी मौतें मरनी पड़ी थीं, उन सबका अपराधी आज सामने है, अपने कबूलनामे के साथ।

जी तो यही किया कि सुंदर अभी उसे खून से लथपथ कर दे। जमीन में दफना दे। पर कहा, 'लेकिन यार, मुझे क्यों बता रहे हो। उसके बाप गंगाधर पांडे से बताओ न जाकर।' सुंदर के मन में आया कि इस अंगद को कम से कम एक झापड़ तो दे ही दूं, लेकिन उसने अपने को संयमित किया और मोटर साइकिल को किक मारते हुए कहा- 'इट्स ओके।' ❑

इंद्रधनुष का इंतजार

ललित प्रसंग

सुरेश सेठ

उन्होंने कहा, 'वे मुझे बहस नहीं करने देते।' संसद में बहस करना चाहता हूं, तो उसे बाधित करवा देते हैं। सत्र के बाद सत्र गुजर जाते हैं। बहस नहीं होती। होता है तो केवल हल्ला-गुल्ला। मेजें धपधपाई जाती हैं। कागज फाड़ कर एक-दूसरे पर या स्पीकर महोदया की ओर फेंके जाते हैं। चंद भद्र नेता उग्र हो जाते हैं, सदन के कुएं में जाकर प्रदर्शन के नाम पर तानाकशी करते हैं, बाद में वह गाली-गलौच में बदल जाती है। यह जनता का कीमती समय है। एक मिनट कम से कम अढ़ाई लाख रुपए का। एक मिनट नहीं, पूरा सत्र कोलाहल के बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। किसी ने नहीं सोचा कि जनता के गाढ़े पसीने की कुल कमाई नष्ट हो गई?

अजी नष्ट न होती, तो गरीबों की बस्तियों में इससे कितने स्कूल खुल जाते। भूखे पेटों के लिए न जाने कितना राशन बंटता। लेकिन स्कूल खोलने की चिंता किसे है? इनमें पढ़ना ही कौन चाहता है? जो पढ़ लेता है, वही क्या आसमान में थिगली लगा लेता है। अखबार बोलते हैं- एक चपरासी की नौकरी के लिए आजकल हजारों एमए, बीए कतार लगा देते हैं। नौकरी फिर भी पहुंच के बिस्तर से उठ कर आए साहब के भाई-भतीजों को मिलती है। शेष रद्दी हो गए लोग चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं, 'अरे हमारी हालत पर तरस नहीं खाना, तो इस पर कम से कम बहस ही कर लो। बहस नहीं, तो कम से कम चिंता कर लो। हुजूर आपने तो जनाब अकबर इलाहाबादी साहब को भी झुठला दिया। उन्होंने कहा था- 'हाकिमों को बहुत चिंता है, अपना डिनर खाने के बाद।'

लीजिए साहब! ऐसा तो हुआ नहीं। हाकिमों ने अपना डिनर खा लिया, लेकिन देश के करोड़ों भूखे नंगों की चिंता ही नहीं की। अपना सांसद या विधायक होने का वेतन बढ़वा लिया। अपने लिये पेंशन भी लगवा ली, लेकिन हमारी तो लंगी-लगाई पेंशन कटवा दी। उसका कॉरपस फंड बना कर शेयर मार्किट के रहमो-करम पर छोड़ दिया। कभी सर्वोच्च न्यायालय ने मजदूर संगठनों को फरमाया था- 'पेंशन कोई खैरात नहीं, आपका अधिकार है। आपने उम्र भर जो मेहनत की, उसका स्थगित भुगतान है।'

हाकिम बोले, 'अजी हमने आपका अधिकार कहां नकारा। केवल उसका भुगतान करने का तरीका बदल दिया।' पहले यह सरकारी खजाने से आता था, अब यह निजी निवेशक के व्यवसायिक उतार-चढ़ाव से पैदा होगा। या फिर अधिकतर या सेस के रूप में सामाजिक कोष में योगदान करो, तभी बेचारे वंचितों को पेंशन अदा करें। तुम कर नहीं दोगे, तो उनकी पेंशन रुक जाएगी। आखिर अपनी जेब कटवाओ तो किसी गरीब की फटी हुई जेब सिले। लेकिन वह जेब तो फिर भी सिल नहीं पाई। 'कैग' साहब ने फरमाया, सवाल गंदम जवाब चना। यानी जाते थे

जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। सेस इकट्ठा हुआ गरीब के संरक्षण के लिए, उसे लगा दिया सरकारी नेताओं के बंगलों की मरम्मत या उनकी नई गाड़ियां खरीदने वास्ते। कहीं की ईंट किसी और चौबारे में जा लगी, भानुमती ने कुनबा तो जोड़ लिया, लेकिन गरीब कहता रहा, न हमें ईंट मिली न रोड़ा।

किसान बोला, हमारी फसल खरीद के भुगतान के लिए इकतीस हजार करोड़ रुपए का अनुदान आया। कर्जा बन कर हमारे गले से लटक गया, लेकिन पैसा किसी मद पर खर्च हो गया, 'कैग' महोदय पता कर रहे हैं। लेकिन हे जनता पक्का है कि यह खर्च कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी को लेत देने में ही खर्च हुआ होगा। अब इसकी पस्वाह कीजिए, और हमारा कर्ज माफ कर दीजिए।

लेकिन जनता पूछती है, कर्ज केवल इकतीस हजार करोड़ का नहीं, दो लाख करोड़ से ऊपर है। वहां केवल धरती पुत्र ही अस्सी हजार करोड़ रुपए का कर्जदार हो गया। आप उसे फिलहाल पंद्रह सौ करोड़ रुपए के भुगतान से बहलाना चाहते हैं। लेकिन इसकी कर्जमाफी की चिट्ठियां भी अभी लालफीताशाही की भेंट चढ़ रही हैं। हां, कर्जदारों ने फिलहाल सहकारी बैंकों को अपनी कर्जमाफी की किस्तें चुकानी बंद कर दी। उसके खाते मृत होते चले गए, बैंकों के ढांचे धराशायी हो रहे हैं।

जनता पूछती है कि यह कैसा डिजीटल इंडिया? यह कैसा महाजनी सभ्यता से छुटकारा? लेकिन इसके सहकार शून्य में उभरती चीखों से अधिक रुतबा नहीं पाते। क्योंकि उनके सांसदों और विधायकों ने सदन के प्रश्नकाल में ऐसे प्रश्न पूछने पर कीमत टैग लगा दिए हैं। जब ऐसे धपले बेनकाब होने लगें, तो पूरे के पूरे प्रश्नकाल को ही शोर-शराबे के दरिया में बहा दिया गया। देखो, अब पंद्रह मिनट बहस करने की चुनौतियां दी जा रही हैं। सरकारी नेता कहते हैं कि हमें संसद में बोलने नहीं देते, इसलिए हम जनता की अदालत में बोलते हैं। विपक्ष के नेता कहते हैं कि वे लोग इसलिए नहीं बोलते कि उनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं। अब बेचारी जनता क्या करे? जनता की चिंता यह नहीं कि नेतागढ़ पढ़े-लिखे हैं या बिना पढ़े जुमले फेंकते हैं, उन्हें चिंता है कि उन्हें इन जुमलों के युद्ध की जगह रोटी कब मिलेगी? रोजगार की उम्मीद कब पूरी होगी? लेकिन जुमलों के युद्ध के तमुलनाद में ऐसे सवालों के जवाब नहीं होते। आप संविधान दिवस मना लीजिए, लोकतंत्र को सिर नवा लीजिए, ऐसे-ऐसे आरोप लगाइए कि जो गद्दी पर बैठा उसने लोकतंत्र का अपहरण कर लिया। अब उसे हटा कर हम लोकतंत्र को सीधी पटरी पर डालेंगे। लेकिन उनसे कोई नहीं कहता कि प्यादे से फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाव। लकीर टेढ़ी हो या सीधी, नतीजा तो वह निकले कि भूखे पेट अपने पेट पर तबला बजाना बंद करें, उनके पेट की अंतड़ियां पीठ से न सटें, उनके चेहरों पर मुस्कान लौटे और वे अपनी निस्तेज आंखों से आकाश के रंगों को यों थामना शुरू कर दें कि उन्हें अपने इर्द-गिर्द इंद्रधनुष खिलते हुए लगें। लेकिन ऐसा होता नहीं, केवल एक प्रश्न गूंजता रहता है कि यह इंद्रधनुष खिंतिज पर खिलने से पहले ही टूट क्यों गया और लोग सपने देखने से पहले ही शर्मिंदा क्यों महसूस करने लगे? ❑

दांपत्य जीवन और योग

योग दर्शन

डॉ. वरुण वीर

भारतीय संस्कृति में दांपत्य जीवन को चार आश्रमों का आधार बताया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन को चार भागों में बांट देते हैं, ताकि जीवन के लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की सिद्धि हो सके। वास्तव में चारों आश्रमों में सुख, आनंद तथा तपस्या है। पर गृहस्थ आश्रम सबसे प्रमुख इसलिए है कि पूरा समाज उसी पर आश्रित होकर चलता है। आज इस आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति के चारों आश्रम बिखर चुके हैं और सबसे अधिक हानि गृहस्थ आश्रम की हुई है। आज दांपत्य जीवन पूरी तरह चरमराता दिखाई देता है। आज से लगभग पच्चीस वर्ष पहले तक भी भारतीय परिवार सुख पूर्वक संगठित होकर रहते थे, लेकिन कुछ ही समय में भारत में इतना तेजी से परिवर्तन हुआ कि परिवार टूटते जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। अर्थ और काम की अंधी दौड़ में आज का युवा बहुत तेजी से भाग रहा है और 'एक्सपेरिमेंट' के नाम पर वह बड़े से बड़ा जोखिम उठाने लगा है। यहां तक कि परिवर्तन तथा 'एक्सपेरिमेंट' के नाम पर एक ही समय में अनेक स्त्रियों या फिर पुरुषों से संबंध बनाने में भी नहीं हिचकिचाता है, जो कि दांपत्य जीवन को तोड़ने का बड़ा कारण है। अत्यधिक कामवासना या फिर बिल्कुल ही काम रहित होना, दोनों ही बड़ी समस्याएं हैं। कई लोग मुझसे सलाह लेने आते हैं कि योग किस प्रकार से दांपत्य जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकता है।

मैं हमेशा यही कहता हूं कि संतुलन तथा धैर्य ही दांपत्य जीवन को सुखी बना सकता है। व्यवहार, आचरण, भोजन, निद्रा, व्यायाम तथा रतिक्रिया में संतुलन की बहुत आवश्यकता है। आपका व्यवहार आपकी पत्नी के प्रति विनम्र तथा सम्मानजनक होना चाहिए, पत्नी के शारीरिक तथा मानसिक कष्ट को दूर करने वाला हो न कि कष्टकारी। आचरण में सत्य तथा घर के काम में सहयोगी हो, भोजन पौष्टिक तथा कम मात्रा वाला तथा नींद में कमी नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम और योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान करना जरूरी है और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रति क्रिया यानी सेक्स में संतुलन होना जरूरी है। अत्यधिक काम वासना या अत्यधिक काम में नीरस व्यक्ति स्त्री के लिए अत्यधिक दुखदाई होते हैं। आज के समय में इंटरनेट पर होने से सेक्स के भी अलग-अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करना एक फैशन हो गया है, जिसमें सबसे खतरनाक अप्राकृतिक मैथुन है, जिसे एनालसेक्स कहा जाता है। विशेष रूप से मानसिक रूप से परेशान या डिस्टर्ब व्यक्ति इसे अपनाता है, जो कि स्त्री के लिए अत्यधिक कष्टकारी ही नहीं अनेक रोगों को देने वाला भी होता है। इस समस्या के कारण आज अनेक घर टूट रहे हैं। जिस पुरुष को इसकी आदत हो जाती है वह सामान्य सेक्स करने में रुचि नहीं रखता और बहुत ही कम स्त्रियां ऐसी होती हैं जो इस कष्ट को सहन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बिल्कुल विपरीत सेक्स में नीरस पुरुष स्त्री को संतुष्ट न कर पाने के कारण उसको छोड़ देती है। दोनों ही स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सेक्स में भी धैर्य और संतुलन की आवश्यकता है। ठीक प्रकार से योग, आसन, प्राणायाम करने से हम दोनों समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं तथा गृहस्थ जीवन को प्रेम पूर्वक चला सकते हैं।

आज जो स्त्री पुरूष अपना कैरियर बनाने के कारण देर से शादी करते हैं उन पर अनेक नकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से स्त्री पर पड़ते हैं। देर से शादी, फिर देर से गर्भधारण करना और बच्चों को पालना-पोसना यह सभी काम युवावस्था में आसानी से हो जाते हैं, अन्यथा तीस वर्ष से ऊपर की उम्र में बच्चे को जन्म देना, पालना अधिक तपस्या का काम हो जाता है। मुख्य रूप से दांपत्य जीवन सुखी तभी हो सकता है जब संस्कारों को महत्त्व दिया जाए। मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य मानव निर्माण करना भी है। पुरुष का वीर्य और स्त्री के रज के मिलन से ही संतान का निर्माण होता है। जैसे संस्कार माता-पिता के होंगे, वैसी ही संतान उत्पन्न होगी।

यहां पर दो धारणाएं हैं एक वंशानुगत, दूसरी पर्यावरणवादी। वंशानुगत सिद्धांत को मानने वाले विद्वान संस्कारों में परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है जैसे संस्कार माता-पिता के होते हैं वैसी ही संतान पैदा होती है। मगर पर्यावरणवादी मानते हैं पर्यावरण द्वारा संस्कारों को बदला जा सकता है। पर भारतीय संस्कार प्रणाली इस बात से इनकार नहीं करती है कि माता-पिता के रज-वीर्य से ही संतान का निर्माण होता है और इस बात से भी इनकार नहीं करती है कि पर्यावरण का संतान निर्माण में भारी योगदान है। यही कारण है कि भारतीय ऋषियों ने इसे दो भागों में बांटा है। प्रथम कोटि के वे संस्कार हैं, जो संतान के निर्माण में तब किए जाते हैं जब वह माता के पेट में होता है। इन्हें गर्भस्थ संस्कार कहा जाता है। दूसरी कोटि के संस्कार हैं जिन्हें जन्मस्थ संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमंतोनयन गर्भावस्था के संस्कार हैं। उपनयन, ब्रह्मचर्य आदि जन्म लेने के बाद के संस्कार हैं।

गाल्टन (1822-1911) का मत है कि माता-पिता के वीर्य में एक ऐसा तत्व, जो शरीर तथा मन के गुणों को लेकर संतान में पहुंचता है, जिससे कि संतान में माता-पिता के गुण पहुंच जाते हैं। इसे उसने उत्पादक कोष्ठों का तत्व नाम दिया है। गाल्टन का कहना है कि यह तत्व ज्यों का त्यों बना रहता है, तभी तो यह संभव है कि कभी-कभी अपने माता-पिता से इतना नहीं मिलता, जितना कि अपने दादा से मिलता है।

डॉक्टर नेफाख, जो सोवियत अकादमी ऑफ साइंस विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं, का कहना है कि जीव विज्ञान संबंधी अनुसंधानों द्वारा मानवीय निर्माण कला की आधारशिला रखी जा चुकी है, जिसके आधार पर उच्च कोटि के मानव का निर्माण क्रियात्मकता के क्षेत्र में आ गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्पादक कोष्ठ में से उत्पादक तत्व निकाल कर उसने दूसरे 'न्यूक्लियस' में डाला जा सकता है।

हमारा संस्कार विधान दोनों विचारों का समावेश है। एक ही माता-पिता के दो बच्चों का जीवन अलग तरीके का होता है और दोनों बच्चों का स्वभाव तथा संस्कार भी अलग-अलग तरह के होते हैं। यह पिछले जन्म के संस्कार के कारण होता है। माता-पिता के संस्कार ही नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के संस्कार भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए योग संस्कार पद्धति का उद्देश्य पिछले जन्म तथा वर्तमान जन्म के कुसंस्कारों तथा इस जन्म में मिले माता-पिता द्वारा कुसंस्कारों तथा सामाजिक परिस्थिति और पर्यावरण से प्राप्त होने वाले कुसंस्कारों को नष्ट कर स्वस्थ और चरित्रवान मानव का निर्माण किया जा सके। योग के सिद्धांत का पालन उत्तम संतान की प्राप्ति करने के लिए बड़ा ही लाभकारी है।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष तप, स्वाध्याय, तथा ईश्वर प्राणीधान सभी प्रकार के कुसंस्कारों को नष्ट कर ईश्वर की अनुभूति करवाते हैं। योग को जीवन में अपना कर जीवन को सुखी, स्वस्थ बनाया जा सकता है, अन्यथा आज वर्तमान युग में हिंसा, कलह, अहंकार, प्रतिस्पर्धा पति और पत्नी के बीच में इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि तलाक का प्रतिशत दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जीवन में पति-पत्नी दोनों को एक-दूसरे के सुख, स्वास्थ्य तथा प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए। दोनों को आसन, प्राणायाम तथा ध्यान प्रतिदिन ईश्वर भक्ति के साथ करना चाहिए, तभी दांपत्य जीवन का सुख तथा संस्कार उत्तम संतान का निर्माण कर सकेंगे। ■

श्रीनिवास रामानुजन

जन्म : 22 दिसंबर, 1887
निधन : 26 अप्रैल, 1920

श्रीनिवास रामानुजन महान भारतीय गणितज्ञ थे। उन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। उनका जन्म मद्रास प्रेसीडेंसी के इरोड में तमिल परिवार में हुआ था। 1 अक्तूबर, 1892 को रामानुजन का दाखिला कांचीपुरम के स्थानीय स्कूल में करा दिया गया था। पर नाना के नौकरी छोड़ने के कारण रामानुजन अपनी मां के साथ कुंभकोणम चले आए और उनका दाखिला कंगायन प्राइमरी स्कूल में कराया गया। 1897 में रामानुजन ने प्राथमिक परीक्षा में जिले में अव्वल स्थान हासिल किया। ग्यारह साल की उम्र में उन्हें कॉलेज स्तर के गणित का ज्ञान हो गया था। स्कूली शिक्षा के दौरान ही उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट और अकादमिक पुरस्कार मिल गए थे। 1902 में रामानुजन ने बताया कि क्यूबिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है और उन्होंने चतुर्घात समीकरण हल करने का सूत्र खोज निकाला।

1903 में रामानुजन ने दसवीं की परीक्षा पास की। बारहवीं की परीक्षा में वे गणित को छोड़ कर अन्य सभी विषयों में फेल हो गए। दिसंबर, 1906 में रामानुजन ने स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में बारहवीं की परीक्षा दी, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।

शख्सियत

शोधपत्र ने दिलाई शोहरत

1909 में रामानुजन की शादी हो गई। नौकरी ढूंढ़ने के दौरान वे कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आए। नेल्लोर के कलेक्टर और 'इंडियन मैथमैटिकल सोसाइटी' के संस्थापकों में से एक रामचंद्र राव भी उनमें से एक थे। राव के साथ उन्होंने एक साल काम किया। इसके लिए उन्हें पचीस रुपए महीना मिलता था। इस दौरान उन्होंने 'इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी' के जर्नल के लिए प्रश्न और उनके हल तैयार करने का काम किया। 1911 में बनोर्ली संख्याओं पर प्रस्तुत शोधपत्र से इन्हें शोहरत मिली। 1912 में उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के लेखा विभाग में क्लर्क की नौकरी मिल गई।

कैंब्रिज का न्योता

मद्रास के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर सीएलओ ग्रिफिक्स ने रामानुजन के शोध पत्र गणित विद्वानों को भिजवाए। प्रोफेसर हार्डी इस पत्र से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामानुजन को कैंब्रिज आने का न्योता भेज दिया। मार्च, 1914 में जब रामानुजन लंदन पहुंचे, तो उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश मिला। इंग्लैंड में रह कर बहुत थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी धाक जमा ली। 1916 में रामानुजन ने कैंब्रिज से बीएससी की डिग्री ली। इसी दौरान रामानुजन और हार्डी का काम गणित की दुनिया में सुर्खियां बनने लगा था। रामानुजन के लेख मशहूर पत्रिकाओं में छपने लगे थे। 1918 में रामानुजन को कैंब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी तथा ट्रिनिटी कॉलेज, तीनों का फेलो चुना गया। रामानुजन के शोध प्रबंध का सार जर्नल ऑफ लंदन मैथेमेटिकल सोसाइटी में पचास पृष्ठों में विस्तार से छापा गया।

कार्य और उपलब्धियां

रामानुजन ने खुद से गणित सीखा था। उन्होंने अपने जीवन में गणित के 3,884 प्रमेयों का संकलन किया था। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध हो चुके हैं। उन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनसे प्रेरित शोध आज तक हो रहे हैं।

भारत सरकार ने श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस यानी 22 दिसंबर को 'राष्ट्रीय गणित दिवस' घोषित किया।

निधन : रामानुजन को लंदन में क्षय रोग ने घेर लिया। उस समय क्षय रोग का कारगर इलाज उपलब्ध नहीं था, जिसके चलते इनका स्वास्थ्य दिन-ब-दिन गिरने लगा और 27 फरवरी, 1919 को उन्हें भारत लौटना पड़ा। अंततः तैंतीस वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। ■

मटर के हरियाले व्यंजन

भोजन में हरे मटर का आकर्षण तो वर्ष भर बना रहता है, पर सर्दी के मौसम में इसका जायका कुछ अलग ही होता है। इसलिए कि जो चीज जिस मौसम में पैदा होती है, उसमें उसे खाने का मजा ही अलग होता है। यह हरे मटर का मौसम है। सब्जी के रूप में मटर तो अक्सर खाया जाता है, पर इसके बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। हरे मटर की दाल का स्वाद लाजवाब होता है, पोहे में इसके दाने स्वाद चौगुना कर देते हैं। इसी तरह के मटर के कुछ व्यंजनों के बारे में इस बार चर्चा करेंगे।

दाना-पानी

मानस मनोहर

मटर के पराठे

हरे मटर में फाइबर की मात्रा अन्य दालों की अपेक्षा अधिक होती है, प्रोटीन तो होती ही है। इसलिए यह न केवल स्वाद, बल्कि सेहत की दृष्टि से भी लाजवाब होता है। हरे मटर की सब्जी तो हर कोई खाता है, कुछ लोग दाल भी बना लेते हैं। कुछ लोग हलवा और बर्फी भी बनाते हैं। मगर हरे मटर के पराठे लाजवाब बनते हैं। सुबह नाश्ते में या फिर किसी भी वक्त भोजन के तौर पर इसे खाया जा सकता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान में मटर के पराठे खाने का खूब चलन है।

हरे मटर के पराठे बनाना बहुत आसान है। कुछ लोग इसका मसाला तैयार करने के लिए मटर के दानों को उबाल लेते हैं। पर चूंकि मटर में पानी की मात्रा पहले से होती है, इसे उबालने पर अपेक्षित स्वाद नहीं आ पाता। हरे मटर के पराठे बिल्कुल देसी अंदाज में बनाएं, तो इसका मजा बढ़ जाता है।

मटर के दाने निकाल कर एक बार पानी से धोकर ठीक से साफ कर लें। फिर कड़ाही में एक चम्मच तेल गरम करें। उसमें राई, जीरा, सौंफ, साबुत धनिया और अजवाइन का तड़का दें और मटर के दाने छौंक दें। थोड़ा-सा नमक डालें और ढंक कर पांच मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएं, ताकि मटर के दाने नरम हो जाएं।

कड़ाही से मटर को निकालें और खरल में, सिलबट्टे पर या चकला-बेलन की मदद से कुचल लें। ध्यान रखें कि इसे मिक्सर में न पीसें, नहीं तो इसका देसी स्वाद नहीं आएगा। मटर के कुछ दाने दिखते रहते हैं, तो पराठे खाने का आनंद बढ़ जाता है।

अब इसमें धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक और चाहें तो कुछ लहसुन की कलियां भी महीन काट कर डाल सकते हैं। फिर ऊपर से सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और जरूरत भर का नमक डालें और सारी चीजों को मिला लें। नमक का ध्यान रखें, क्योंकि मटर को पकाते समय भी डाला था। इस तरह पराठे की पिट्ठी तैयार हो गई।

अगर मटर को उबालते या पहले पीस कर पकाते हैं, तो स्वाद सही नहीं आ पाता। जब मटर को पहले छौंक कर पकाते हैं, तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है।

अब आटे की लोइयां बनाएं और जैसे आलू के पराठे बनाते समय भरावन भरते हैं, वैसे ही मटर की पिट्ठी भर लें और गरम तवे पर डाल कर मध्यम आंच पर थोड़ा-घी लगाकर सेंकें। मटर के पराठे फूले-फूले बनें, इसके लिए भरावन भरने में सावधानी बरतनी पड़ती है। फिर बेलते समय पहले लोई को चकले पर रख कर हल्के हाथों से बीच से किनारों की तरफ दबाते हुए फैलाएं। ध्यान रखें कि पराठा कहीं से भी फटने न पाए। अब बेलन घुमा कर बेल लें। इस तरह जब पराठे को पकाएंगे, तो वह फूला-फूला बनेगा। फिर वह भीतर से नरम और बाहर से कुरकुरा भी बनेगा। पराठे पकाते समय आंच को तेज नहीं रखनी चाहिए, इससे पराठे ठीक से पकते नहीं और ऊपर से जल जाते हैं।

मटर के पराठे आलू-गोभी की सब्जी या फिर रायता, अचार, धनिए की हरी चटनी या फिर सॉस, किसी के भी साथ खाएं।

चिड़वा मटर

पोहे में मटर तो सभी डालते हैं, पर बिहार और उत्तर प्रदेश में चिड़वा मटर की नमकीन कुछ अलग ढंग से बनती है और यह बहुत लोकप्रिय भी है। इसे बनाना बहुत आसान है। इतना आसान कि मेहमान आएं तो झट-पट बना कर परोसा जा सकता है।

चिड़वा मटर बनाने के लिए एक साथ दो कड़ाहियों का इस्तेमाल करें। दोनों में एक-एक चम्मच तेल गरम करें। एक कड़ाही में जीरा, राई, अजवाइन का तड़का दें और उसमें अच्छी मात्रा में लेकर मटर के दानों को छौंक दें। इसमें थोड़ा सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल कर मिलाएं और ढक्कन लगा कर धीमी आंच पर पकने दें।

दूसरी कड़ाही में चिड़वा यानी पोहे डालें और फिर चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल कर मध्यम आंच पर तब तक चलाते हुए सेंकें, जब तक कि वह कुरकुरा न हो जाए। पहली कड़ाही में मटर का ध्यान रखें, वह पक कर नरम हो जाए और उसका पानी पूरी तरह सूख जाए, तो आंच बंद कर दें। चिड़वा पर ध्यान दें। उसका रंग हल्का सुनहरा होने लगे, तो समझें कि वह खाने के लिए तैयार है। अब इसमें तले हुए मटर के दाने डाल कर अच्छी तरह मिला लें।

गरमा-गरम प्लेटों में डालें और ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज डालें, चाहें तो मुट्ठी भर बेसन के सेव भी डाल सकते हैं। गरमा-गरम परोसें। यह चाय के साथ खाया जाने वाला बेहतरीन नमकीन होता है। इसे खाकर भरपूर नाश्ता हो जाता है। ■

गहरी नींद लें और स्वस्थ रहें

सेहत

जिस तरह दिनभर काम करके रात में नींद से शरीर को आराम और ऊर्जा मिलती है ठीक उसी तरह नींद से शरीर के आंतरिक अंगों को भी आराम मिलता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए नींद बहुत जरूरी है।

आमतौर पर माना जाता है कि छह से आठ घंटे की नींद काफी होती है। वहीं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. राजेश बत्रा का कहना है कि इन छह से आठ घंटों में भी डेढ़ से चार घंटे नींद के ऐसे होते हैं जिसमें बहुत गहरी नींद होती है और वही नींद शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

दिनभर सोने की आदत

कई लोगों को बार-बार या बेवक्त सोने की आदत होती है। ऐसा करना ठीक नहीं है और इस आदत को जितनी जल्द हो सके बदल देना चाहिए। कारण कि ऐसा करने से चयापचय दर प्रभावित होता है। चयापचय दर के बिगड़ने से शरीर में हॉर्मोन का असंतुलन होने लगता है, जिससे चिड़चिड़ापन, स्वत चाप, सिर में दर्द होने लगता है। साथ ही इससे न्यूरोसिस्टम और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ने लगती है।

हल्की झपकी

जो लोग ज्यादा शारीरिक श्रम या फिर ज्यादा मानसिक कार्य करते हैं वे दोपहर में दस से बीस मिनट की हल्की झपकी ले सकते हैं। दस से बीस मिनट की झपकी से उनके शरीर को आराम मिलता है और शरीर की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन लंबी नींद नहीं लेनी चाहिए।

ज्यादा नींद की समस्या

कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का पेट उसकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है इसलिए हमें हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। लेकिन कई लोगों को ज्यादा खाने (ओवरइटिंग) की आदत होती है। ज्यादा खाने की वजह से ऐसे लोगों को ज्यादा नींद आती है और वे हर समय सुस्त नजर आते है। वही नहीं ज्यादा सोने से शरीर का वजन भी बढ़ जाता है। जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्युनिटी) बहुत कमजोर हो जाती है या जो लोग शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते है उनमें भी ज्यादा नींद की समस्या देखी गई है।

अच्छी नींद के लिए अच्छी आदत

नींद का संबंध हमारी आदतों से है। जैसी हम आदत विकसित करते हैं हमारा शरीर उसी तरह काम करने लगता है। मान लिजिए कि आपने छह घंटे की नींद की आदत डाली तो आपके लिए छह घंटे की नींद काफी है। अगर आपने दिन में सोने की आदत डाली तो शरीर दिन में सोना चाहेगा। ऐसे में अगर आप कभी नहीं सो पाते तो शरीर में भारीपन लगेगा, सिर में दर्द, उबकाई और मन चिड़चिड़ा हो सकता है।

देर तक जगने से लगती है भूख

कई लोगों को देर रात तक जगने और मध्य रात्रि में भी खाने की आदत होती है। कारण कि आयुर्वेद के अनुसार चार-चार घंटे के अंतराल पर पित्तकाल शुरू होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति देर रात तक जागता है या बारह बजे तक जागता है तो पित्तकाल शुरू हो जाता है और उसे भूख लग जाती है। मध्य रात्रि के बाद या रात में बार-बार खाने से नींद के साथ-साथ वजन भी प्रभावित होता है।

समय पर सोएं और समय पर जागें

अगर सोने के समय पर सोएंगे नहीं और जागने के समय पर सोते रहेंगे तो शरीर का पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती जाएंगी। यही नहीं इसका असर तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के कार्य प्रणाली पर भी पड़ेगा। इसलिए समय पर सोना और समय पर जागना जरूरी है।

संतुलन बनाकर रखें

बहुत ज्यादा सोना ठीक नहीं है लेकिन बहुत कम सोना भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं और रात जाग कर ही बिता देंगे तो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा और वे असंतुलित हो जाएंगी। इससे शरीर में कई सारी बीमारी पैदा हो सकती हैं, इसलिए छह से आठ घंटे की नींद जरूर लें।

नींद की एक आदत है जरूरी

मेट्रों शहरों में कई लोग पाली यानी शिफ्ट में काम करते हैं। ऐसे लोगों को कभी दिन में तो कभी रात में काम करना पड़ता है जिससे उनकी नींद प्रभावित होती है। नींद की कोई एक आदत यानी रात को सोना है या फिर दिन को सोना है को विकसित नहीं कर सकने के कारण वे कई सारी शारीरिक व मानसिक समस्याएं के शिकार हो जाते हैं। देखा गया है कि नींद पूरी नहीं होने के कारण ऐसे लोगों में तनाव का स्तर काफी बढ़ जाता है। साथ ही उनकी पाचन शक्ति और प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ जाती है।

रात का खाना हो हल्का

नींद का एक संबंध हमारे खाने से भी है। अगर आप रात में पेट भर या ज्यादा खाते हैं तो हो सकता है कि आपको नींद ज्यादा आए या फिर आपकी नींद ही उड़ जाए। इसलिए रात में हमेशा हल्का खाएं जैसे कि सूप, दलिया या फिर सलाद।

अच्छी नींद के लिए पौष्टिक, संतुलित और प्राकृतिक आहार (कच्ची सब्जियां, फलों का रस, सब्जियों का रस और अंकुरित अनाज) लें। समय पर सोएं और समय पर जागें। योग, कसरत या फिर पार्क में सैर करें। अच्छी नींद के लिए किसी भी तरह की शारीरिक क्रिया का करना जरूरी है। ■

सर्दी और बेशुमार स्टाइल

हम भारतीय हर क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन को तरजीह देते हैं। फिर चाहे बात कपड़ों की ही क्यों न हो। गर्मी आते ही सर्दी और बारिश के कपड़े बक्सों, ट्रंक या दीवानों में रख दिए जाते हैं। या यूं कहें कि मौसम के मुताबिक कपड़ों की उठापटक चलायमान रहती है। बावजूद इसके कई बार मन ही नहीं करता अपनी प्यारी साड़ी और खूबसूरत-सी ड्रेस को बक्से में रखने का। लेकिन क्या करें सर्दियां जो हैं। कैसे पहनें इन्हें, इसी बारे में बता रही हैं दीप्ति अंगरीश।

सब ने अब तक गर्मी के कपड़ों की गठरी बनाकर बक्से में रख दिया होगा। यकीनन अभी तक आपने अपने लिए सर्दी की तैयारी नहीं की होगी। यह आपका नहीं, हर महिला का हाल है। कारण गर्मियों में पहने जाने वाले विविध कुर्तों, रंग-बिरंगी धोती पैंट, प्लाजो पैंट, साड़ी आदि से बेपनाह लगाव जो होता है। इतना मन नहीं मसोसिए। इस सर्दी आप गर्मी वाले कपड़ों को सर्दी वाले स्टाइल के साथ पहन सकेंगी। हम जानते हैं कि आपको पारंपरिक और पश्चिमी कपड़ों को पहनना बहुत पसंद है, पर सर्द हवाओं के कारण भारतीय परिधानों को अलविदा नहीं कहना चाहतीं। तो आइए जानते हैं कैसे गर्मी वाले कपड़ों में शॉल, जैकेट, पोंचो, बूट्स आदि की गर्माहट पाएं।

ट्रेंच कोट

आपको साड़ी पहननी है, लेकिन ठिठुरन में इसे पहनने से परहेज करती हैं तो इसका विकल्प है ट्रेंच कोट। यानी साड़ी के ऊपर पहने जाने वाला लंबा कोट। इस कोट की लंबाई जांघों तक होती है। जहां यह कोट आपको गर्माहट देगा, वहीं साड़ी का सुंदर मेकओवर भी करेगा। यदि आपके पास ट्रेंच कोट नहीं है, तो जल्द इसे फैशन स्टोर से खरीद लें। इसे किसी ब्रांड से लें या लोकल दुकान से इसकी कीमत लगभग 1500 रुपए से आरंभ होती है। यह सर्दी की उम्दा वार्डरोब वाली निवेश होगी। कारण इसे साड़ी के अलावा किसी भी पोशाक पर पहन सकती हैं।

हील बूट्स

हमेशा की तरह इस सर्दी भी आप कैनवस के जूते के अलावा शू-रैक में लॉन्ग बूट्स भी रखें। इनमें स्टाइलिंग की विवधता है, जैसे- एड़ी से लेकर पिंडली की लंबाई तक, हील में विविधता (वॉक्स हील, समतल हील, सेमी प्वाइंटेड हील आदि)। सबसे खास है कि यह बूट्स जींस व जेगिंग के अलावा साड़ी, धोती सलवार, प्लाजो के साथ भी फबते हैं। क्यों हैं न ये कमाल के बूट्स, जो देसी कपड़ों में विदेशी जलवा बिखेरते हैं। लगभग सभी ब्रांड में हील बूट्स की कीमत 2000 रुपए से शुरू होती है।

ब्लाउज की जगह स्वेटर

आपको इस जाड़े में कई शादियों में शरीक होना है और आप साड़ी पहनने से परहेज कर रही हैं। कारण ठंड में ब्लाउज से बचती हैं। ऐसे में ब्लाउज की उम्दा और स्टाइलिश विकल्प है कार्डिगन या बंद गले का चुस्त स्वेटर। यह आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश लुक देता है। इसे साड़ी के रंग से कंट्रास्ट करें और चांदी के आभूषणों, ट्राइबल गहनों के साथ पहनें। यह है सर्द मौसम में साड़ी पहनने का निराला तरीका। अमूमन इन चुस्त स्वेटरों की कीमत 750 रुपए से आरंभ होती है।

पैंट्स, सलवार, प्लाजो के साथ ऊनी लेगिंग

कड़कड़ती ठंड में पैरों को गर्माहट देती है ऊनी लेगिंग्स, पर इसे नहीं पहनने के कई कारण हैं आपके पास। इनमें प्रमुख हैं ऊनी लेगिंग्स में थुलथुली व मोटी दिखते पैर और सिगरेट पैंट, धोती पैंट्स, सलवार और प्लाजो पैंट से बेपनाह लगाव। ऐसे में आप गर्मी के सलवार वाले विकल्पों को पहनिए, लेकिन इनके साथ ऊनी लेगिंग्स पहनकर। ऊनी लेगिंग्स के साथ ये स्टाइलिंग टिप अपनाएं, त्वचा की रंग से मेलखाती लेगिंग ले, इन्हें मोड़कर पहनें, ताकि ऊनी लेगिंग्स नजर नहीं आएं। इसे साधारिक बाजार में मात्र 350 रुपए में खरीदा जा सकता है। ध्यान रहे कि ऊनी लेगिंग्स में खिचांव वाला फैब्रिक (लाइक्रा) जरूर हो, ताकि हिलने-डुलने, चलने-फिरने में दिक्कत नहीं हो।

लैदर जैकेट

आप सबसे जुदा दिखाना चाहती हैं, तो अभिनेत्री सोनम कपूर से स्टाइलिंग टिप्स लें। इनके हर देसी लिबाज में विदेशी तड़का होता है। सोनम का यह स्टाइल काफी पसंद किया जाता है। इस सर्दी आप भी इसे अपनाएं। यकीनन यह आपको भी भाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ेगी लैदर जैकेट की। करना सिर्फ इतना है कि भारी कढ़ाईदार कपड़ों या साड़ी के ऊपर लैदर जैकेट पहन लें। सोनम कपूर का यह लुक आपके लुक में नया स्वैग बिखेरेगा। आपको लेदर जैकेट के लिए 3000 रुपए से अधिक तक जेब ढीली करनी होगी।

शॉल बनाम दुपट्टा

अब शॉल उबाऊ व नीरस नहीं रहे जैसे हमारी माएं पहनती थीं। इनमें फैशन डिजनायरों ने बुहतायत में नयापना भरा है। यही वजह कि इसमें व्यापकता की भरमार है। ये हर रंग, भिन्न-भिन्न कढ़ाई, सितारा वर्क, मिरर वर्क आदि में उपलब्ध है। आप सलवार-सूट के साथ दुपट्टे की जगह शॉल लें। इसके अलावा शॉल को साड़ी के दूसरे पल्लू के रूप में भी पहना जा सकता है। इन डिजायनर शॉल की कीमत लगभग 1500 रुपए से शुरू होती है।

साड़ी पल्लू को स्कार्फ बनाएं

सर्दी में भी आप साड़ी पहनना पसंद करती हैं, तो यह स्टाइल टिप आपको जरूर लुभाएगी। साथ ही ये आपको गर्माहट का अहसास भी देगी। इसके लिए साड़ी पहनने के बाद पल्लू को गर्दन में स्कार्फ की तरह लपेट लें। साड़ी पहनने का यह तरीका आपको जुदा और आत्मविश्वासी दिखाएगा। इस लुक के लिए आपको जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ेगी। यदि ठंडी हवाएं तेज चल रही हैं, तो स्कार्फ वाली साड़ी के ऊपर ट्रेंच कोट, क्विल्टिड-फोम जैकेट या कार्डिगन पहनें। यकीनन आपकी यह लुक सबसे जुदा लेगगी। अजी, अपनाइए तो सही।

भागलपुरी पैंट्स पहनिए

मौसम के मुताबिक पहनावे में फेर बदल लाना नितांत आवश्यक है। कारण यह आपको फैशनेबल और समय के साथ चलने वाला दिखाएगा। अन्यथा एक जैसा पहनावा नीरसता लाएगा। नतीजतन आपके काम में झलकेगी नकरात्मकता। वैसे तो इस मौसम में आप कुर्ते व अनारकली सूट के साथ ऊनी लेगिंग्स पहनती हैं। आपने चूड़ीदार, प्लाजो पैंट या सिगरेट पैंट को अलमारी के निचले दराज में रख दिए होंगे, लेकिन सर्दी में इनका बेहतरीन विकल्प है भागलपुरी पैंट्स। यह बने-बनाएं मिलते है। इसके अलावा दर्जी से भी सिलवा सकते हैं। बता दें कि भागलपुरी पैंट्स स्ट्रेट फिट पैंट होते है, जिसमें बारीक डिजाइन और फूल-पत्ती वाला डिजाइन आता है। यह कपड़ा गर्म और लचीला होता है। कई ऑनलाइन स्टोर्स में भागलपुरी पैंट्स की कीमत 1700 रुपए के आसपास है।

जैकेट स्टाइल में अनारकली व लहंगा

सर्दी में शादी में शरीक होना है, तो गर्माहट देता हुआ कुछ स्टाइलिश पहनें। इसका एक उम्दा विकल्प है अनारकली व लहंगा सूट के साथ बंदगला जैकेट। इस जैकेट में मखमल या सिल्क का कपड़ा मुफीद रहता है। यह जैकेट ऑनलाइन व ऑफलाइन बाजार में उपलब्ध है। इसकी कीमत 1700 रुपए प्रारंभ होती है।

कार्डिगन या पुलोवर के साथ प्लाजो

आप गर्मी की तरह सर्दी में भी प्लाजो पहनिए। बस, एक जुगत के साथ। गर्मी वाली कुर्ती की जगह स्टाइलिश कॉर्डिगन व पुलोवर। इनमें कट्स, स्टाइल, पैटर्न की भरमार है बाजार में। मसलन हाई नेक स्वेटर, फर स्वेटर, लॉन्ग श्रग, क्रोशिया कोट आदि। क्यों हैं ना भारतीय परिधान में उम्दा इंडो वेस्टर्न अभिव्यंजना।

बदलें स्टोल ओढ़ने का स्टाइल

जहां सिल्क, बेबी वूल, प्लेन या फर से बना स्टोल ठंडी हवाओं से बचाता है, वहीं इसे पुलोवर, कोट व जींस के साथ पहनकर आप एलीगेंट दिखती हैं। इस सर्दी स्टोल को स्टाइलिश तरीके से पहनिए, ताकि आपके व्यक्तित्व में नया निखार आए। मसलन स्टोल को लंबाई में आधा फोल्ड करें और गले में डाल लें। अब जो लूप बना है, उसमें से दोनों कोनों को निकालें। इसे गर्दन से चिपकाकर भी रख सकती हैं या फिर थोड़ा ढीला भी छोड़ सकती हैं, स्टोल को गले में ओढ़ लें। दोनों कोनों को क्रॉस करें और फिर इन्हें कंधे पर डाल लें, स्टोल को खोलकर ओढ़ लें। फिर गर्दन के पास से घुमाते हुए लंबे सिरे को पिन से अटका लें, स्टोल को फोल्ड करें। इसे सिर के पीछे रखें और बैक से आगे लाएं। अब इसे खोलें और लूज करके दूसरी ओर से आगे की ओर लाएं या स्टोल के एक कोने को छोटा रखते हुए स्टोल को गले के पीछे रखें। दूसरे कोने को आगे रखते हुए स्टोल को पीछे से घुमाकर लाएं। ❑

सर्दी में फैशन का टशन

सर्दियों में आपका अंदाज सबसे अलग हो तो इसमें रंग बिखेरें। या यूं कहें कि सर्दी की कलेक्शन को सफेद, स्लेटी, काली, नीली या भूरी रंग तक सीमित नहीं हो। इसमें चटक व गहरे रंगों को भी शुमार करें, जैसे फॉरेस्ट ग्रीन, महरून, नियोन रंग, बफी पिंक, फुशिया, मिंट ग्रीन, ऑरेंज, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन आदि। वुमन विंटर विवर सिर्फ कार्डिगन, शॉल, जैकेट व कोट तक सीमित नहीं है। फॉल विंटर 2018 के कलेक्शन में बहुत कुछ नया शामिल हुआ है, जैसे- डेनिम जेगिंग्स, वुलन कुर्ती, स्वेट शर्ट, ओपन फ्रंट स्वेटर, कॉर्डिगन, शॉर्ट फ्रंट ओपन जैकेट, वुलन टॉप, ट्राईएंगल शॉल, पोंचो शॉल, शॉल इन स्वेटर शेप, लॉन्ग श्रग आदि।

नन्ही दुनिया

चुलबुली

कहानी

सुधा गुप्ता 'अमृता'

चिंटू के घर के सामने एक गुलमोहर का पेड़ था। उसमें लाल-नारंगी से बहुत खूबसूरत फूल खिलते, जो सबका मन मोह लेते। चिंटू को गुलमोहर और भी सुंदर तब लगने लगता, जब उस पर सुंदर पक्षी सुबह-शाम चहचहाते। प्रातःकाल सूरज की लालिमा युक्त किरणें जब उस पर पड़तीं, तो लगता स्वर्ग ही धरा पर उतर आया हो।

सारे पक्षी तो सुबह-शाम ही वृक्ष पर बने घोंसले पर चहचहाते, पर इन पक्षियों में एक थी चुलबुली चिड़िया, जो दिन भर पेड़ पर ही रह कर इधर-उधर फुदकती रहती।

चिंटू के घर कालबेल थी, जो चिड़िया की आवाज में चहचहाती थी। जब भी कोई आता, कालबेल बजाता। चिड़िया की सुरीली चहचहाती आवाज निकलती और कोई न कोई दरवाजा खोल देता।

एक दिन चुलबुली इधर-उधर फुदक रही थी। तभी उसने देखा, चिंटू के घर की कालबेल बजी और दरवाजा खुल गया। कालबेल की आवाज हूबहू चुलबुली की आवाज से मिलती थी। बस फिर क्या था, शरारती चुलबुली को शरारत सूझी। चिंटू के मम्मी-पापा अपने दफ्तर चले जाते और चिंटू स्कूल। घर पर रह जाती दादी अकेली। चुलबुली ने सोचा- चलो, अपनी आवाज को आज आजमा लिया जाए।

दादी पलंग पर लेटी थीं। चुलबुली ने दरवाजे की चौखट पर बैठ कर आवाज लगाई- चुल्बुल्चुल्बुल।... दादी ने सोचा कि कालबेल बजी है। उन्होंने बिस्तर से उठ कर दरवाजा खोल दिया, पर वहां कोई नहीं था। दादी मन ही मन गुस्सा करतीं। फिर बिस्तर पर लेट गईं। अब तो चुलबुली को अपनी शरारत पर बड़ा मजा आया। चुलबुली प्रतिदिन अपनी सुरीली आवाज का फायदा उठा कर दादी को परेशान करने लगी। एक दिन तो हद हो गई। चुलबुली ने कई बार दादी को परेशान किया।

दादी भी कम नहीं थीं। उन्होंने ठान लिया कि आज तो इसका पता लगा कर ही रहेंगीं। दादी बालकनी में छिप कर बैठ गईं। मम्मी-पापा, चिंटू जा चुके थे। चुलबुली अपनी आदत के अनुसार दरवाजे की चौखट पर बैठ कर चहचहाने लगी- चुल्बुल्चुल्बुल..., उसने सोचा अब दरवाजा खुलेगा। वह थोड़ी देर पेड़ पर बैठ कर देखती रही। पर उसकी मंशा के अनुसार दरवाजा नहीं खुला। दादी ने चुलबुली को देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोलीं, अच्छा तो तू है, जो मुझे रोज परेशान करती है। अब तुझे मैं मजा चिखाती हूं।

दादी को मालूम था कि चुलबुली अपनी आदत के अनुसार फिर आएगी। दादी अंदर गईं और मच्छरदानी का जाल लेकर छुप कर बैठ गईं।

दादी के इरादों से अनभिज्ञ चुलबुली थोड़ी ही देर में फिर आई और उसने जैसे ही आवाज लगाई- चुल्बुल्चुल्बुल... वैसे ही दादी ने मच्छरदानी वाला जाल उस पर फेंक कर उसे पकड़ लिया और एक पिंजड़े में बंद कर दिया। चुलबुली दिन भर पिंजड़े में बंद फड़फड़ाती रही। दादी बिस्तर पर जाकर सो गईं। चुलबुली की सारी आजादी छिन गई।

शाम होने लगी थी। चिंटू स्कूल से घर आ गया और उसके मम्मी-पापा दफ्तर से। चिंटू ने आते ही पूछा- अरे दादी, यह चिड़िया कहां से पकड़ लाईं, क्या खरीदी है? दादी ने सारा हाल सुनाया। चिंटू को बड़ा मजा आया। पर, जैसे ही वह पिंजड़े के पास गया, उसने देखा कि चुलबुली उदास बैठी है। फुदक भी नहीं रही। चिंटू ने उसे दाना-पानी दिया, पर चुलबुली ने न कुछ खाया, न पिया। चिंटू को चुलबुली पर दया आ रही थी। चुलबुली चिंटू को क्षमा याचना भरी निगाहों से देख रही थी। चिंटू ने दादी से कहा- .'दादी प्लीज, चुलबुली को छोड़ दीजिए। वह अब व्यर्थ परेशान करने का मतलब समझ गई है।'

दादी ने फिर बड़बड़ाते हुए कहा- 'चल तू कहता है तो, मैं इसे छोड़ देती हूं।' चुलबुली की आंखों से पश्चात्ताप के आंसू बह निकले। दादी ने पिंजड़ा खोल दिया। वह चिंटू और दादी को धन्यवाद देती पुनः गुलमोहर पर जाकर चहचहाने लगी। उसकी आवाज को सुन कर सब हैरान होकर हंसने लगे। मम्मी-पापा ने चिंटू का पक्षियों के प्रति स्नेह देख कर उसे बहुत प्यार किया और शाबाशी दी। चुलबुली समझ गई कि उसकी कर्णप्रिय सुरीली आवाज सबका मन मोहने के लिए है, व्यर्थ परेशान करने के लिए नहीं।

दादी ने चिंटू को समझाया- 'बेटा, कुदरत के दिए किसी गुण या तांकत का उपयोग अच्छे काम में करना चाहिए, किसी को परेशान करने में नहीं।' ❑

कविता

शिव मोहन यादव

आओ हम खेलें फुटबॉल

दादा हमको खेल खिलाओ,
अच्छी-अच्छी बात बताओ!
मम्मी पापा डांटे यदि तो,
तुम मेरी बन जाओ ढाल!
आओ हम खेलें फुटबॉल!

बेटा नहीं खेलने के दिन,
क्यों तुम मुझको करते हो पिन?
रूठो नहीं पास में आओ,
ऐसे नहीं फुलाओ गाल!
आओ हम खेलें फुटबॉल!

यह सुनकर बच्चा मुस्काया,
दादाजी ने गले लगाया!
चले मटकते मैदान में तो,
बदल गई पोते की चाल!
लगे खेलने वे फुटबॉल!

मारी किक तो हुआ कमाल!
जम कर होने लगा धमाल!
सभी देख कर दंग रह गए,
दादा पोते का भौकाल!

शब्द-भेद

कुछ शब्द एक जैसे लगते हैं। इस तरह उन्हें लिखने में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। इससे बचने के लिए आइए उनके अर्थ जानते हुए उनका अंतर समझते हैं।

इबादत / इबारत

इबादत का अर्थ अराधना व पूजा होता है। जबकि **इबारत** का अर्थ लेख, लेखन-शैली और लिखावट होता है। जैसे किसी के पास इफरात धन होता है तो कोई अपने काम को इबादत मानता है तो उस लेखक की इबारत का कोई जवाब नहीं है।

परितप्त / परिताप

तपा हुआ, उत्तप्त या जिसे दुख पहुंचा हो, परिताप या पछतानेवाला या पीड़ित को **परितप्त** कहते हैं। जबकि **परिताप** का अर्थ गरमी, आंच, दुख, क्लेश, शोक होता है। इसका मतलब पश्चताप व पश्चताप करना भी होता है।